खण्ड-189, अंक-5
शुक्रवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1879
(13 दिसम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 189 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जरीर जाफरी, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशवपांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कौतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधरशुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती

बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुबीर राम,श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा,श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त , श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णगोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री

हरिश्चन्द्र सिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ दिसम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

यूथ कांग्रेस अधिवेशन में स्पोर्ट्स कौंसिल द्वारा खेलों का प्रबन्ध तथा उसको अनुदान

१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) तथा श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यूथ कांग्रेस अधिवेशन में स्पोर्ट्स कौंसिल, जो एक अर्द्धसरकारी संस्था है, की ओर से खेलों का प्रबन्ध किया गया था? यदि हां, तो उसमें कुल कितना व्यय हुआ और हाल ही में स्पोर्ट्स कौंन्सिल को सरकार की ओर से कितना अनुदान दिया गया था?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--स्पोर्ट्स कौंसिल के कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं ने अपने दैनिक कार्य के साथ-साथ यूथ कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर आयोजित खेलों में सहायता की। कौंसिल को इस सम्बन्ध में कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ा। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने स्पोर्ट्स कौंसिल को छः लाख रुपये का अनुदान दिया है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह यूथ कांग्रेस गैर-राजनीतिक संस्था है या राजनीतिक संस्था है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं नहीं जानता।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जब उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि यह कैसी संस्था है तो सरकार ने जिस संस्था को ६ लाख रुपया दिया और उसके लोग उसके सम्मेलन की तैयारी करें तो क्या जो ६ लाख रुपया सरकार ने दिया है वह वापस मांगेगी?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप बहस कर रहे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तो एक पैसा नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--मैं अभी प्रश्न स्पष्ट करा रहा हूं, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री राजनारायण--सरकार के पक्ष के लोगों को मर्यादा का कोई खयाल नहीं होता है, चाहे बुलाएं या ना बुलाएं....

श्री अध्यक्ष--मैंने तो रोक दिया न।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर पता लगायेगी कि इस संस्था को स्पोर्ट्स कौंसिल के लोगों ने क्यों उसकी तैयारी में मदद की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--स्पोर्ट्स कौंसिल का कार्य है कि राज्य में कहीं स्पोर्ट्स आदि का प्रबन्ध हो और उससे टेक्निकल सहायता मांगी जाय, तो कहीं भी कोई दूसरी संस्था काम करे, उसकी स्पोर्ट्स कौन्सिल मदद करेगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि स्पोर्ट्स कौंन्सिल के अधिकारियों ने किस हैसियत से युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---युवक कांग्रेस की तरफ से स्पोर्ट्स होने वाले थे । उन्होंने सरकार को लिखा कि उनको टेक्निकल सलाह देने के लिए स्पोर्ट्स कौंन्सिल के कुछ अधिकारियों को इजाजत दी जाय तो सरकार ने उनको इजाजत दी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि स्पोर्ट्स कौंसिल का चेयरमैन कौन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुख्य मंत्री खुद ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी---श्रीमन्, थोड़ा-सा मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---आप सिर्फ सरकार से ही पूछ सकते हैं ।

श्री राजनारायण---हमने चार प्रश्न दिये थे, इन चारों को एक बना दिया गया है. . . .

श्री अध्यक्ष---जो सवाल आपके सामने है उसके ऊपर पूछिए ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह पता है कि जब मुख्य मंत्री स्वतः चेयरमैन हैं स्पोर्ट्स कौंसिल के तो जब स्पोर्ट्स कौन्सिल के लोगों ने सहायता की तो मुख्य मंत्री ने जानने की कोशिश की कि यह पोलिटिकल आर्गनाइजेशन है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस बात के जानने की कोई जरूरत नहीं थी । स्पोर्ट्स कौन्सिल का स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, किसी के राजनीतिक विचारों से नहीं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उस संस्था के अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी हैं या डाक्टर सम्पूर्णानन्द ?

श्री अध्यक्ष---आपको समझ लेना चाहिये, डाक्टर सम्पूर्णानन्द हैं । क्या आपके सवाल का यह मतलब है कि क्या वह ऐक्स-आफिशियो अध्यक्ष होते हैं ? आप सवाल स्पष्ट कीजिये ।

श्री गौरी शंकर राय---मेरा मतलब यह था कि मुख्य मंत्री की हैसियत से उसके अध्यक्ष हैं पदेन या डाक्टर सम्पूर्णानन्द की हैसियत से व्यक्तिगत ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पदेन ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अभी मुख्य मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि जहां भी स्पोर्ट्स होते हैं और संस्थाओं से निवेदन होता है तो स्पोर्ट्स कौन्सिल उसमें सहायता करती है । तो क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि अन्यान्य संस्थाओं के स्पोर्ट्स अगर हों और स्पोर्ट्स कौन्सिल को निमन्त्रित करें तो क्या उसमें वह भाग लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दे दिया कि हर एक के लिये मदद दे सकती है । अब यह तो हाइपोथिटिकल सवाल हो जाता है कि आइन्दा क्या हो क्या न हो । वह नीति के बारे में जवाब दे चुके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मुख्य जी बतायेंगे कि स्पोर्ट्स कौंसिल ने यूथ कांग्रेस या यंग सोशलिस्ट लीग आदि के खेल-कूद के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या सरकार बतायेगी यूथ कांग्रेस ने स्पोर्ट्स कौंसिल के पास कोई आवेदन-पत्र दिया था कि वह खेल-कूद करायें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उनका एक पत्र आया था ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि पारसाल जो कानपुर में यंग सोशलिस्ट लोग का सम्मेलन हुआ था तो उसने कोई कभी प्रार्थना-पत्र दिया था कि उसके सम्मेलन में सरकार सहायता करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार की बात तो मैं नहीं कह सकता और स्पोर्ट्स कौंसिल के पास कोई दर्खास्त आयी या नहीं बगैर नोटिस के नहीं बतलाया जा सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि स्पोर्ट्स कौंसिल के द्वारा यूथ कांग्रेस के तत्वावधान में जो खेल-कूद किये गये थे उसमें वाइस-प्रेसीडेंट डाक्टर राधाकृष्णन को भी बुलाया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुमकिन है यूथ कांग्रेस ने बुलाया हो । स्पोर्टस कौन्सिल ने तो बुलाया नहीं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जो स्पोर्ट्स कौंसिल के लोगों ने यूथ कांग्रेस के स्पोर्ट्स में सहायता दी खल-कूद में तो किस प्रकार की सहायता दी ? क्या उन्होंने सारा प्रबन्ध किया या उनके खेल-कूद को नियमानुसार चलाया या उसका सारा पूर्ण प्रबन्ध किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इतने ब्योरे से तो मैं नहीं बतला सकता ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---माननीय मुख्य मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उनके पास इतनी ब्यौरेवार तफसील नहीं है, उसी पर मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे ब्यौरेवार पूरी तफसील सदन के सम्मुख रखने का प्रयत्न करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जो कुछ ब्यौरा मुझे मिल सकेगा वह मैं आपको भेज दूंगा ।

तारांकित प्रश्न

१---२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

*३---४---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

कानपुर लेबर कालोनियों के वायरमैनों के खिलाफ शिकायत

*५---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर लेबर कालोनियों के वायरमैनों में से कितने ऐसे हैं जो वायरमैन के लिये अपेक्षित कार्य की योग्यता इस समय नहीं रखते हैं ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)---सभी वायरमैन योग्यता अथवा अनुभव रखते हैं ।

*६---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या कुछ वायरमैनों की अयोग्यता की शिकायत के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र श्रमायुक्त, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगल किशोर---(क) एक शिकायत आई थी ।

(ख) जांच पर मालूम हुआ कि कोई भी अयोग्य वायरमैन नहीं है अतः किसी कार्यवाही के करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायत किस सम्बन्ध में आई थी ?

आचार्य जुगल किशोर---शिकायत इस सम्बन्ध में आई थी कि वायरमैन के लिये जो आदमी नियुक्त हुए हैं वे क्वालिफाइड नहीं हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वायरमैन के लिये कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है ?

आचार्य जुगल किशोर---मुझे तो इस वक्त मालूम नहीं । पूछ कर बतला सकता हूं । इतनी जानकारी अवश्य है कि जो वायरमैन रक्खे गये हैं वे योग्यता अवश्य रखते हैं ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो शिकायत आई थी और जिसकी सरकार ने जांच की है उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

आचार्य जुगल किशोर---जांच हुई तो यह मालूम पड़ा कि जिन व्यक्तियों के नाम लिये गय हैं वे वायरमैन का काम ही नहीं करते हैं, केवल एक व्यक्ति की उतनी योग्यता थी जितनी कि चाहिये थी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि १ बर्कमैन जिसके सम्बन्ध में योग्यता पाई गई है उसकी क्या-क्या योग्यतायें हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये जो शर्तें होती हैं उनको वह पूरी करता है, यही उसकी योग्यता है ।

*७-८---श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

मुजफ्फरनगर जिले में हरिजन सहायक निधि से कूपों का निर्माण-कार्य

*९---श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में प्रथम पंचवर्षीय योजना में हरिजन सहायक निधि से हरिजनों के कितने कूपों की मरम्मत तथा नव-निर्माण हुआ ?

हरिजन कल्याण मन्त्री के सभासचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---४३ कूपों का नव-निर्माण हुआ तथा ३४ कूपों की मरम्मत हुई ।

श्री बादामसिंह---क्या माननीय मंत्री को सूचना है कि इस फंड से दूसरे लोगों ने भी कुएं बनाये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री बादाम सिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना मान कर इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---यदि आप मेरे पास लिख कर भेज देंगे तो जरूर जांच कराई जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कुंओं की मरम्मत और निर्माण में कितना गवर्नमेंट का अनुदान लगा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---२८,२१२ रुपये १० आने ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि दूसरे जिलों में जो हरिजन गांव हैं उनमें सरकार के इनीशियेटिव से प्रत्येक गांव में कुयें खोद दिये जायें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---अभी कोई ऐसी योजना नहीं है ?

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उत्तर में दिया हुआ है कि इतने रुपये कुंओं के निर्माण और मरम्मत में खर्च हुये तो क्या यह सब सरकारी रुपया है या इसमें कुछ पब्लिक का रुपया भी लगा है ? अगर लगा है तो वह कितना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---सरकारी रुपया मैंने बतला दिया है । अगर माननीय सदस्य पब्लिक रुपये की जानकारी चाहेंगे तो मालूम करके बता दी जायेगी ।

*१०---श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*११-१३---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

मुजफ्फरनगर जिले की शिक्षा संस्थाओं में हरिजनों से ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस वसूल करना

*१ ---श्री रामदास आर्य---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर के राजकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूलों तथा कालिजों में हरिजन विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस को छोड़ कर बिल्डिंग फीस, लायब्रेरी, रोशनी, पंखा, गेम्स आदि की फीस ली जाती है ? क्या इसके लिये कोई सरकारी आदेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हरिजन विद्यार्थियों की इस कठिनाई को दूर करने का विचार रखती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इस जिले में जो शुल्क अधिकृत है तथा जिनकी क्षति-पूर्ति सरकार द्वारा की जाती है जैसे ट्यूशन, गेम्स, लायब्रेरी, मेडिकल शुल्क, वे मान्यता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कालेजों में हरिजन विद्यार्थियों से नहीं लिये जाते । जो शुल्क अधिकृत है तथा जिनकी क्षति-पूर्ति नहीं की जाती, जैसे पंखा व रोशनी शुल्क आदि, वे उन संस्थाओं में लिये जाते हैं जहां ये सुविधायें उपलब्ध हैं । जो शुल्क अनधिकृत है जैसे बिल्डिंग फीस वह उपलब्ध सूचनानुसार नहीं लिये जाते हैं ।

इन सब विषयों पर आवश्यक सरकारी आदेश पहले से ही मौजूद हैं ।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बिल्डिंग फंड का रुपया हरिजन बच्चों से लिया जाता है लेकिन उसकी रसीद नहीं दी जाती है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को सूचना मानकर जानकारी कराने की कृपा करेंगे कि ऐसा हो रहा है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--यदि माननीय सदस्य मुझे लिखकर भेज देंगे तो जरूर जांच कराई जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालेजों में डियरनेस एलाउन्स की फीस विद्यार्थियों पर पड़ जाती है ?

श्री अध्यक्ष--हरिजन विद्यार्थियों से ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां ।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--जी हां ।

पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति तथा नौकरी संबंधी सुविधायें

*१५---श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डिग्री क्लासों में बैकवर्ड छात्रवृत्ति पूरे साल दी जाती है या दस माह ? यदि दस माह के लिये दी जाती है, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--स्नातकीय (degree) कक्षाओं में पिछड़ी जातीय छात्रवृत्ति प्रथम वर्ष १२ माह (जुलाई से जून) और द्वितीय वर्ष १० माह (जुलाई से अप्रैल) तक के लिये दी जाती है । द्वितीय वर्ष के छात्रों की अन्तिम वार्षिक परीक्षा अप्रैल में समाप्त हो जाया करती है इसलिये उनके द्वितीय वर्ष में दस माह के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है ।

*१६---श्री राजेन्द्र सिंह यादव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाने में क्या सुविधा दी जाती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---ऐसी सरकारी नौकरियों में जिनमें प्रवेश (recruitment) के लिये प्रतियोगितात्मक परिक्षायें या टेस्ट नहीं होते उनमें प्रवेश हेतु पिछड़ी जातियों के लोगों का पूर्ण लिहाज (full consideration) किये जाने के आदेश हैं । यह भी आदेश है कि यदि ये लोग सुयोग्य (qualified) पाये जायें तो ऐसे उम्मीदवार पर्याप्त संख्या (adequate numbers) में भर्ती किये जायें ।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने अभी बतलाया कि बैकवर्ड क्लासेज के लिये आदेश है कि उनको पूरी जगहें दी जायें तो क्या वह आदेश पूरी तरह निभाया जाता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कोई दूसरे आदेशजारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--मैंने यह बताया कि कोई ऐसा परसेंटेज नियत नहीं है उनके विषय में। यह है कि अगर वे योग्य हों तो वे लिये जायें। तो इसमें कोई प्रश्न उठता ही नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिग्री क्लासेज में जिन बैकवर्ड क्लासेज के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है उनसे दूसरे वर्ष पूरी फीस वसूल की जाती है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--छात्रवृत्ति केवल फीस केलिये ही नहीं मिलती है बल्कि भोजन इत्यदि के लिये भी मिलती है और दूसरे वर्ष चूंकि अप्रैल में ही शिक्षा समाप्त हो जाया करती है इसलिये सिर्फ १० महीने के लिये दी जाती है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति में थारू और बोक्सा भी आते हैं ? यदि हां, तो क्या उनका भी खयाल रखा जाता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--अभी तक पिछड़ी जातियां सरकार से निश्चित नहीं हुई हैं । जब निश्चित हो जायंगी तब यह बात होगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें भोजन इत्यादि का भी ध्यान रखा जाता है तो डिग्री क्लासेज में बैकवर्ड क्लास के छात्र को जो ३५ रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह रकम बहुत कम है क्या सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--ऐसा कोई विचार अभी सरकार के सामने नहीं है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार के पास इस बात की जानकारी है कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों को एक निश्चित रकम विद्या अध्ययन के लिये देने की शिफारिश की गयी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इसकी कोई सूचना हमारे पास अभी तक नहीं है ।

श्री झारखंडेराय--क्या सरकार के पास इस तरह का कोई सुझाव आया है कि "बैकवर्ड क्लासेज" शब्द जिन जातियों के लिये इस्तेमाल किया जाता है उसकी जगह कोई और उपयुक्त शब्द इस्तेमाल किया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सुझाव तो बहुत से आते रहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि बैकवर्ड बड़ा व्यापक शब्द है और शायद जो कम्युनिटीज हैं वे खुद भी इस नाम को पसन्द करेंगी ।

छुआछूत निवारण के सम्बन्ध में मुजफ्फरनगर जिले में सहभोजनार्थ विद्यालयों को अनुदान

*१७--श्री बादामसिंह--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छुआछूत निवारण के संबंध में सहभोजनार्थ कितना धन सन् १९५५-५६ ई० में सरकार ने अनुदान में दिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इस संबंध में अन्य जिलों की भांति मुजफ्फरनगर जिले को भी एक हजार रुपये का अनुदान दिया गया था जिसमें से २८८ रुपया १४ आना ६ पा० सहभोजनार्थ खर्च हुआ ।

श्री बादामसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष धन किस मद में खर्च किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--प्रभात फेरी, हरिजन बस्तियों की सफाई, वाद-विवाद प्रतियोगिता, जलसे, कविता पाठ, शान्तिगान, भजन-कीर्तन, कैम्प फायर, बालकों के खेल-कूद, तथा सड़क आदि में ।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यहां से कोई उन्होंने इस प्रकार के आदेश निकाले हैं कि यह धन किस प्रकार से संस्थायें खर्च करेंगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जी हां । मैंने सुना दिया अभी कि किन मदों में खर्च किया जा सकेगा ।

श्री गेंदासिंह--प्रश्न में सहभोज का भी जिक्र है । तो उस पर भी कुछ खर्च हुआ या नहीं ? और नहीं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया है ।

श्री सुरथबहादुर शाह--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वर्ष में छुआछूत हटाने के लिये कितने सामूहिक भोजन होते हैं इस जिले में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--वर्ष में एक सप्ताह मनाया जाता है । उसके लिये एक हजार रुपया यहां से अनुदान का हर जिले को दिया जाता है और उससे यह सहभोज आदि भी दिये जाते हैं ।

श्री सुरथबहादुर शाह--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि यह कितनी बार होते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--एक बार ।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि माननीय हरिजन कल्याण मंत्री जी कुछ जिलों में सहभोज में गये थे और वहां उन्होंने कहा कि खाना ठीक नहीं मिलता है, इसीलिये वह दूसरी जगहों में अब शामिल नहीं होते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--ऐसी कोई खबर नहीं है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मुजफ्फर नगर में जो सहभोज किया गया था उसमें एक पार्टी के कुछ चुने हुये लोग ही बुलाये गये थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फर-नगर जिले में एक सप्ताह में कितने भोज हुये ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भोज विद्यालयों में ही किया गया था या हरिजन बस्तियों में भी इस प्रकार के भोज किय गये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह तो विद्यालयों में ही हुआ है और विद्यालयों के लिये ही यह रकम भेजी गई थी ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्यालयों के बच्चों को यह सहभोज दिया गया या बाहर के अतिथि भी इसमें बुलाये गये थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---इसकी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)---क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जो असेम्बली के मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से अछूतों का एक भोज हो जिससे पता चल सके कि सब की भावना क्या है ?

श्री अध्यक्ष---क्या भोज सब के लिये हो, यह स्पष्ट कीजिए ।

श्री छत्रपति अम्बेश---सरकार की ओर से सब जिलों के लिये हो ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

*१८-१९---श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--[२० दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

*२०-२१---श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद जिले में समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी

*२२---श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने कर्मचारी इलाहाबाद जिले में स्थायी या अस्थायी रूप में कार्य कर रहे हैं और किन-किन स्थानों पर ?

आचार्य जुगल किशोर---समाज कल्याण विभाग की ओर से इलाहाबाद जिले में एक सहायक समाज कल्याण अधिकारी, एक लिपिक तथा एक चपरासी अस्थायी रूप से (इलाहाबाद) में कार्य करते हैं और महिला मंगल योजना के अंतर्गत ११ कर्मचारी स्थायी रूप में इलाहाबाद जिले में कार्य करते हैं । इनमें से एक जिला संयोजिका, एक शिल्प शिक्षिका, आठ ग्राम सेविका और एक चपरासी के पद पर कार्य करते हैं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग का बजट क्या है और यह जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें क्या व्यय होता है ?

आचार्य जुगल किशोर---बजट के इस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, चाहेंगे तो मैं बाद में बतला सकता हूं । यह महिला मंगल योजना ३३ जिलों में चल रही है उनमें से एक इलाहाबाद में भी चालू है । करीब १०, १५ हजार रुपया एक स्कीम पर खर्च होता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो नियुक्तियां हुई हैं यह किस आधार पर हुई हैं, इनकी योग्यता क्या है ?

आचार्य जुगल किशोर---समाज कल्याण विभाग के जो सहायक अफसर हैं उनकी योग्यता एम० ए०, एम० एस० डब्लू० होनी चाहिये और अगर हो सके तो उनके पास सोशल वैलफेयर की डिगरी होनी चाहिये किसी रिकग्नाइज्ड इन्सटीट्यूशन से । ग्राम संयोजिकाओं की योग्यता इन्टरमीडियेट पास होना चाहिये और बाकी ग्राम सेविकाएं मैट्रिक पास या आठवीं पास होनी चाहिए ।

श्री गेंदासिंह---इस जिले में क्या दो योजनायें काम कर रही हैं एक भारत सरकार की ओर से और एक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ?

आचार्य जुगल किशोर--जी हां, एक समाज कल्याण विभाग की ओर से और एक समाज कल्याण बोर्ड की ओर से जो केन्द्रीय बोर्ड की एक शाखा है । उसके द्वारा हमारे प्रदेश में कुछ जिलों में यह महिला मंगल योजना के आधार पर योजना चल रही है । उससे इसमें कुछ भिन्नता अवश्य है लेकिन उसकी भी सहायता हमारी गवर्नमेंट की ओर से २५ फीसदी के औसत पर प्राप्त होती है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो नियुक्तियां की जाती हैं उसकी योग्यता के साथ क्या यह भी अपेक्षित है कि वह हरिजन हो ?

आचार्य जुगल किशोर--वह हरिजन भी हो सकता है इसमें कोई बाधा नहीं है । मुझे मालूम नहीं कि इन कर्मचारियों में कोई हरिजन है या नहीं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सिलाई सिखाने के लिये अध्यापिकायें हैं इनके लिये कोई केन्द्र खोला गया है या यह घूमघूम कर हर गांव में जाती हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--ग्राम तौर पर जितनी ग्राम सेविकायें हैं वह तो ट्रेन्ड होती हैं । कुछ दस्तकारियों के लिये एक क्लास टीचर होती है जो विभिन्न केन्द्रों में समय-समय पर जाती है और वहां पर जो त्रुटि होती है उनको दूर करने की कोशिश करती है ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम पकर्रा के हरिजनों को अन्यत्र बसाने की प्रार्थना

*२३--**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)--क्या माल मंत्री गंगा के कटाव के कारण मिर्जापुर जिले के ग्राम पकर्रा के पूरा तथा चौरासी, तहसील मिर्जापुर की हरिजन बस्ती जो बड़ी संकटकालीन स्थिति में है उसके हरिजन परिवारों को इस भयावह स्थिति से बचाने के लिये, गृह निर्माण के लिये उचित धन एवं भूमि की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इस ग्राम के हरिजन निवासियों को ग्राम सभा की अन्य सुरक्षित जमीन पर बसाने का प्रयत्न किया गया परन्तु इन लोगों ने वहां जाकर बसना स्वीकार नहीं किया ।

यदि ये हरिजन परिवार उक्त भूमि पर या अन्य किसी सुरक्षित भूमि पर जाकर बसना चाहेंगे तो नियमानुसार उन्हें गृह निर्माण के लिये अनुदान अवश्य दिया जा सकेगा ।

श्री रामकृष्ण जैसवार---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर्चे उनको बसाने का प्रबन्ध किया गया तो क्या उसी ग्राम सभा में बसाने का प्रबंध किया गया अथवा किसी अन्य ग्राम सभा में बसाने का प्रबंध किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री रामकृष्ण जैसवार---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको बसाने के लिये सरकार द्वारा कितने धन की और कितनी जमीन की गृहनिर्माण के लिये व्यवस्था की जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जैसा कि मैंने उत्तर में बताया कि ग्राम सभाओं की ओर से वहीं जमीन पर बसाने के लिये कहा गया था। लेकिन ये लोग रूढ़िवादी हैं, उन्होंने वहां जाना पसंद नहीं किया। यदि वह और कोई जमीन बतायेंगे तो उनके लिये वह एक्वायर कर दी जायगी और बसने के लिये अनुदान द दिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन हरिजन परिवारों की संख्या कितनी है जिनको गंगा के कटाव से संकट उत्पन्न हो गया है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---१७।

*२४-२५---श्री नारायणदत्त तिवारी---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६---श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७---श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)---[२० दिसम्बर, १९५७ के] लिए स्थगित किया गया।]

*२८---श्री रामदास आर्य---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।

*२९-३०---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१-३२---श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३३-३४---श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५---श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*३६---श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---[हटा दिया गया।]

*३७-३९---श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०---राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१-४२---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---[२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

अलीगढ़ जिले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी का स्थानान्तरण

*४३---श्री अनन्त राम वर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या समाज-कल्याण मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ जिले के समाज-कल्याण कार्य के प्रबन्ध में हाल में कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो क्या और इसकी आवश्यकता क्यों समझी गई?

आचार्य जुगल किशोर--सहायक समाज कल्याण अधिकारी का स्थानान्तरण हुआ है। इसकी आवश्यकता सार्वजनिक हित में समझी गयी।

*४४-४६--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)-- [२० दिसम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७-४८--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)-- [२० दिसम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने प्रश्नों के बारे में कुछ अर्ज करना है। मेरा प्रश्न १९ तारीख को ६५ वें नम्बर पर रक्खा गया था, लेकिन आप के आफिस से मुझे सूचित किया गया कि वह आज लिया जायगा, लेकिन आज की कार्यसूची में नहीं रक्खा गया।

श्री अध्यक्ष--इसको आप मेरे कमरे में आकर पूछ लीजिये। इसके लिये मुझे फाइल देखनी होगी, इसलिये वहीं आप इसको पूछें।

नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के छात्रों से सहानुभूति स्वरूप अन्य स्कूलों व कालेजों में हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है। वह इस प्रकार है :--

"कल १२ दिसम्बर को लखनऊ शहर में सारे स्कूल व कालेज व दूकानें नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ के विद्यार्थियों की मांगों की सहानुभूति में बन्द रहीं, यह हड़ताल उग्रतर होती जा रही है और शीघ्र ही सारे प्रदेश में फैल जाने की सम्भावना निश्चित है, किन्तु सरकार ने फिर भी उपेक्षा बरती है और उक्त कालेज के विद्यार्थियों को डिप्लोमा के स्थान पर डिग्री देने की मांग के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखायी है जिसके कारण प्रदेश भर में विषम एवं क्षोभ की स्थिति हो गयी है।

अतः इस आवश्यक एवं सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य-स्थगित करता है।"

कल इस विषय के ऊपर मैं अपना फैसला दे चुका हूं। जो सरकार ने कार्यवाही की और माननीय मंत्री जी ने जो विज्ञप्ति दी उसके बाद इस विषय में मैं इस विषय को उठाने की इजाजत नहीं देना चाहता क्योंकि उसकी आवश्यकता अब नहीं रही। अनावश्यक होने के कारण कल मैंने उसको नामंजूर किया था। हर रोज की किसी बात के मुताल्लिक एक नया कामरोको प्रस्ताव लाकर किसी विषय को बार-बार दुहराना ठीक नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्रों की सहायतार्थ नियुक्त सर्वदलीय समिति की सिफारिशों के पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्रों में लागू न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

दूसरा कामरोको प्रस्ताव माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का है। वह इस प्रकार है :—

"यह सदन प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्रों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त सर्वदलीय समिति की 'शिक्षा-शुल्क-माफी' संबंधी तथा अन्य सिफारिशों को पर्वतीय अभावग्रस्त क्षेत्रों के हेतु लागू न किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

क्या इससे माननीय नारायण दत्त जी तिवारी का यह मतलब है कि सर्वदलीय समिति ने पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में फीस माफी के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आप को मालूम है कि यह सिफारिश की थी?

*श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, और मैं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है। मैंने इस सदन में माननीय मंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण किया था और आज जो प्रदेश के अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उनके सम्बन्ध में समिति की तरफ से सिफारिश दी गई। समाचार-पत्रों ने भी इस समस्या पर प्रकाश डाला है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के हेतु तथा शिक्षा निःशुल्क किये जाने के हेतु सिफारिश की गई है और सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। अभी मैं पर्वतीय क्षेत्र से आ रहा हूं और जहां तक मुझ मालूम हुआ है अभी तक वहां ऐसे आदेश, वहां के चार जिलों में, इन्सपेक्टर के कार्यालय में या डिप्टी कमिश्नर के यहां प्राप्त नहीं हुये हैं। अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये और भी जो सिफारिशें थीं, वे भी वहां लागू नहीं हुईं। मैं समझता हूं कि यह विषय तात्कालिक महत्व का है और सरकार को चाहिये कि वह इसे मान ले और सदन इसकी आवश्यकता और महत्व को समझते हुये, इस पर विचार करे।

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने यह कैसे फरमाया कि जो तात्कालिक सहायता प्रदान करन की सिफारिश कमेटी ने की है, वह पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में है। उसके लिये इस तरह का प्रस्ताव लाने का यह कोई मौका नहीं है। मेरे पास जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें केवल गोरखपुर और वाराणसी के ९ जिलों के सम्बन्ध में, सर्वदलीय समिति की सिफारिश है। यह आइटम नम्बर ५ प्रोसीडिंग्स की मेरे पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—तो ऐसी कोई सिफारिश नहीं है।

श्री चरणसिंह—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मान लो कुछ सिफारिश थीं और गवर्नमेंट ने उसे वहां के लिये नहीं माना.....

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह से कुछ शर्त के साथ बात कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह—मैं यह कह रहा था कि यह स्थिति महत्वपूर्ण और सामयिक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---जो बात प्रस्ताव में रखी गयी है, वह तो उसमें लिखी हुई है, पर्वतीय क्षत्र में शिक्षा निःशुल्क हो, सर्वदलीय समिति की सिफारिश के अनुसार, यह इसमें लिखा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को स्वयं ही भ्रम है, वे अपना भ्रम पहले निवारण कर लें, तभी नारायणदत्त तिवारी जी के प्रस्ताव का विरोध करें.....।

श्री अध्यक्ष---आप को इजाजत नहीं दी गई है। आप बैठ जायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि इस प्रकार की सिफारिश की गई है, तो चूंकि यह अनिश्चित है, इस कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने भेजा है। पहले भी एक भेजा था और दूसरा आज भेजा है। मैं इस समय इसको नहीं ले रहा हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---व्यवस्था तो यह है कि एक सदस्य एक विषय पर एक ही प्रस्ताव भेज सकता है।

श्री अध्यक्ष---एक सदस्य एक ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव भेज सकता है क्योंकि इस तरह से एक सदस्य ५, ६ प्रस्ताव भेजेगा तो बड़ी कठिनाई हो जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में रूल्स भी देखूंगा।

श्री राजनारायण---मैं इसे मानने के लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष दीर्घा में बिना प्रवेश-पत्र के कुछ व्यक्तियों के बैठने पर आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे एक निवेदन यह करना है कि स्पीकर्स गैलरी के लिये पास हर समय होना चाहिये या कुछ लोगों के लिये मुक्त है कि वे बिना पास के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कल यहां पर काफी गड़बड़ी हुई जिस समय कि स्पीकर्स गैलरी में कुछ सम्मानित व्यक्ति आये हुये थे . . .।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न जो है, सदन का नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वह चीज आप मेरे कमरे में आकर पूछ सकते हैं। मुझसे आकर बात कर लें, मुझे इन्क्वायरी करनी पड़ेगी सब चीजों की।

श्री राजनारायण---अभी भी मिनिस्टर्स के शैडोज बैठे हुये हैं, मैं इनक्वायरी करके ही बतला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---मैंने बतला तो दिया कि आप मेरे कमरे में आकर पूछ लें। खैर, मैं उसकी इन्क्वायरी कर लूंगा।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इन्क्वायरी कर लीजिये, क्योंकि यह बड़ा अनर्थ हो रहा है।

प्रदेश में भिखमंगों का समुचित प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प---(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब श्री जगदीश शरण अग्रवाल के संकल्प पर बहस जारी होगी।

---

*१८ सितम्बर, १९५७ की कार्यवाही से।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं.....।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, अब कार्यवाही शुरू हो गई है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--उसी कार्यवाही के सम्बन्ध में मुझे आप से और श्री जगदीश शरण अग्रवाल से भी निवेदन करना है कि उनके उस संकल्प पर एक दिन पहले भी विवाद हो चुका है इसलिये...।

श्री अध्यक्ष--अभी आप निवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सदस्य भाषण द रह थ, जब तक उनका भाषण समाप्त न हो जाय तब तक बीच में कोई निवेदन नहीं किया जा सकता है। उनका भाषण समाप्त होने के बाद आप निवेदन कर सकते हैं।

उस दिन माननीय राजदेव उपाध्याय भाषण दे रहे थे, वे अपना भाषण जारी रखें।

(कुछ देर पश्चात्)

क्या वे गैरहाजिर हैं ? (श्री राम स्वरूप वर्मा से) तो आप क्या निवेदन करना चाहते हैं, कह दीजिये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मैं यह चाहता था कि शीघ्र विवाद समाप्त हो जाय तो दूसरे जो संकल्प हैं उन पर फिर विवाद किया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप क्लोजर मूव कर सकते हैं, आपको अधिकार है कि आप कहें कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उन माननीय सदस्यों के भाषणों को जो मेरे संकल्प पर इस सदन में हुए, बड़े आदरपूर्वक और ज्यादा विनम्र जिज्ञासु भाव से सुनने का प्रयत्न किया। उस दिन १४ माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर बोले थे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे। श्रीमन्, यों तो एक परम्परा यह है कि हर प्रस्तावकर्त्ता उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता है जो उसके संकल्प का समर्थन करें, लेकिन मैं आपके द्वारा वस्तुतः उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे संकल्प का समर्थन किया और उन सिद्धान्तों का, जिनको मैंने उस संकल्प के द्वारा इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का यत्न किया, समर्थन किया।

श्रीमन्, सबसे पहले मैं माननीय अवस्थीजी के संशोधन के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अवस्थी जी ने मेरे संकल्प में दो संशोधन प्रस्तुत किये। पहला संशोधन तो एक प्रकार से शाब्दिक है और उस संशोधन को प्रस्तुत करके उन्होंने मेरे संकल्प में जो मैंने मांग की थी, कुछ संस्थाओं के संचालन के अध्ययन करने की, उसकी परिधि को निश्चित कर दिया है, मुझे वह पूर्णतया स्वीकार ह क्योंकि वह मेरे संकल्प के ध्येय को और भी विस्तार देता है और निश्चितता भी ।

दूसरा संशोधन उनका एक तरह से एक सिद्धान्त की बात को उठाता है। उस संशोधन के द्वारा माननीय अवस्थी जी ने यह प्रस्ताव किया है कि मेरे प्रस्ताव से ये शब्द निकाल दिये जायं मैंने यह प्रस्ताव किया था कि भिक्षा मांगना साधारणतया दण्डनीय अपराध घोषित हो। श्रीमन्,

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मैंने माननीय अवस्थी जी के भाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ने का यत्न किया। मैं अध्ययन क बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माननीय अवस्थी जी को केवल एक आशंका थी, वे यह समझत थ कि भिक्षावृत्ति को कवल दण्डनीय अपराध घोषित कर देने से इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकेगा, बल्कि उसके सार और पहलुओं का अध्ययन होना भी अत्यावश्यक है। यदि केवल यही अभिप्राय इस संशोधन का हो तो मुझे इसके भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मैं केवल इतना अवश्य चाहूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने का अर्थ यह किसी तरह न समझा जाय कि म इस सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं कि जब कभी भी इस भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था हो तो उसको दंडनीय अपराध घोषित करने की शक्ति ही उस व्यवस्था करने वाले में न हो। मेरा तो निश्चित मत है कि आज वह समय आ चुका है जब कि हमें समाज की कुरीतियों के लिए कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल कानून से सामाजिक कुरीतियां दूर नहीं हो सकतीं। किसी सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए हमें एक अनुकूल वातावरण पैदा करना पड़ेगा, हमें एक आन्दोलन करना पड़ेगा, जिससे उस कानून के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो सकें। केवल वातावरण पैदा कर देने से उस समस्या का निराकरण नहीं हो सकगा, जिस तरह से केवल कानून पास कर देने से भी कदाचित् उसका निराकरण न हो सकेगा। इसलिए दोनों का ही अपना-अपना स्थान है।

यदि श्रीमन् हम पीछे के इतिहास पर निगाह डालें तो हम देखेंगे कि जब-जब हमारे देश में बड़ी-बड़ी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का प्रश्न आया तब-तब कानून का सहारा लेना पड़ा और उसमें सफलता मिली। सती की प्रथा आखिर थी। कानून बनाना पड़ा और उससे हम को लाभ हुआ। बाल विवाह की प्रथा थी उसको दूर करने के लिए कानून बनाना पड़ा और उससे हमको लाभ हुआ, भले ही वह थोड़े से समय के लिए डेड लेटर रहा हो उस कानून ने उस कुप्रथा के समूल उन्मूलन में हमें सहायता दी, इसमें कोई संदेह नहीं।

इसी तरह से अस्पृश्यता का मसला हमारे सामने था। उस भयंकर समस्या को हल करने के लिए भी कानून का सहारा लेना ही पड़ा और उसमें हमें सफलता हुई। तो मेरा निश्चित मत है कि हमें कानून का प्रयोग भी इन कुरीतियों को दूर करने के लिए करना पड़ेगा। इसके बाद इन संशोधनों का संक्षेप में जिक्र करने के बाद मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने, उस दिन जो अपना भाषण छपा उसको पढ़ा, उसमें एक जगह यह लिखा हुआ है कि मैंने ऐसा कहा कि अगर भिक्षा मांगना (बेगिंग) बहुत बुरी चीज है तो बेगर्स को भिक्षा देना भी बुरा है। मैंने कहा यह था कि बेगर्स के लिए बेगिंग भी बुरी चीज है। मेरा अभिप्राय यह था कि आज समय बदल चुका है। आज समय का तकाजा यह है कि बेगर्स के लिए बेगिंग न की जाय। हम बेगर्स की सहायता के लिए, समाज पर, जनता पर अवलम्बित न रहें, उनके लिए हम एक और भिक्षा मांग कर यह समझें कि उनका हम कल्याण कर सकेंगे यह काफी न होगा। मेरा कहना यह था कि आज समाज की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के फलस्वरूप समाज उन अपंग, अपाहिज और निराश्रित पुरुषों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले।

श्रीमन्, इसके बाद दूसरे माननीय सदस्यों के जो भाषण मेरे संकल्प के सम्बन्ध में हुए उनमें मुझे यह निवेदन करना है कि प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने संकल्प में प्रस्तुत सिद्धान्तों का प्रबल समर्थन किया।

यदि एक या दो सदस्यों की कोई दूसरी राय थी तो वह इस विषय में थी कि वे इस बात में संदेह रखते हैं कि इस समस्या का निराकरण केवल कानून द्वारा हो सकता है या नहीं? मेरा प्रस्ताव जिस रूप में है उसमें आज इस विषय में कोई निश्चय करने का प्रश्न हमारे सामने नहीं है। श्रीमन्, मैं यदि यह कहूं कि मैंने माननीय बहुगुणा जी का भाषण जो इस संकल्प

के सम्बन्ध में हुआ उसे पढ़ा तो मुझे निराशा और दुख दोनों ही हुए। मैं समझता था कि वे इस विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी हमेशा ऐसी समस्याओं के निराकरण में आस्था रही है। उनके सुझाव और व्याख्यान इस विषय में ज्यादा सक्रिय होंगे। उन्होंने यह कहा कि मैंने कदाचित् भावनाओं से प्रेरित हो कर इस संकल्प को इस सदन के सामने प्रस्तुत किया। मैं नहीं जानता कि भावना की उनकी क्या परिभाषा है। यदि भावनाओं से केवल उनका यह अभिप्राय है कि मेरे हृदय में इस समस्या से एक वेदना हुई और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने इस संकल्प को प्रस्तुत किया तो मैं उनके इस आरोप को स्वीकार करता हूं। लेकिन यदि भावना से उनका मतलब यह है कि मैंने तर्क को तिलाञ्जलि दे दी तो मैं उनसे कहूंगा कि वे कृपया मेरे निवेदन को और अपने वक्तव्य को पुनः पढ़ने का प्रयत्न करें। श्रीमन्, माननीय बहुगुणा जी ने जो कुछ इस विषय में कहा उससे मुझे मंत्रिमंडल का जो रुख इस संकल्प के विषय में हो सकता है उसका संकेत होता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तो कुछ भी नहीं कहा, वह उसको उचित नहीं समझते, लेकिन उनका संकेत यही था कि उनका विचार है कि इस तरह की मांग अनावश्यक है, आज उसको आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत प्रयत्न किया उनके वक्तव्य को बार-बार पढ़ने का, उन कारणों को ढूंढ़ने का, जिनकी वजह से वह यह परामर्श दे सकते हैं कि आज इस मांग की आवश्यकता नहीं है।

मैंने श्रीमन्, इस संकल्प में केवल एक प्रार्थना की है। एक तो मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है इस समस्या की ओर, उसकी गम्भीरता की ओर और उसकी आवश्यकता की ओर। और यह संकेत करते हुए केवल यह मांग की है कि सरकार कृपा करके ऐसी एक कमेटी स्थापित करे जिसमें सरकारी अधिकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति हों जो इस समस्या के सभी पहलू विशेषतया देश में प्रचलित ऐसी प्रमुख संस्थाओं के संचालन का अध्ययन करके उसके उपचार के उपाय बतायें।

श्रीमन्, जब माननीय बहुगुणा जी या मंत्री जी या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि यह समस्या हमारे प्रदेश में है, इसका उपचार भी आवश्यक है तब फिर या तो वह यह कह दें कि यह हमारी सारी कोशिशें जिसके लिये मैंने इस संकल्प द्वारा मांग की है वह सरकार कर चुकी तब मुझे बड़ा हर्ष होता और मैं खुशी से यह कहता कि जो मैंने मांग की थी यदि सरकार वह सारे पत्र स्वीकार कर चुकी तो पुनः मुझे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अफसोस यह है कि इस विषय में मैं उतना ही अंधकार में रहा जितना उनके भाषण सुनने से पहले था। उन्होंने बताया कि १९४९ में जो कमेटी बनी थी उसकी रिकमन्डेशन्स पर गौर किया गया। उन्होंने हमसे यह कहा उसके बाद १९५१ में हिन्दुस्तान में सेन्सस हुआ इसलिये सरकार ने यह आवश्यक नहीं समझा कि उसके बाद कोई और सर्वे की जाय। उन्होंने हमसे यह कहा कि १९५५ में भी सरकार ने इस विषय में इन्क्वायरी की। क्या इन्क्वायरी की, उसका क्या रूप था, क्या उसकी परिधि थी इस पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। १९४९ की कमेटी की जो बात है वह तो श्रीमन्, वह मैं आपकी आज्ञा से सदन को बताना चाहता हूं कि उस अनाथ अथवा बिडोज वाली कमेटी का कोई सम्बन्ध इस समस्या से नहीं था। जब २७-११-१९४८ को उस कमेटी की शुरू में टर्म्स आफ रिफ्रेंस कायम हुई तो उसमें भिक्षावृत्ति का उल्लेख भी नहीं था। बाद को उसकी पुनः जब आवश्यकता समझी गई तो बाद में उनके टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में जरा-सी बात बढ़ाई गई और केवल इतना बढ़ाया गया कि म्युनिसिपैलिटीज में जो डिसएबिल्ड भिक्षुक हैं, उनके बारे में भी यह कमेटी विचार कर सकती है, उसमें २ सीमायें बांधी गईं एक तो केवल म्युनिसिपैलिटीज के भीतर की और दूसरे डिसएबिल्ड भिक्षुक जो हैं उन्हीं के बारे में यह कमेटी विचार कर सकती थी।

इसके बाद सन् १९५१ का सेन्सस आया, उसमें बड़ी लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम दुनिया के तमाम देशों की सेन्सस रिपोर्ट पढ़ें तो कहीं भी भिक्षावृत्ति आकुपेशन के रूप में नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे यहां भिक्षा को आकुपेशन के रूप में स्वीकार किया गया

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

है, सेन्सस रिपोर्ट में आंकड़े तो जरूर दिये हुये हैं, लेकिन उसके निराकरण के साधनों पर विचार नहीं किया गया और न उसमें उन पर कोई विशेष प्रकाश ही पड़ता है। इसके बाद सन् १९५५-५६ में सर्वे की बात कही गई, ४ शहरों में सर्वे हुआ, लेकिन केवल इतने से ही समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। माननीय बहुगुणा जी ने उदाहरण देकर कहा कि बेगर्स होम्स जो हरिद्वार आदि में हैं, उनमें भिक्षुक लोग नहीं आते। प्रश्न यह है कि वह क्यों नहीं आते? इसके कारण क्या हैं? इस पर भी जरा सोचने की कोशिश की जाय।

समय परिमित है इस लिये केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो रुपया आज हमारी सरकार इस समस्या को सुलझाने में व्यय कर रही है, मेरा निवेदन है कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है और वह इसलिये कि जिला स्तर पर जो काम होते हैं वे पूरे नहीं होते हैं। सोशल वेलफेयर आफिसर हैं वह भी समस्या को नहीं समझ पाये हैं और उसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश में अभी तक इस समस्या का न कोई समाधान हुआ है और न कोई व्यक्ति सरकार के पास ऐसा है कि जिसने सारी समस्या को समझा हो और यदि मंत्री जी बतायें कि कोई आदमी ऐसा है कि जिसने तमाम समस्या को सर्वेक्षण के रूप में समझा हो तो दूसरी बात है, लेकिन जहां तक मैंने जानने की कोशिश की है हमारे सूबे की सरकार के पास कोई ऐसा आदमी नहीं है। इसलिये मेरी यही प्रार्थना है कि मंत्री जी मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस प्रस्ताव के बारे में गवर्नमेंट का क्या रुख है और क्या नीति है, इसका जिक्र करूं मैं माननीय प्रस्तावक महोदय की उन भावनाओं का आदर करता हूं जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा है। मैं उन माननीय सदस्यों की भावनाओं का भी आदर करता हूं कि जिन्होंने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं प्रस्तावक महोदय को धन्यवाद इसलिये भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को सदन में रखकर यह अवसर माननीय सदस्यों को और सरकार को दिया है कि इस सम्बन्ध में क्या विचार सदस्यों के हैं वह सरकार को मालूम हो जायं और मुझे भी मौका दिया है कि मैं सरकार की नीति को सदन के सामने रखूं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी सुझाव हमारे सामने आये हैं उन पर सरकार पूरे तौर से विचार करेगी।

हमारे लिये इस समय यह तो सम्भव नहीं है, जिसके कारण भी मैं माननीय सदस्यों को बतलाऊंगा कि मैं इस प्रस्ताव को इस समय स्वीकार कर सकूं। मैं यह जरूर बताना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य है कि सरकार की ओर से भिक्षुकों के लिये कोई प्रबन्ध होना चाहिये और सरकार और समाज की तरफ से उनकी सहायता होनी चाहिये उससे हम सहमत हैं। यह समस्या इतनी विषम है, इतनी गम्भीर है और मैं समझता हूं कि देश और समाज के लिये यह बहुत कलंक की बात है कि हमारे प्रदेश में भिक्षा मांगने वालों की संख्या इतनी अधिक है। इसके कारण भी बहुत से हैं और उनको बिना समझे यदि हम यह कोशिश करें कि भिक्षावृत्ति को रोक दें तो यह नामुमकिन सी बात है। इस समय आज जो देश की परिस्थिति है उसमें यह व्यावहारिक बात नहीं है, क्योंकि जो साधन हमारे पास हैं उनको देखते हुए यह सम्भव नहीं मालूम होता कि इतनी बड़ी समस्या के लिये हम कुछ इंजताम कर सकें। आज हमारे यहां भिखारियों की संख्या हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में है। हमने कुछ जगहों में, बड़े शहरों में सर्वे कराया तो मालूम हुआ कि वहां पर उनकी ४-४ और ५-५ हजार की तादाद है। इसके साथ-साथ हमें यह भी मालूम हुआ, यहां भी और दूसरे सूबों से भी कि अगर आप इन भिक्षुकों को पुअर हाउसेज या आश्रमों में रोकना भी चाहें तो वे वहां रहना पसन्द नहीं करते और अगर रहते भी हैं तो नगरों में उनकी जगह फिर दूसरे और भिक्षुक आ जाते हैं। भिक्षा मांगने के अनेक कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कुछ व्यक्ति आदी हो गये हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वे मजबूर होकर भिक्षा मांगते हैं, उनको भिक्षा मांगनी पड़ती है और ऐसे भिक्षा मांगने वाले व्यक्तियों के लिए जब तक रोजगार का कोई इंतजाम न हो तब तक

उनसे यह कहना कि वे भिक्षा न मांगें ठीक न होगा। जब तक हम उनको कोई आलटरनेटिव पेशा नहीं देते, कोई रोजगार नहीं देते जब तक उनको भिक्षा मांगने से रोकना उनके लिये और समाज के लिये घातक होगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि हम जिन व्यक्तियों से चाहते हैं कि वे भिक्षा न मांगें उनको हम आलटरनेटिव रोजगार का जरिया भी दें जिससे कि वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। यदि हम उन्हें जेल में या पुअर हाउसेज में रखें तो हमारे सामने समस्या आयेगी कि हम उनके लिये खाना कहां से लायें और किस तरह से उनसे काम लें। आज इतनी बड़ी संख्या के लिये हमारे पास कोई काम नहीं है। जो कुछ कोशिश इस सम्बन्ध में सरकार की है वह काफी नहीं है। हमारी पूरी कोशिश पंचवर्षीय योजना के जरिये से है कि देश की बेकारी दूर हो इस कारण कारखाने खोले जा रहे हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने का भी इंतजाम हो रहा है और बहुत से तरीके सरकार की तरफ से चलाये जा रहे हैं, जिससे अधिक संख्या में देश के निवासियों को काम मिल सके। आज बेरोजगारी हमारे यहां इतनी ज्यादा है कि उसे दूर करने के लिये अभी हमें बहुत सी स्कीम्स चलानी होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहां सबसे बड़ा कारण भिक्षावृत्ति का यही है कि लोगों के पास काम नहीं वह लाचार हो जाते हैं और परिवार का और अपना पेट भरने के लिये मजबूरन भिक्षा मांगते हैं। हम इसको कानून से रोकने की कोशिश करें तो सम्भव है कि कुछ व्यक्तियों को हमें जेल में रखना पड़े, लेकिन उनके परिवार का इन्तजाम हम नहीं कर सकते। हमें तो यह सोचना है और इस तरह से कोशिश करनी है कि जितने भी कम व्यक्ति भिक्षा के लिये जायं उतना ही अच्छा है और उनको हम किसी और काम पर लगा सकें और जो कुछ मौजूदा परिस्थिति में हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों का ध्यान मैं कुछ उन योजनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनको सरकार ने अपने प्रदेश में शुरू कर दिया है। हरद्वार में ऐसे भिक्षुओं के लिये जो अपंगु हैं पीपुल्स होम खोला गया है और यह हमारी कोशिश है कि जहां-जहां हो सकता हो वहां-वहां इस प्रकार के और गृह खोले जायं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से खोले, म्युनिसिपैलिटीज खोलें या गैर-सरकारी संस्थाओं को खोलने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। अगर हमारी कोशिश जारी रही, जनता का सहयोग प्राप्त होता रहा, माननीय सदस्य दिलचस्पी लेते रहे तो जो भिक्षुक अपंगु हैं उनके लिये कम से कम हम कुछ न कुछ इन्तजाम अवश्य कर सकेंगे। यह समाज का कर्त्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि ऐसे व्यक्तियों की कुछ सहायता करें, ऐसे व्यक्तियों के लिये कुछ जरिया निकालें, जिससे वे दोनों वक्त कम से कम खाना खा सकें और अगर उनसे कुछ काम लिया जा सकता हो तो काम भी लिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरद्वार में जो पीपुल्स होम खोलने की बात वे कह रहे हैं तो उसमें कितने अपाहिज रक्खे जा सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। जब तक वे बैठे नहीं तब तक माननीय सदस्य कोई प्रश्न नहीं कर सकते, सिर्फ प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया जा सकता है।

आचार्य जुगल किशोर—मेरा खयाल है कि अपंगु व्यक्तियों का कुछ न कुछ इन्तजाम हम अगले या १० वर्षों में अवश्य कर सकेंगे। हरद्वार में जो भिक्षुक गृह सरकार ने खोल रक्खा है उसके अलावा वहां पर साधू सभा की तरफ से भी एक भिक्षुक गृह है जो स्वस्थ भिक्षुकों को भी दाखिल करता है और उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करता है। परिवार के आदमी आकर अगर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। इसी तरह से लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस आदि कई स्थानों पर इस तरह के गृह खोले गये हैं और नान-आफिशियल एजेंसीज के जरिये से यह कोशिश की जा रही है कि ऐसे भिक्षुओं को कुछ आश्रय दिया जाय, उनको रिहेबिलिटेट किया जाय और उनको अपने घरों पर पहुंचाया जाय। गवर्नमेंट ने

[आचार्य जुगल किशोर]

पिछले दो-तीन साल में कई लाख की ग्राण्ट्स भी दी ह और आगे जहां-जहां भी ऐसी संस्थाए खुलेंगी उनको हम काफी अच्छी ग्राण्ट्स देंगे।

हमारे प्रस्तावक महोदय प्रदेश में इस तरह की एक सर्वे इंक्वायरी इस विषय में कराना चाहते हैं। उनकी शिकायत यह है कि सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं, कोई सूचना नहीं है जिससे वह इस कार्य को पूरी तौर से कर सकें। इसलिये वे चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा विशेषज्ञ हमारे प्रदेश में हो जाय तो समस्या को हल करने में आसानी होगी। मैं जानता हूं कि विशेषज्ञ के फायदे होते हैं और हमारे विभाग में कुछ ट्रेण्ड आदमी हैं जिनका खास काम यह है कि उस समस्या को हल करने की कोशिश करें। हमने अपने शहरों में जहां कल्याण समितियां कायम की हैं, उनमें आदेश दिया है कि भिक्षुओं की समस्या बड़ी जटिल है। इसलिये जिस अवस्था में वह रहते हैं, उनको जो दिक्कतें हैं, उनका अध्ययन करके हमारे पास रिपोर्ट भेजें तो जो कुछ हम मदद कर सकते हैं, इन कल्याण समितियों द्वारा, करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। यह नहीं है कि हमारी तरफ से कोशिश नहीं हो रही है। यह भी नहीं है कि हमारे यहां इसके विशेषज्ञ न हों। हां, यह हो सकता है कि जिस कोटि के विशेषज्ञ वह चाहते हैं सम्भव है वह न हों, लेकिन इस दिशा में अनुभव प्राप्त किया जा रहा है। यह बात नहीं है कि गवर्नमेंट के सामने यह प्रश्न नहीं है और हमारे यहां विशेषज्ञ नहीं हैं बल्कि हमारे यहां साधनों की कमी है जिनके कारण जिस हद तक हम भिक्षुकों को आश्रय देना चाहते हैं वह नहीं दे पा रहे हैं। यही सब से बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हम करना चाहते हैं।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, लेजिस्लेशन की है, कानून बनाने की है। माननीय अवस्थी जी ने इसका विरोध किया है और मैं भी चाहता हूं कि कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस समस्या को कानून बना कर हल करने से तो हम एक नई समस्या पैदा कर सकते हैं। मैं भी इससे सहमत हूं कि कानून के जरिये इसको बन्द करना ठीक नहीं होगा। हम जानते हैं कि बहुत से लोग मजबूरी हालत में भिक्षा मांगते हैं। ऐसी हालत में हम उनको दोषी कैसे कह सकते हैं। हम उनको दोषी उसी हालत में मान सकते हैं जब समाज उनकी रोजी का इंतजाम कर दे। फिर भी वह भिक्षा मांगें और काम न कर सकें तब तो उनको दंड दिया जाय अन्यथा दंड देना ठीक नहीं होगा। इस तरह से भिक्षावृत्ति को रोकने से तो हम एक और समस्या पैदा कर देंगे जो हमको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिये लेजिस्लेशन का लाना ठीक नहीं है। म्युनिसिपल ऐक्ट में सुधार किया जा सकता है उसमें जो कुछ संशोधन ला सकते हैं उनको लाने की कोशश की जानी चाहिये। हम म्युनिसिपैलिटी से कह सकते हैं कि वह इस तरह से गृह खोले और अपने यहां इस तरह का कानून इस्तेमाल में लावें। इस पर विचार हो रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि कब तक हम इसको ला सकेंगे और उसकी क्या शकल होगी? लेकिन यह जरूर है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि किस तरह से यह कानून लाया जा सकता है, जिससे इस समस्या को हम हल कर सकें।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे देश में भिक्षा मांगने की एक धार्मिक परम्परा चली आ रही है और हम इसकी इज्जत करते हैं। इसलिये कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते थे जो अपनी सेवाएं ईश्वर के चरणों में या जनता के लिये अर्पण कर दिया करते थे और अपना धर्म समझते थे कि बिना कमाये हुये भिक्षा मांग कर अपना सारा समय सेवा में व्यतीत करें। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं, गो हमको इस बात के निर्णय करने में बड़ी मुश्किल पैदा होती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो धार्मिक भावना से भिक्षा मांगता है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो केवल आलस के कारण भीख मांगता है। कानून बनाने में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किन व्यक्तियों को दोषी ठहरायें। इसके लिये विचार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि थोड़े समय के बाद कोई न कोई हल निकालने में हम सफल हो सकेंगे, जिससे इस तरह का कानून बना सकें या गृह बना सकें जिनमें हम इस तरह के भिक्षुओं को आश्रय दे सकें और उनको काम दे सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, उसका जिक्र किया और जो कुछ गवर्नमेंट चाहती है उसके सम्बन्ध में भी मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्द से जल्द भिक्षावृत्ति बन्द हो, लेकिन केवल गवर्नमेंट के जरिये से ही यह नहीं हो सकता है। हम चाहते कि समाज भी इसमें अपना हिस्सा ले। समाज का नैतिक स्तर ऊंचा करने के लिये आज इस बात की जरूरत है कि ऐसे व्यक्ति जो भिक्षा मांगने के लिये लाचार हैं उनकी संस्था बना कर काम पर लगाने की कोशिश करें। अगर समाज के व्यक्ति अपने इस कर्त्तव्य का पालन करेंगे तो वे न केवल इस समस्या को हल कर सकेंगे, बल्कि वे समाज का स्तर ऊंचा कर सकेंगे। आज यह कहना कि गवर्नमेंट ही करे यह काफी नहीं है। गवर्नमेंट के साथ-साथ आप लोगों का भी फर्ज है कि बेकार आदमियों को काम दिलाने की कोशिश करें। अकेले गवर्नमेंट से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। यह मैं माननीय सदस्यों के सामने कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में इस तरह की संस्थाएं कायम कर के समाज का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तब मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ इस समस्या को हल करने में कामयाब होंगे और हमारा नैतिक स्तर भी ऊंचा होगा। अन्त में मैं प्रस्तावक महोदय से यही आशा करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को वापस लेंगे। इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि आज गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में काफी चिन्तित है, परन्तु मुझे पूरी आशा है कि जनता के सहयोग से हम इस काम को जल्दी पूरा कर सकेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिन माननीय मंत्री जी से बड़े विनम्र शब्दों में यह कहा था कि.....

श्री अध्यक्ष---आप से मैं एक ही बात पूछ रहा हूं कि आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं या प्रेस करते हैं?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या मुझे यह आज्ञा है कि मैं दो, चार शब्द कह कर....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---तो जब माननीय मंत्री जी का विचार है और यह उनका आश्वासन है तो मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---डिवीजन, सर।

श्री अध्यक्ष---अब तो मैं नतीजा घोषित कर चुका, आपको उसी वक्त कह देना चाहिये था।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं खड़ा तो हुआ था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आपने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं देखता हूं कि जब भी कभी डिवीजन की मांग होती है तो उसका मौका ही नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष---आप यहां शिक्षा नहीं दे सकते। आप अध्यापक हैं तो सदन के बाहर नसीहत दे सकत हैं।

चकबन्दी की उपयोगिता जांचने के लिए जांच समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संकल्प उपस्थित करता हूं :—

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में होने वाली चकबन्दी का कार्य तत्काल स्थगित कर के वर्तमान ढंग से होने वाली चकबन्दी की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की जांच करायी जाय और तदर्थ एक जांच समिति नियुक्त की जाय, जो अपनी रिपोर्ट ६ माह के अन्दर प्रस्तुत करे।"

जांच समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत किये जायंगे।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत प्रदेश के २६ जिलों की २० तहसीलों में चकबन्दी का कार्य चल रहा है। सम्भवतः इस महीने १ दो महीने में दो, चार तहसीलों में यह कार्य और भी आगे बढ़ा हो। चकबन्दी का कार्य सुल्तानपुर जिले की मुसाफ़िरखाना तहसील में लगभग समाप्त हो गया है। २४ और जिलों में भी उनके ३,५०३ गांवों में कब्जे का परिवर्तन हो चुका है। दूसरी जगहों में भी यह कार्य आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आज प्रदेश में जब चकबन्दी का कार्य चल रहा है तो उसको स्थगित कराने का प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किया गया। आमतौर से जिस समय से चकबन्दी का काम शुरू हुआ है बहुत से किसानों में इसके प्रति एक बड़ा विरोध उत्पन्न हुआ। यद्यपि किन्हीं-किन्हीं भागों में और कहीं-कहीं से इस बात का समर्थन करने की चेष्टा भी की गई, लेकिन आमतौर से सारे प्रदेश में इसका विरोध हुआ और इसका विरोध इस लिये हुआ कि चकबन्दी का जो सारा काम शुरू हुआ उस से आमतौर से किसानों की जिस धारणा के आधार पर यह कार्य शुरू किया गया था उस धारणा को पुष्टि नहीं मिली और इसी लिये किसानों ने इसका विरोध जगह-जगह पर किया। इसके विरुद्ध सभाएं कीं, जगह-जगह पर प्रदर्शन किये और ऐसे भी अवसर आये हैं कि जब प्रदेश के कोने-कोने से किसानों ने आ कर सचिवालय के सामने प्रदर्शन किये हैं। मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी को भी उन्होंने अपनी मांगें समर्पित की हैं।

मान्यवर, चकबन्दी का काम सामाजिक सुधार का काम नहीं है। चकबन्दी का काम एक आर्थिक सुधार का कार्य है और जब प्रदेश में या देश में कोई सामाजिक सुधार का कार्य हो रहा हो तो उस समय यह कहा जा सकता है कि समाज सुधार के जितने काम हों वे कंपल्शन से करना ही चाहिये और करने पड़ते हैं। लेकिन उनके लिये भी जिस समय इस तरह का कंपल्शन लागू किया जाता है तो आवश्यकता इस बात की होती है कि उनके लिये भी जनमत तैयार किया जाय। लेकिन खास तौर से जब आर्थिक सुधार का कार्य शुरू किया जा रहा हो, उस समय तो अत्यधिक इस बात की आवश्यकता है कि इस तरह का जनमत तैयार किया जाय जो इसके पक्ष में हो। मुझे दुःख है कि सरकार ने यह योजना तो लागू की, लेकिन इस तरह का कोई जनमत तैयार नहीं किया है और उसका यह परिणाम हुआ कि आज प्रदेश के काफी किसान इस चकबन्दी योजना के विरोध में हैं। मेरा निश्चित मत है कि जिन गांवों में चकबन्दी का काम शुरू किया जाय वहां पर ५१ प्रतिशत लोगों की राय इसके सम्बन्ध में होनी चाहिये और जब खेती करने वाले किसानों में ५१ प्रतिशत की राय इसके पक्ष में हो तभी इस कार्य को वहां शुरू करना चाहिये। यदि गांव के लोग अपने यहां चकबन्दी नहीं कराना चाहते हैं या वे यह समझते हैं कि यह योजना उनके लिये लाभदायक नहीं है तो योजना चलाने वालों का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह उनके ऊपर ऐसी योजना जबर्दस्ती न लादें, जिससे वे अपना अहित समझ रहे हों।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, विकास के कार्य में जो कार्य-विकास के लिये होते हैं उनमें सदैव सरकार को सहायता करनी चाहिये । चकबन्दी के लिये सरकार सदैव यह कहती है कि यह खेती के विकास का कार्य है । किसी भी विकास के कार्य के लिये न तो किसी तरह की लेवी लगाने की आवश्यकता है और न किसानों से किसी तरह का टैक्स ही लेना चाहिये । मुझे खेद है कि सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये किसानों से ४ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से टैक्स लेती है, खर्चे के रूप में । जब यह विकास कार्य है, आप यह समझते हैं कि इस कार्य से देश और प्रदेश समृद्धशाली होगा, उपज बढ़ेगी, तो फिर इस बात की क्या आवश्यकता है कि आज किसान के ऊपर ४ रुपया फी एकड़ के हिसाब से खर्चे का बोझ लादा जाय ?

मान्यवर, इतना ही नहीं है । यह तो मुख्य बातें मैंने आप से निवेदन कीं । यह जो योजना चल रही है और इसकी जो कार्यप्रणाली है वह कितनी खराब है इसका पता तो उस समय चलता है कि जब किसानों से इसके संबंध में राय पूछी जाय और किसानों से पता चलाया जाय कि तुम्हें इस चकबन्दी योजना से क्या लाभ हो रहा है । मुझे दुख है यह कहते हुए कि किसान चकबन्दी को एक उपनाम दिये हुए हैं और वे इस चकबन्दी को चकमाबन्दी कहते हैं । आप किसी भी किसान से बात करें, किसानों के किसी डेपुटेशन से मिल कर देखें तो फौरन वह यही कहेगा कि सरकार हमारे लाभ के लिये चकबन्दी की योजना नहीं कर रही, बल्कि चकमा-बन्दी योजना लागू हुई है जो हमें बरबाद करने की कोशिश करती है । परन्तु जो भूमि-चकबन्दी-समिति है उनके लिये कहा गया कि कानून के मुताबिक उस समिति की राय से हर एक जगह पर चकबन्दी का काम चलेगा, लेकिन कहीं पर भी चकबन्दी समिति की न तो किसी तरह से राय ली जाती है और न खाना पूरी की जाती है कि जो चकबन्दी समिति की मार्फत होनी चाहिये । चकबन्दी कानून के अन्तर्गत यह माना गया है कि प्रदेश में ३, ४ तरह की जमीनें हैं ।

मान्यवर, एक अंक 'पशुपालन' फरवरी मास का है उसमें इस सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश में भूमि अनुसन्धान कार्य के अन्तर्गत यह माना है कि पच्छिमी क्षेत्र अलीगढ़ में ६ प्रकार की भूमि की जातियां पाई गई हैं । पूर्वी क्षेत्र बनारस में ९ प्रकार की भूमि की जातियां निश्चित की गईं । यह तो अनुसन्धान कार्य के अन्तर्गत केवल इस प्रदेश के ३, ४ जिलों का ही पता चला है जहां पर भूमि की इतनी जातियां हैं, लेकिन हमारी चकबन्दी की योजना के अन्तर्गत केवल २, ३ तरह की भूमि मानी गई है । इससे किसानों की, जिनके पास अच्छी किस्म की जमीनें हैं उनसे जमीन छीनी जाती है । इसका असर छोटे किसानों पर पड़ता है जो किसान इस लायक नहीं है कि वह अभीष्ट साधन पा सकें और जो इस लायक नहीं है कि चकबन्दी अफसरों की जेब गरम कर सकें । उन किसानों को अच्छी किस्म की जमीन नहीं मिल पाती है । उनको खराब जमीन प्राप्त होती है । अच्छी जमीन ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जो साधन जुटा सकें और अफसरों को किसी तरह से खुश रख सकें । वही अच्छी जमीन प्राप्त कर सकते हैं । जिनके पास छोटे खेत हैं और जो साधारण किसान हैं उनको वह नहीं मिल पाती है । सरकार के इस काम का विरोध किया जाता है और सरकार इसमें इतनी जल्दी कर रही है कि जो फार्मलिटी इस कार्य प्रणाली को पूरा करने के लिये सरकार को करनी चाहिये वह नहीं की जाती हैं । कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मातहत यह तय है कि :

"Delivery of the possession and the demarcation will be made on the spot."

एक चौपाल में बैठ गये या अपने दफ्तर में बैठे-बैठे यह सब कार्यवाही कर दी गई और कह दिया गया कि आन दि स्पाट सब कार्यवाही हो गई । जमीन को देखा भी नहीं कि वह खराब है या बुरी है, लेकिन चौपाल में बैठ कर सब काम पूरा कर लिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि यह सब काम आन दि स्पाट हो गया । यही नहीं मान्यवर यह भी कहा गया है कि :

"Publication of the draft consoliadation scheme shall be done by reading it out before the Gaon Samaj and placing a copy at the office of the Gaon Samaj and be open for inspection for a week."

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

गांव समाज का इस तरह से कोई भी काम या इसकी पूर्ति में समझता हूं कि कहीं पर भी नहीं होती । जितनी गांवों की संख्या दी जाती है कि इतने में चकबन्दी हुई है वह पूरा काम नहीं होता है । यह सब काम कागज पर ही लिखा रहता है कि इतनी जगहें यह स्कीम लागू कर दी गयी ।

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—जनाब ने कितने गांवों में तहकीकात की है ? १३,००० गांवों में चल रही है । तो कितने गांवों में ऐसा नहीं हुआ है ?

श्री भगवतीसिंह विशारद—अच्छा हो कि मंत्री जी जरा सुनते रहें, जरा कड़ वी बात जरूर है, बात पूरी सुन लें ।

जिन गांवों में बाढ़ें आती हैं, नदियों के किनारे जमीन ऊंची नीची हैं, वहां भी चकबन्दी की जा रही है । वहां के लोग बराबर इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां मुश्किल से एक भी फसल अच्छी तरह से नहीं हो पाती है । वे कहते हैं कि आप हमारे यहां चकबन्दी न कीजिये । वहां पानी भरा रहता है, हर साल बाढ़ में छूट दी जाती है और सब काम होते हैं, लेकिन चकबन्दी के लिये उसे बाढ़ क्षेत्र नहीं माना जाता है । वहां चकबन्दी की जाती है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे साथ चलें और वहां का मुलाहिजा फरमावें जहां कि लोग यह कहने के लिये तैयार हैं कि हमसे घूस ली गई है और जब जमीन दी गई है या घूस लेकर भी चकमा दिया गया है और अच्छी जमीन नहीं मिली है । ऐसी चकबन्दी की व्यवस्था से असन्तोष होना स्वाभाविक है ।

दूसरी तरफ मंत्री जी की ओर के लोग यह कहते हैं कि चकबन्दी से संतोष है, तो फिर उनके हमारे साथ चलने में क्या एतराज है ? मैंने तो प्रस्ताव में ही साफ-साफ कह दिया है कि केवल एक काम कर दीजिये कि एक कमेटी बैठा दीजिये जो सिर्फ इतना देख ले, उसका और कोई काम न हो, कि चकबन्दी से कोई उपयोगी कार्य हो रहा है या अनुपयोगी । यदि वह राय दे कि चकबन्दी से उपयोगिता बढ़ रही है तो हमें भी खुशी होगी और हम अपने को मंत्री जी की राय का बना लेंगे । यदि उस समिति ने यह राय दी कि इससे कोई उपयोगी कार्य नहीं हो रहा है तो फिर सबको इस बात के सोचने का मौका मिलेगा कि इस काम को कैसे सुधारा जाय । जब हमारे मित्र अपने विचार रखते हुये आशंकाएं प्रकट करेंगे तो मैं अपने उत्तर में उनका निवारण करूंगा ।

इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव को मैं प्रस्तुत करता हूं और मुझे विश्वास है कि वे सब लोग प्रदेश के किसानों के हित के लिये और उनके बढ़ते हुये विरोध को दूर करने के लिये मेरे संकल्प को स्वीकार करते हुये उसके अनुसार एक जांच समिति बनाने के बाद उसकी कार्यवाही आगे बढ़ाई जावेगी ।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विशारद जी के प्रस्ताव में यह संशोधन करना चाहता हूं कि पंक्ति १ में शब्द "कार्य" के बाद के सब शब्द निकाल दिये जावें और उनके स्थान पर ये शब्द रख दिये जावें,"संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है । कुछ कारणों से गरीब छोटे-छोटे किसानों तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की हकतलफी और परेशानी बढ़ रही है । अतः चकबन्दी विधेयक में तत्काल संशोधन करके उसकी खामियों को दूर किया जाय और कार्यपद्धति में शीघ्रातिशीघ्र सुधार किया जाय ताकि यह महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके ।"

श्रीमन्, इसका नया रूप यह हुआः "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में होने वाली चकबन्दी का कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है, कुछ कारणों से गरीब, छोटे-छोटे

किसानों तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की हकतलफी और परेशानी बढ़ रही है । अतः चकबन्दी विधेयक में तत्काल संशोधन करके उनकी खामियों को दूर किया जाय और कार्यपद्धति में शीघ्रातिशीघ्र सुधार किया जाय ताकि यह महत्त्वपूर्ण कार्य पूर्ण सफलता प्राप्त कर सके ।"

अध्यक्ष महोदय, विशारदजी का प्रस्ताव अव्यावहारिक है । चकबन्दी विधेयक इस सदन में उत्साह से पास हुआ था और सूबे की जनता ने उसका पूर्ण समर्थन किया था । यहां तक कि जिन-जिन जिलों में यह लागू किया गया वहां हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होते थे और उत्साहित होते थे और खासकर वे लोग जिनका कहीं पहले नाम ही नहीं था । विशारद जी चाहते हैं कि चकबन्दी स्थगित की जाय और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद सोचा जाय कि यह काम चलाया जाय या नहीं । ऐसी दशा में आज जो हजारों कर्मचारी इसमें कार्य कर रहे हैं तो क्या वे इतने दिनों तक बैठे रहेंगे ? इसलिये यह प्रस्ताव नहीं जंचता है । माल मंत्रीजी ने जहां चकबन्दी हो रही है वहां एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जो स्टेट लेविल पर भी है जिसमें सरकारी, गैर-सरकारी और मुकामी जनप्रतिनिधि भी शरीक होते हैं । उन्हें भ्रष्टाचार रोकने के भी अधिकार हैं, चकबंदी की कठिनाइयों को जानने और सुझाव देने के भी अधिकार हैं । इससे विशारद जी का मतलब हल हो जाता है । जहां चकबंदी हो रही है वहां की रिपोर्ट प्राप्त करने से उन्हें मालूम होगा कि चकबंदी से लाभ हो रहा है या नहीं । किसी राष्ट्र के आजाद होने पर सबसे बड़ी समस्या भूमि व्यवस्था की आती है । सभी राष्ट्रों ने इसे हल करने की कोशिश की है और शनैः शनैः आगे बढ़ने की कोशिश की है । जैसा हमारे प्रदेश में यह काम आगे बढ़ा है वैसा सारे देश में कहीं भी इतना आगे कदम नहीं बढ़ाया गया है ।

प्रदेश में गांवों की संख्या १,११,७७२ है तथा ४,६८,९६,६७१ व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हैं इसमें ३६,१२,२०९ खेतिहर मजदूरों के परिवार हैं और लगभग साढ़े ६ करोड़ की आबादी है ।

ऐसी सूरत में, श्रीमन्, जो कठिनाई हमारे सामने आती है अगर उससे घबरा कर अच्छी चीज को हम स्थगित कर दें तो यह कोई अच्छी बात न होगी ।

इसके अतिरिक्त एक बात मैं और आपके सामने रख देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो उत्तर प्रदेश की जमीन की समस्या है वह बहुत ही कठिन है । यहां पर आबादी ज्यादा है और जमीन कम है । अन्य प्रदेशों के मुकाबले में जहां पर आबादी कम है और जमीन ज्यादा है वहां की बनिस्बत हमारे यहां की समस्या कठिन है और इसको हल करने में अधिक कठिनाई पैदा होती है, इसलिये मैंने बजट अधिवेशन में कहा भी था कि जो आपने अधिकतम जोतों के लिये ३० एकड़ रक्खा है वह इतनी ज्यादा है कि उसके द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना करने में हमें बहुत कठिनाई होती है इसलिये उसको कम से कम किया जाय । बाद में मालूम भी हुआ कि माननीय माल मंत्री जी ३० एकड़ को घटा कर साढ़े बारह एकड़ कर रहे हैं । इसको सुन कर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन शायद वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं । मेरा विश्वास है कि कभी न कभी शीघ्र ही वह इसको कर देंगे और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल जायगी ।

श्री चरणसिंह---श्रीमन्, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स की स्कीम से दुनिया भर में यही मतलब होता है कि जो जोतें बिखरी हुई हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाय, लेकिन माननीय सदस्य लैंड के रिडिस्ट्रीब्यूशन पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं । यों तो जमीन के सिलसिले में दुनिया भर की बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इससे रिडिस्ट्रीब्यूशन का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य जरा इसका ध्यान रक्खें ।

श्री नारायणदास पासी---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---कुछ भी बात जुड़ी हुई हो लेकिन चकबन्दी में यह नहीं आती । आपका जो प्रस्ताव है उसमें भी यह बात नहीं है ।

श्री नारायणदास पासी—मैं यह कह रहा था कि आज जब कि चकबंदी हो रही है, ९० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनका कहीं पर भी इन्दराज नहीं, केवल २–२, ४–४– बीघा खेत ही उनके पास हैं, लेकिन इन्दराज न होने की वजह से खेत उनको नहीं मिल पा रहे हैं । मिसाल के तौर पर हमारी तरफ एक बरई कलां सर्किल है .... जो ए० सी० ओ० नं० १ मगलसी परगने में है ।....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप किसी व्यक्तिगत मामले की मिसाल न दीजिये, क्योंकि वह अदालत में जायगा । आप ए, बी, सी, इस तरह कह कर हवाला दे दीजिये । नाम न लीजिये ।

श्री नारायणदास पासी—मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं । वहां पर पूरे सर्किल भर में यही नक्शा है । इस बरई कलां सर्किल में १५ गांव लगते हैं । १०,९५१ एकड़ उसका रकबा है, जिसमें ७,९०१ एकड़ पर खेती होती है । इसमें से नक्शे की गल्तियां ७२४० हैं, कब्जे व सिंचाई की १४,८८६ और खतौनी की १,८७३ गलतियां हैं । इस तरह से २३ हजार से ऊपर गलतियां शोधी गयी हैं कितनों ने इस्तीफे भय से दिये, कितनों ने धोखे में आकर इन्दराज नहीं कराया, फिर भी इन्दराज हुए जो दफा ८ की पड़ताल के बाद में मुतनाजिया ९८६१ मुकदमे हैं, उनमें से ५,०३२ मुकदमे समझौते से तय हुए हैं, ३,९७७ मुकदमे प्रस्तावित इन्दराज हैं और ८५२ मुकदमें के फैसले हुए हैं । फैसला होने के बाद श्रीमन्, १,२०० मुकदमे दफा १२ के पेश हुए । तो ५,०३२ मुकदमे जो समझौते से तय हुए हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और वह यह है कि जिन लोगों का हक था, और जो कब्जेदार थे उनकी जमीन को भी भूतपूर्व जमींदारों ने कहा कि इन पर हमारा कब्जा है, किसानों ने कहा कि हमारा कब्जा है, इस तरह से उसे मुतनाजिया करार दिया गया और उसके बाद समझौते हुए और भूतपूर्व जमींदारों ने आधा, तिहाई जो कुछ भी समझौते से पाया, ले लिया । इस तरह से ५,०३२ मुकदमों में समझौते हुए । उसका असर यह पड़ा कि जो छोटे-छोटे किसान थे, जिनके पास दो-दो, चार-चार बीघे जमीन थी उनके पास एक-दो बीघा जमीन रह गयी । यह तो उनकी रोजी का सवाल था । जो गांव समाज मैनुअल है उसकी दफा १९८ में हमारे माल मंत्री जी ने रखा है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जमीन दी जायगी । उसमें कहा गया है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर वे हैं जिनके पास ३ १/८ एकड़ जमीन कम से कम हो या ५ बीघा पक्का हो, लेकिन हमारा ख्याल है श्रीमन्, कि ५ बीघा जमीन ऐसी जमीन है जो लैंडलेस लेबरर के लिये कही जाती है, लेकिन जहां पर दो-दो चार-चार बीघा हो जमीन उनके पास हो, वहां समझौता कैसा ? उनसे भी समझौते के द्वारा भूतपूर्व जमींदारों ने जमीन ले ली है । तो ऐसी दशा में यह समझौता जो है छोटे-छोटे किसानों के हित में बहुत ही खराब है ।

हमारी तहसील में बहुत से गांवों में चकबन्दी का काम निरस्त है और फिर से दफा १२ की कार्यवाही हो रही है । गलती करें कर्मचारी और सजा भोगे गरीब किसान । श्रीमन्, जांच करायी जाय तो मालूम होगा कि हमारा जिला फैजाबाद सूखा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि से कई सालों से तबाह हो रहा है और किसानों के पास खाने के लिये एक भी दाना नहीं रह गया है । ऐसी दशा में जमींदारों के मुकाबले में वे लोग कैसे आ सकते हैं ? जमींदार लोग पहले से कायदे कानून को जानते हैं, वे कागजात को अच्छी तरह से समझते हैं, जब कि छोटे-छोटे किसान न कागजात को समझते हैं, न कानून को समझते हैं और न उन्होंने कभी अदालत देखी है, फिर वे उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं ?

आजकल चकबन्दी अदालतों की यह हालत है कि जब किसान अपने गवाहों आदि को लेकर वहां जाते हैं तो जमींदार भी वहां जाकर लाठी लेकर बैठ जाते हैं और बुरी तरह धमकाते हैं जिससे वे डर जाते हैं और कुछ का कुछ कह देते हैं । मैं चकबंदी कानून में इस्तीफे के सम्बन्ध में एक थोड़ा-सा संशोधन चाहता हूं । खाते के कागज में जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनका नाम होता है और वे डर से इस्तीफा देकर चले जाते हैं लेकिन उसमें हक तो पूरे परिवार का है । तो इस तरह से एक आदमी के इस्तीफा दे देने की वजह से पूरा परिवार

भूमिहीन होकर हताश बैठा रह जाता है । इसलिये मैं कानून में यह संशोधन चाहता हूं कि ऐसा कर दिया जाय कि अगर एक आदमी इस्तीफा दे भी दे तो उसकी वजह से पूरे परिवार को भूखों मरने की नौबत न आवे ।

दूसरी बात यह है कि जैसे नहरें हैं, सड़के हैं, ट्यूबवेल्स की जमीने हैं, उनको सार्वजनिक करार दिया जाय और इस सिलसिले में किसानों की जो जमीन निकल जाती है उसका भी मुआवजा नकद न देकर चकबन्दी में जमीन दी जाय, ताकि वे अपनी कुछ खेतीबारी कर सकें, नहीं तो वे बिलकुल तबाह हो जाते हैं ।

श्रीमन्, बहुत सी चकबन्दी अदालतों में ८ बजे से ११ बजे रात तक मुकदमे करने का वक्त है, लेकिन होता यह है कि बेचारा गरीब किसान देहात में शहर से १०, २० मील दूर वकील को लम्बी फीसें देकर लाता है, अदालत में ८ बजे से ११ बजे तक बैठा रहता है और अन्त में उसके मुकदमे की कई-कई तारीखें हो जाती हैं, इस तरह से परेशान और हताश होता है । मैं माननीय माल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसको ठीक करने के लिये कार्य पद्धति में संशोधन करने पर विचार करें ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में देश के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ....

श्री अध्यक्ष---पहले आप संशोधन उपस्थित कर दें और दोनों संशोधनों को एक साथ उपस्थित कर दें तो ठीक है ।

श्री झारखंडे राय---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित तरमीम पेश करना चाहता हूं :--

"संकल्प की पंक्ति १ में शब्द 'कार्य' और शब्द 'तत्काल' के बीच में शब्द 'इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को दृष्टि में रख कर' रख दिये जायं ।"

श्री अध्यक्ष---इसके साथ आप नम्बर ४ वाला संशोधन भी पेश कर दीजिये ।

श्री झारखंडे राय---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं ---

"संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द 'एक' और शब्द 'जांच' के बीच में शब्द 'सर्वदलीय एवं विशेषज्ञों की सम्मिलित' रख दिये जायं ।"

अभी हाल में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इस बात की बड़ी जबर्दस्त शिकायत की थी कि राज्य कांग्रेस सरकारों ने भूमि सुधार के मामले में बड़ी ढिलाई दिखाई है । इसके बाद भी हमारे देश के बहुत से सूबों ने इस विषय में कोई खास प्रयत्न नहीं किया । यद्यपि प्लानिंग कमीशन ने चकबन्दी और जमीन के बंटवारे के सम्बन्ध में बातें कही हैं और अभी हाल ही में लोक सभा में श्री अजीत प्रसाद जैन ने भी इस बात की चर्चा की कि खाद्य समस्या के हल के लिये हदबन्दी की ओर कदम बढ़ाये जायं और जमीन का बटवारा हो, लेकिन माननीय माल मंत्री जी इस बात पर आमादा हैं कि हदबन्दी नहीं होगी, और न वह जमीन का बंटवारा करेंगे । उनके हिसाब से तो भूमि सुधार का आखिरी चरण चकबन्दी ही है । चकबन्दी जहां तक कल्पना की वस्तु है, तो यह कोई गलत चीज नहीं मालूम होती । हमारे प्रदेश के सभी किसान इस बात से सहमत नहीं हैं कि चकबन्दी हो, लेकिन फिर भी जहां तक खेतों को मिलाने की बात है और दूसरी बातें इस सम्बन्ध में हैं, उनको भी सोच लेना चाहिये । चकबन्दी होने के बाद जो लाभ होंगे और जिसकी चर्चा माननीय माल मंत्री जी ने की है, उसमें भी किसी की दो रायें नहीं हो सकती हैं, लेकिन चकबन्दी के होने में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो प्रदेश में लूटखसोट चल रही है, उसको अध्यक्ष महोदय, आप भी महसूस करेंगे, तो इस तरह भ्रष्टाचार से आज सारे प्रदेश में इसके प्रति एक तीव्र रोष की भावना पैदा हो गई है । मैं आप को याद दिलाऊंगा और शायद आप को याद भी होगा कि जब सन् १९५३ में यह कानून पेश हुआ था, मुझे याद है कि उस वक्त सिर्फ मैंने इस बिल का विरोध किया था और इसके विरोध में बातें कही थीं, लेकिन आज विरोधी पक्ष के कुल सदस्य इसके विरोध में हैं और कांग्रेस पक्ष के, अन्दाज से, एक तिहाई से कम इसके विरोध में नहीं हैं । जैसा कि अभी आप को श्री नारायण दास जी की स्पीच से मालूम हुआ होगा कि फैजाबाद जिले में चकबन्दी के कारण क्या दुर्व्यवस्था

[श्री झारखंडे राय]

हो रही है, वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला किसी भी जिले से कम नहीं है। आपको जनता की भावना का आदर करना होगा। आखिरकार प्रदर्शन, प्रस्ताव पेश करना तथा दूसरे विरोध करना, इन सभी बातों से सरकार को जनता की भावना का पता चल जाना चाहिये। अगर जनता की भावनाओं का आदर करके आप कोई काम करेंगे, तो वह काम सफल हो सकता है। आप को किसी काम के करने के लिये कुछ साधन और आधार मानने चाहिये।

चकबन्दी जितने जिलों में की गई है जहां पर चुनाव हुये हैं, वहां पर सरकार का गत चुनाव में प्रबल विरोध हुआ है, तो उसके लिये सरकार की चकबन्दी नीति ही जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि ४ साल के अन्दर हमारे प्रदेश में लोगों की जो चकबन्दी-विरोधी भावना हुई है वह किसी आधार पर हुई है। उसका एक मात्र आधार यह भी है कि चकबन्दी होने में आज जो भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है, उससे जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं। बहुत से आदमी बेदखल हो रहे हैं, बहुत से लोगों की जमीन ली जा रही है और कुछ लोगों के हाथ में बहुत सी जमीन एकत्रित हो रही है, तो इससे बड़ा भय पैदा हो गया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को और माननीय माल मंत्री जी को विशेषकर इस पर विचार करना चाहिये। मेरे पास तो सैकड़ों दरख्वास्तें इस विषय में हैं। मैं बदायूं जिले का जिक्र आप के सामने करूंगा। बदायूं जिले की कम से कम डेढ़ सौ दरख्वास्तें मेरे पास ऐसी हैं जिनमें ऐसी शिकायतें हैं कि एक-एक आदमी को सात-सात और नौ-नौ चक मिलें हैं। अगर नौ चक एक आदमी को मिले तो उसको विशेष फायदा क्या होगा जिन लाभों के लिये माननीय मंत्री जी हमेशा निर्देश किया करते हैं।

घूस की शिकायतों की जो दरख्वास्तें मिली हैं उनसे मालूम होता है कि एक गांव में औसतन दो हजार रुपया घूस ली गयी है। ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि एक आदमी जो खेत को जोते हुए है, उसका अब भी कब्जा है, लेकिन चक में नाम ही नहीं, नकशे में नाम ही नहीं है। इस तरह से जो अंधेर हो रहा है उसका फल मंत्री जी खुद भोग रहे हैं। पहले उन्होंने इस सदन में कहा था कि चार पांच वर्ष में पूरे प्रांत में चकबन्दी का काम समाप्त हो जायगा, यह मुझे याद है, लेकिन जब उनका अन्दाजा है कि १४, १५ वर्ष से कम नहीं लगेंगे। पांच वर्ष लग गये और अभी एक तिहाई तहसीलों में ही चकबन्दी हुई है। इस तरह से पूरे प्रदेश के लिये कितना समय लगेगा यह अध्यक्ष महोदय खुद सोच सकते हैं।

चकबन्दी की योजना कल्पना में बड़ी अच्छी मालूम होती है और मेरा विचार है कि मंत्री जी विशेषकर उससे विभोर हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में जो दिक्कतें उसमें पैदा हो रही हैं उनको देख कर चकबन्दी योजना को रखा जाय या नहीं यह बुनियादी विवाद का प्रश्न पैदा हो गया है। मैं समझता हूं कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि क्या चकबन्दी की योजना बिलकुल समाप्त कर दी जाय। क्या इसके आगे का कदम जो कोआपरेटिव फार्मिंग है, उसको ही लिया जाय? जब यह बुनियादी प्रश्न पैदा हो गया है तो चकबन्दी मुल्तवी की बात बहुत ही उचित मालूम होती है। इसको मान ही लेना चाहिए। माननीय भगवती सिंह जी ने जो यह प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं। उन्होंने इस प्रदेश के किसानों की सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने का इस सदन को अवसर प्रदान किया है। आज जब यह बुनियादी प्रश्न पैदा हो गया है कि चकबन्दी को कतई खत्म कर दिया जाय, तो उनका जो प्रस्ताव है कि चकबन्दी मुल्तवी कर दी जाय और इस पर जांच करायी जाय, नरम मांग है। उसके मुल्तवी करने में तो कोई अड़चन ही नहीं होनी चाहिये, न माननीय मंत्री जी को हठ ही पकड़नी चाहिये। हठयोग से कोई लाभ नहीं होता है।

मैं समझता हूं कि मुल्तवी करने के बाद जांच करने के लिये जो इसकी कमेटी बने उसमें केवल एक्सपर्ट ही न रखे जायं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आपको भी इस बात का ज्ञान होगा कि एक्सपर्ट लोग जो डेस्क वर्क करते हैं उनका जनता से सीधा सम्बन्ध नहीं होता है जितना कि यहां बैठे हुए लोगों का और आप का है। अगर एक्सपर्ट्स और जनता के प्रतिनिधियों

की मिली जुली कमेटी बनायी जाय तो मेरा अनुभव है कि वह सही मानी में जो नतीजा निकालेगी और उसकी रिपोर्ट से माल मंत्री जी को और सरकार को लाभ होगा। उसकी रोशनी में अगर चकबन्दी जरूरी ही समझी जाय तो की जाय। उससे फायदा होगा जो गलतियां खातों में, या पड़ताल में या कब्जे में हुई हैं उनकी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। १९५३ में हमारे प्रदेश में १९ लाख गलतियां पायी गयी थीं जब कि माननीय माल मंत्री ने दफा ४ के मुताबिक कार्यवाही करवायी थी और जो आंकड़े मिले हैं उनसे मालूम होता है कि २० लाख गलतियां हैं। मंत्री जी कहेंगे कि इसका हमें श्रेय है कि हमने इतनी गलतियां पकड़ीं। ठीक है, लेकिन गलतियों के सुधार में और कितनी गलतियां हो गयीं अब इसकी जांच जब फिर की जायगी तब पता चलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि माल मंत्री जी को विशेष कर इस पर ध्यान देना चाहिए और जनता की इन भावनाओं का आदर करना चाहिए।

भ्रष्टाचार के विषय में मैं आपको एक उदाहरण दूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सदन के एक माननीय सदस्य, जो अब यहां नहीं हैं, श्री शिवराम राय जी, जिनका सम्बन्ध आजमगढ़ जिले से है, ने अपने भाषण में जो भावनायें व्यक्त की थीं, वहां पर, मैंने उन बातों को सुना था, लेकिन जो उसकी रिपोर्टिंग हुई है अखबारों में, उसकी एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं, आपकी आज्ञा से। इससे आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिम्मेदार लोगों को आज कटु अनुभव के बाद क्या भावनाएं हो गई हैं। "चकबन्दी तो फांसी गृह हो गई। इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा इतनी घूस ली गई है कि उतने रुपयों से चकबन्दी की हुई भूमि नये सिरे से खरीदी जा सकती है।"....

श्री चरणसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि अप्रैल में मैंने यह औफ़र किया था कि कोई सज्जन खुद तहकीकात करके यह कह दें फलां कर्मचारी का इखलाक गिर गया है, उसने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं फौरन डिसचार्ज नोटिस जारी करा दूंगा। जनाब ने ८ महीने के अन्दर मुझे ऐसी कोई इत्तला दी?

श्री झारखंडे राय—जहां तक मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, सरकार के दफ्तर में हमारी पार्टी के दफ्तर से ऐसी शिकायतें गई हैं और अभी भी मेरे पास हैं और चाहूंगा कि आप तहकीकात कर लें। मेरे दफ्तर से इस बात की शिकायतें आयीं और मैं देखूंगा कि आपने कहां तक कार्यवाही की। हमारे प्रदेश के गण्यमान्य नेता श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था कुछ दिन पहले....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं अखबार का उदाहरण आपने दे दिया। अब आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री झारखंडे राय—मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की शिकायत की कि भूमि-सुधार के सिलसिले में जो वादे किये गये थे वे पूरे नहीं हुए और जो भूमि जमींदारों के कब्जे में सालों से खाली पड़ी है उन पर भूमिहीन आदमियों को कब्जा नहीं दिलाया गया। मैं चाहता हूं कि चकबन्दी के काम से जो अनुभव प्राप्त हुआ है और जो उससे कटुता पैदा हुई है जो तजुर्बा हुआ है उसकी रोशनी में मंत्री जी को और सरकार को फिर से गौर करना चाहिये कि यह योजना पूरी तरह कार्यान्वित की जाय या नहीं? फिलहाल तो उसको मुल्तवी करके और जांच करा के जो जांच समिति के सुझाव आयें उनकी रोशनी में कार्यवाही की जाय तो सम्भव है कि कम से कम तकलीफदेह तरीके से चकबन्दी की कार्यवाही पूरी हो सके, अन्यथा चकबन्दी के ऊपर जिद पकड़ी गई तो इसका असर हमारे प्रदेश की पूरी ऐग्रेरियन इकोनामी पर बुरा पड़ेगा और किसानों की आर्थिक हालत और खराब होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संकल्प की पंक्ति २ में शब्द 'करके' और शब्द 'वर्तमान' के बीच में शब्द 'अब तक के अनुभव के आधार पर' रख दिये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में दो मांगें की गई हैं। एक मांग तो यह कि चकबन्दी का कार्य संचालन जिस ढंग से हो रहा है उसमें जो खराबियां हैं उन खराबियों को देखते हुए चकबन्दी की उपयोगिता या अनुपयोगिता की जांच करने के लिये एक जांच समिति बैठायी जाय। दूसरी यह कि जब तक वह जांच पूरी न हो जाय तब तक के लिये चकबन्दी मुल्तबी कर दी जाय। मैं पहली बात को लेता हूं, यानी जांच समिति की बात को। जांच समिति के बैठाने की आवश्यकता को मैं घटनाओं और आंकड़ों के द्वारा नहीं सिद्ध करूंगा क्योंकि उसे दूसरे वक्ता सिद्ध कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन मैं जांच की आवश्यकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त, जनतन्त्र के कार्य संचालन के सिद्धान्त के आधार पर करूंगा। आखिर जनतंत्र के मानी क्या हैं। जनतंत्र के मानी यह नहीं हैं कि केवल बहुमत दल और अल्पमत दल हों और बहुमत दल का काम यह हो कि वह सरकारी काम का समर्थन करे और विरोधी दल की हर बात का विरोध करे और विरोधी दल का यह काम हो कि वह हर सरकारी काम का विरोध करे और अपनी बात का समर्थन करे। अगर यही हो और बहुमत दल और अल्पमत दल से ही जनतंत्र का काम चलता हो तब मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस सदन के अन्दर विवाद करने की क्या आवश्यकता है और इसमें क्यों समय नष्ट किया जाता है। अगर जनतंत्र की मंशा यही होती तब तो सीधे तरीके से विरोधी दल और बहुमत दल की तरफ से संकल्प आ जाया करते और उनको पढ़कर सुना दिया जाया करता और फिर उन पर राय ले ली जाया करती, भाषणों की कोई आवश्यकता न होती। मैं तो जनतंत्र का आशय यही समझता हूं कि न तो बहुमत दल का यही काम है कि वह हर सरकारी काम का समर्थन करे और न विरोधी दल का यही काम है कि वह हर सरकारी काम का विरोध करे। दोनों का काम यह है कि जिस बात पर विचार हो रहा है वह जनहित में है या नहीं और उसमें हमारे दृष्टिकोण के अलावा दूसरा कोई दृष्टिकोण भी है या नहीं और अगर दूसरे के दृष्टिकोण में कोई ऐसी बात हो तो जनहित में हो तो एक दूसरे की बात को समझ कर उसे मान लेना चाहिये।

जनतंत्र का पहला आधार यह हो जाता है कि सत्ताधारी दल जो अपने बहुमत के बल पर कोई भी निर्णय कर सकता है वह विरोधी दल की बात को समझने और अपनी बात को विरोधी दल को समझाने की कोशिश करे यही आधार सबसे बड़ा आधार है। इसीलिये जांच समिति की आवश्यकता है। चकबन्दी जिस ढंग से कार्यान्वित हो रही है, उससे लाभ हो रहा है या हानि, या लाभ के बजाय हानि अधिक हो रही है या लाभ अधिक हो रहा है ये दो मत हैं। माननीय माल मंत्री और उनके विचार के लोगों की यह राय है कि चकबन्दी के कार्य में कोई खराबी या खामी नहीं है, उससे कोई ऐसी हानि हो रही है जिसकी वजह से कोई जांच करने की आवश्यकता हो, या मुल्तवी करने की आवश्यकता हो।

दूसरा मत जिसमें सब विरोधी दल एकमत हैं यह है कि चकबन्दी जिस ढंग से कार्यान्वित हो रही है उस ढंग से सम्भवतः उतना लाभ नहीं हो रहा है जितनी कि हानि हो रही है इसलिए इस बात की जांच की आवश्यकता है कि यह बात सही है या नहीं? जब मैं जांच की बात कहता हूं तो यह मान कर नहीं कहता हूं कि हानि अधिक हो रही है, लिहाजा उसकी जांच की जाय और माननीय माल मंत्री यह रुख न लें कि जो उनका रुख है वह सही है और उसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। यह रुख न हमारे लिये अच्छा है और न सत्ताधारी दल के लिये अच्छा है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक दूसरे के दृष्टिकोण का आदर करें और उसको समझ कर, जनहित में जो बात हो उसे सही

मान कर उसके अनुसार काम करें। यह बात मैं आपसे कह ही चुका कि विरोधी दल का मत है कि हानि अधिक हो रही है और अकेले विरोधी दल में ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी राय है कि इससे लाभ के बजाय हानि अधिक हो रही है। इसलिये इसकी जांच कराने की आवश्यकता है, इसको मुल्तवी करने की आवश्यकता है। इसका प्रमाण इस समय माननीय नारायणदास पासी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, वह मौजूद है, उनका भाषण मौजूद है यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इस समय प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है कि बहुमत दल में भी, सत्ताधारी दल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी यह राय है कि इससे लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि हानि हो रही है। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि इस हानि को कैसे रोका जाय और जो लाभ हो सकता हो उससे और भी अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश किस तरह से की जा सकती है।.....

श्री अध्यक्ष--अपना भाषण आप बाद में जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के उठने से पहले मैं यह कह रहा था कि चकबन्दी योजना जिस ढंग से कार्यान्वित हो रही है उससे लाभ अधिक हो रहा है या हानि, इस सम्बन्ध में मतभेद है। एक मत माननीय माल मन्त्री जी का है कि उससे निश्चित रूप से लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है और यदि हो रही है तो बहुत कम हो रही है, लाभ के मुकाबिले में नगण्य है और दूसरा मत विरोधी दल का है जिसमें कि उस दल के भी कई लोग इस मत से सहमत हैं कि नहीं, इससे निश्चित हानि हो रही है और सम्भव है कि उतना लाभ नहीं हो रहा है जितनी हानि हो रही है और अगर लाभ ज्यादा भी हो तो हानि की मात्रा भी इतनी कम नहीं है कि उसकी उपेक्षा की जा सके।

जब मैं यह कहता हूं कि हमारा उनका मतभेद है तब मैं कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि माननीय माल मन्त्री को किसानों की और जनता की भलाई का ध्यान मुझसे या किसी दूसरे से कम है। मैं यह भी नहीं कहता कि वह जो चकबन्दी योजना चला रहे हैं वह उनकी भलाई के उद्देश्य से नहीं चला रहे हैं, उसके दोषों और कमियों को दूर करने के लिए पूर्ण प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। दलील के लिए अगर मैं यह भी मान लूं कि उनका मत सही है, मेरा मत गलत है---उतना ठीक भी है कि मेरा मत चाहे मेरे निजी ज्ञान और अनुभव के आधार पर हो, लेकिन मेरा ज्ञान और अनुभव उनके ज्ञान और अनुभव के मुकाबले में तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है, एकांगी तो है ही और मैं यह भी मान लूं माननीय माल मन्त्री की दलील कि वे जब अपने मत के पक्ष में विवेकसम्मत, युक्तियुक्त और प्रचुर प्रमाणों से परिपूर्ण भाषण देते हैं तब भी हम उनकी बात को नहीं मानते हैं। यह शिकायत उनकी हम से होती है, लेकिन मेरा यह कहना है कि उनकी यह शिकायत भी सही है, हमारा मत भी गलत है, हम उनकी बात भी नहीं मानते हैं तब भी क्या यह उचित होगा कि इस वास्ते नाराज हो कर कि ये लोग हमारी बात नहीं मानते थे हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दें या यह उचित होगा, जैसा कि एक कहावत है कि झूठे को मरघट तक पहुंचा देना चाहिए। जनतांत्रिक प्रणाली में दो फरीकों से कोई बात तय नहीं हो जाया करती। इसलिए जनता की अदालत से अगर यह सिद्ध हो जाय कि उनका मत सही है और हमारा मत गलत है इससे उनका ही लाभ होता है और शायद यह फायदा भी है कि अगर जांच का परिणाम यह निकले कि हमारा मत गलत है तो हमारा सहयोग भी उन्हें मिल सकेगा। इसलिए इन तमाम दृष्टियों से माननीय माल मन्त्री जी के लिए यह आवश्यक है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

एक बात मैं माननीय माल मन्त्री जी के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। मेरी शिकायत भी उनसे है। मेरी शिकायत यह है कि उनकी दृष्टि जो है, उनका रुख जो है वह जनतांत्रिय नहीं है। उनका माइंड जुडिशल नहीं है, उनका टेम्पर जुडिशल नहीं है। उनका

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माइण्ड मिनिस्टर होने की वजह से एक्जीक्यूटिव सा है, आफिशल माइण्ड है। इसमें उनकी कोई आलोचना नहीं है। मैं उनकी जगह पर होता, उनके पद पर होता तो सम्भव है मैं भी वैसा ही होता। उस पद के प्रभाव के कारण, उस पद के कारण, जो परिस्थितियां रहती हैं चारों तरफ, जो सूचनायें मिलती हैं उनके आधार पर यह मत बन जाता है। उसके लिए यह कहना कि एक्जीक्यूटिव माइन्ड हो गया है, यह कोई गाली नहीं है, यह आपकी आलोचना नहीं है, आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है। यदि मैं गीता की भाषा में कहूं तो इतना वह अवश्य मान लेंगे कि वह अनासक्ति की दृष्टि से इस समस्या को नहीं सोच सकते,क्योंकि उनकी कर्मफल में आसक्ति है। यह आसक्ति उनको है। वह समझते हैं कि हमारी योजना सही है। इससे जनता का लाभ हो रहा है। तो उनका मत एकांगी होगा। तो इन दृष्टियों से इस बात की अश्वश्यकता है कि वह इस बात की जांच करवायें।

उन्होंने एक बात पूछी कि आपने इस बात का कोई प्रमाण दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है? मैंने तो यह घोषणा की थी कि यदि कोई मारेली कन्विस होकर भी कह दे कि अमुक जगह भ्रष्टाचार है और अमुक व्यक्ति दोषी है तो मैं उस के खिलाफ कार्यवाही कर दूंगा। मैं मानता हूं कि उन्होंने यह कहा था, लेकिन, यदि मैंने माननीय झारखंडे राय जी ने कोई शिकायत नहीं की और यदि मैं किसी के बारे में मारेली कंविस नहीं हुआ तो यह तो साबित नहीं होता कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है...

श्री चरण सिंह --लेकिन इससे इतना तो साबित ही है कि आप को यह कहने का अधिकार यहां नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि मुझे किस आधार पर उनसे यह निवेदन करने का अधिकार है और मैं चाहता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी उसको मानें। खैरागढ़ तहसील में, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, कई शिकायतें आयी हैं। उनके सम्बन्ध में मैंने यहां एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने उत्तर दिया कि तहसील के ११७ गांवों में, जहां का मैं प्रतिनिधि हूं, चकबन्दी हो रही है। उनमें से ११० से लेकर ११७ तक, जितने भी हों, में से ५० से ऊपर गांवों के, ५५, ५६ गांवों के प्रधानों ने रजिस्टर्ड अर्जियां माल मन्त्री जी के पास भेजी थीं। यह भी माल मन्त्री जी ने कहा था और यह भी कहा था कि उनकी जांच की गयी। उन्होंने कहा कि कुछ सही पायी गयीं और उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

तो यह प्रमाण तो है ही। दूसरा प्रमाण भी है। जब संचालक चकबन्दी महोदय कपूर साहब, वहां गये तो उन्होंने मुझ से कहा कि मैं आगरा जा रहा हूं,तम्हें जो कुछ कहना हो तो बता दो। मैंने कहा कि मेरी किसी के खिलाफ पर्सनल शिकायत नहीं है। आप जनता की बात सुनिये और जांच करिये और जो कुछ आप उचित समझिये, उसको कार्यरूप में परिणत कीजिये। वह गये और उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके जाने के बाद एक नहीं, अनेक कर्मचारी बरखास्त किये गये, अनेकों को सजा दी गयी। यह क्या साबित करता है? क्या यह साबित नहीं करता कि भ्रष्टाचार है? आप कार्यवाही कर रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कार्यवाही नहीं करते, मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार है, आप कार्यवाही करते हैं, लेकिन जो खराबियां "वेरी नेचर आफ दि थिंग्स" हैं वह इतनी कार्यवाही से दूर नहीं हो सकतीं। दूर न होने के दो कारण हैं। इसके दूर न होने का कसूर मैं माननीय माल मन्त्री जी का नहीं मानता। मैं जो यह जांच की बात कहता हूं वह बात माल मन्त्री जी के या मंत्रिमण्डल के खिलाफ नहीं है। मैं सत्य बात कहता हूं, जैसी कि मैं उसे देखता हूं और वह सत्य यह है कि दो कठिनाइयां इस चकबन्दी योजना में हैं। एक तो यह कि गांव समाज में अभी भी सामन्तवादी शोषण मौजूद है और...

श्री उपाध्यक्ष---इस में आप को १५ मिनट भाषण करने का अधिकार है और समय समाप्त हो रहा है। इसलिए आप भाषण समाप्त करने की चेष्टा करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---आप ने पहले वार्निंग दे दी होती तो मैं दो मिनट में समाप्त कर देता। अब भी दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

इस योजना में दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से कितनी ही अच्छी योजना आप बनायें, कितने ही अच्छे नियम आप बनायें, कितना ही कठिन परिश्रम करें, कितने ही अच्छे उद्देश्यों को आप कायम करें, लेकिन वह सफल हो नहीं सकती। एक तो हमारे गांवों में सामन्तवादी शोषण जारी है जो कि मत्स्य न्याय के अनुसार होता है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वही न्याय वहां पर चल रहा है और स्थिति यह है कि चकबन्दी समिति के प्रधान गांव में खास-खास आदमियों को बुलाकर कर्मचारियों से मिलकर अपने सब फैसले करा लेते हैं और जैसा नारायणदास जी पासी ने कहा कि जो छोटी सी मछली है, गरीब किसान है उनका उससे नुकसान होता है। इसकी माननीय माल मन्त्री जी के पास शिकायतें भी कम आती हैं। वह पीड़ित समाज मूकवत् अपनी शिकायत करना नहीं जानता है। मुश्किल से सरकार के पास १०० शिकायतों में से एक आध ही आती होगी। आये कैसे? जो शिकायत भेजने वाले हैं उनसे वह मिल जाते हैं। इसलिए मैं माननीय माल मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप जनता के सामने जांच करके यह सिद्ध कर दें कि यह बातें जो कही जाती हैं, सब गलत हैं। हां, एक बात आप कह सकते हैं कि जांच तो हम कर लें, लेकिन आप तो मुल्तवी करने के लिए कहते हैं। मुल्तवी करने से बड़ा नुकसान है। मैं अपनी तरफ से आप से निवेदन करता हूं कि मैं इसको मान लूंगा और दूसरे लोगों से भी इसको मान लेने के लिए प्रार्थना करूंगा। बशर्ते कि आप जांच की बात को पहले मान लें, लेकिन अगर आप जांच की बात को नहीं मानते हैं तो फिर सिवाय इसके कि आप का दृष्टिकोण, जैसा कि मैंने अभी कहा, जनतान्त्रिक नहीं है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह न तो आप के लिए अच्छी बात है, न मेरे लिए अच्छी बात है और न जनता के लिए अच्छी बात है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि सदन मेरे संशोधन का समर्थन करे।

श्री उपाध्यक्ष---पहले जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन दिये हैं उनको अवसर मिलेगा। उसके पश्चात् दूसरे लोगों को अवसर मिलेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अपने तीनों प्रस्तावों को एक साथ उपस्थित करता हूं। वह इस प्रकार हैं कि संकल्प की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "जांच समिति" के स्थान पर शब्द "असरकारी सदस्यों का जांच कमीशन," पंक्ति ४ में शब्द "की जाच" के स्थान पर शब्द "किया जावे" तथा पंक्ति ४ में अंक व शब्द "६ माह" के स्थान पर अंक व शब्द "४ माह" रख दिये जायं। अब मेरे संशोधन के बाद इस संकल्प का स्वरूप इस प्रकार हो जायगा कि "इस सदन का निश्चित मत है कि, प्रदेश में होने वाली चकबन्दी का कार्य तत्काल स्थगित कर के वर्तमान ढंग से होने वाली चकबन्दी की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की जांच करायी जाय और तदर्थ एक असरकारी सदस्यों का जांच कमीशन नियुक्त किया जावे जो अपनी रिपोर्ट ४ माह के अन्दर प्रस्तुत करे"।

श्रीमन्, जैसा कि इस संशोधन से प्रकट है मैं इस जांच समिति के स्थान पर एक असरकारी सदस्यों का जांच कमीशन चाहता हूं।

दूसरे मेरे संशोधन की मंशा यह है कि ६ महीने की जगह ४ महीने की अवधि रख दी जाय। पहली मांग तो यह है कि इसकी जांच एक अधिकारयुक्त कमीशन के द्वारा हो, जिसकी रिपोर्ट सरकार को मान्य हो, उस में अधिकतर लोग असरकारी हों। इसके साथ में, कार्य-संचालन की दृष्टि से एक दो सरकारी अफसर भी उस में रक्खे जा सकते हैं। इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

प्रकार की जांच अगर जल्द होगी तो उस पर अमल भी जल्दी हो सकता है। अतः ४ महीने की अवधि उसके लिए काफी होगी। जब मैंने यह संशोधन रक्खे हैं तो उनके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यह कहना चाहता हूं कि शायद हमारे खड़े होने के साथ-साथ कहीं माननीय राजस्व मन्त्री जी को कोई सन्देह न पैदा हो जाय कि कानपुर के जिले वाले क्यों बोलने के लिए खड़े हो गये। यह वह पहले भी कह चुके हैं कि इस चीज का विरोध उन जिलों से आता है जहां कि चकबन्दी अभी आयी ही नहीं है। यद्यपि हमारे यहां चकबन्दी अभी नहीं आयी, लेकिन उसके भय से लोग पहले से ही पीड़ित हैं और उसकी अफवाह ही सुनकर लोग कंपायमान होने लगे हैं।

इतना मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी की प्रशंसा में अवश्य कह देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने काल में इस चकबन्दी के सम्बन्ध में सब से अधिक योग दिया है। इसकी ४–५ साल की अवधि में ६–७ संशोधन उपस्थित हो चुके हैं। इन संशोधनों के उपस्थित होने पर भी लोगों में इसके प्रति असन्तोष बढ़ता ही चला जा रहा है। उनको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। स्वयं उनके निर्वाचन के सम्बन्ध में अगर उनके पक्ष में सरकारी पक्ष से उनको समर्थन न मिलता तो इसमें सन्देह नहीं कि उनको यह स्थान सुशोभित करने में दिक्कत पड़ जाती। इस प्रस्ताव के साथ-साथ जितने सज्जनों ने संशोधन रक्खे हैं, उन में सरकारी पार्टी के कथन भी हैं और इन कथनों से स्पष्ट है कि यह चकबन्दी छोटे-छोटे काश्तकारों के सम्बन्ध में अहितकर है।

आज विशेष रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ने यह अपने अनुभव से देखा कि अब तक तीन ही असरकारी प्रस्ताव यहां पेश किये गये और तीनों ही सरकारी पार्टी के सदस्यों की ओर से पेश किये गये थे और तीनों ही प्रस्ताव सरकार की प्रस्तावना पर, सरकार की प्रार्थना पर वापिस ले लिये गये, इसलिए कि सरकार को परेशानी न हो।

श्री उपाध्यक्ष—आप यह कैसे कह सकते हैं कि सरकार के कहने से किसी माननीय सदस्य ने सरकार के हक में अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। यह तो सदस्य के ऊपर लांछन हो जाता है। नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य को किसी प्रस्ताव को रखने और उसको वापिस लेने का अधिकार है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा मतलब किसी सदस्य पर लांछन लगाने का नहीं था। मैंने दबाव शब्द का प्रयोग नहीं किया कि उसने दबाव से ऐसा किया, बल्कि प्रस्तावना शब्द का प्रयोग किया था। मुझे किसी पर भी लांछन लगाने का अधिकार नहीं है फिर भी मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अगर यह प्रस्ताव भी सरकारी पार्टी के सदस्यों की ओर से होता तो उसका भी अन्तिम परिणाम वही होता और वह भी वापिस ले लिया जाता, लेकिन चकबन्दी के सम्बन्ध में जो यह जांच करने की मांग है उसमें विरोधी पार्टी सब एक मत है और सरकार को यह मानना चाहिए कि यह जांच हो। हमारी वास्तविक शिकायत इस सरकार से यह है कि उसकी शासन प्रणाली में दोष है और उन दोषों की जांच होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि चकबन्दी में दोष है, यह यथार्थता है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम चार बार अपने अनेक भाषणों में यहां भी और बाहर भी यह कहते आये हैं। यद्यपि आगे चल कर यह बहुत अच्छी है, यद्यपि माननीय मन्त्री जी की जो मंशा है वह बहुत ही सुन्दर है, लेकिन इसका जो व्यावहारिक रूप है वह अग्राह्य हो रहा है।

हम यह देखते हैं कि इस चकबंदी से काश्तकारों को हर प्रकार से हकतलफी हो रही है। दो, दो, चार, चार बीघे रकबे के खेत जो उनके पास हैं वे उनसे इसके लिए छीन लिये जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि या तो तुम मुआवजा ले लो या जमीन छोड़ दो, लेकिन वह जमीन चाहे उसका छोटा ही रकबा क्यों न हो, चाहे वह दूर ही क्यों न हो, चाहे वह स्वयं

खेती न कर पाता हो, तो भी उसी के ऊपर उसका जीवन निर्भर करता है, लेकिन इस चकबन्दी ने उनके ऊपर उल्टी कृपा की है। मैं ने यह भी देखा है कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने इस चकबन्दी को भूषण बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है।

आज बहुत से लोग, हम जैसे पढ़े लिखे, सरकारी नौकरियों की तरफ इस लिए लपकते हैं कि उसमें आमदनी बहुत है। यह बात तो मैं मानता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने चकबन्दी योजना में अपना बहुत बड़ा योग दिया है, लेकिन इस में उनको असफलता ही मिली है। जो उनका भूषण था वह सब से बड़ा दूषण बन गया है। क्योंकि गरीब काश्तकार इतने पिछड़े हुए हैं, इतने अशिक्षित हैं कि दरख्वास्त लिखवाने के लिए भी उनको दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। आज अदालतों में जो वकीलों की प्रणाली है वह इतनी दूषित है कि उसकी वजह से देर से फैसले होते हैं। आज तो गरीब किसान मृतप्राय हो चुका है।

इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो अफसर हैं उनमें भी, जनता की सेवा करने की कोई भावना नहीं है, बल्कि उसके ऊपर वे लादते ही जाते हैं। फिर ऐसी हालत में चकबन्दी के रूप में सुधार कैसे हो सकता है जहां चकबन्दी हो रही है वहां चल कर देखने से मालूम होगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसीलिए मैंने जांच कमीशन की मांग की है, और खुली जांच की बात की है ताकि वास्तविकता आपके सामने आये। माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से कानून तो बना दिया है, और सभी देख सकते हैं कि कितनी कम फीसदी शिकायतें आयीं, और कितनी कम फीसदी अपीलें तक हुईं। इस तरह से आंकड़े देकर वे अपनी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि जब वे इतने अशिक्षित हैं, जबकि शिक्षा ११फीसदी ही है, तो ऐसी दशा में वे कैसे दरख्वास्तें ज्यादा तादाद में दे सकते हैं या अपीलें कर सकते हैं? अगर यहां के ६० फीसदी लोग शिक्षित होते, तब आप देखते कि कितनी दरख्वास्तें आती हैं और कितनी अपीलें होती हैं। अगर इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुली जांच करायी जाय तो बहुत से विवाद अदालतों में आ सकते हैं। जहां तक अपील करने की बात है, अपील में कितने लोग जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उनमें खर्च इतना ज्यादा है कि इतने छोटे-छोटे रकबे के लिए हजारों रुपया खर्च करना कहां तक सम्भव है? आंकड़े देकर माननीय राजस्व मन्त्री जी साबित कर सकते हैं कि कुल इतनी अपीलें हुईं। मंत्रि-मंडल में बैठ कर उन्होंने राजस्व के सेवा में अधिक समय व्यतीत किया है और यदि वे समझते हैं कि उनका सायंकाल आ गया है तो वे इस विषय पर अच्छी तरह से सोचने की कोशिश करें। चकबन्दी जिसको वे अपनी सब से बड़ी सफलता समझते हैं, वास्तव में उनकी असफलता ही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि किसानों का वास्तविक हित क्या है? वे कह सकते हैं कि ५ जगह तो एतराज करने की गुंजाइश रख दी गयी है, लेकिन सही बात यह है कि जो एतराज का मौका दिया गया है उसका उपयोग किसान कैसे कर सकता है? न तो उसको उसके लिए अवसर है, न उसके लिए कोई सहायक है, न उसके लिए इतनी बुद्धि ही है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज गांव समाज की हालत यह है कि उसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट चढ़ा बैठा है। कहीं पर एक भी ग्राम समाज की बैठक नहीं हुई है। सारे लेखपाल अमीन के अण्डर में काम कर रहे हैं। मैंने तहसीलदार से और एस० डी० ओ० से मिल कर पूछा कि आप ने कभी गांव समाज के हिसाब की जांच वगैरह की है या उसकी कोई बैठक हुई है या नहीं, इसकी जांच की है? उन्होंने बतलाया कि साहब क्या कहें, वहां तो अजीब अजीब पचड़े हैं।

अच्छा हो कि कहीं भी चकबन्दी की स्कीम को लागू करने के पहले वहां के काश्तकारों के दो तिहाई वर्ग की स्वीकृति ले ली जाय और उससे पहले उन पर कोई चीज न लादी जाय। सरकार किसी चीज में जनता के मत को नहीं देखती, वह तो अपनी मर्जी और अपने आकड़ों पर चलती है। माननीय राजस्व मंत्री जी, जिन्होंने इस काम में अपना बहुत समय व्यतीत किया है, वह अब अन्तिम चरण में सोचें और देखें कि उनकी यह बड़ी-बड़ी स्कीम्स

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

किसानों द्वारा कहां तक ग्राह्य हो रही हैं या नहीं हो रही हैं । किस प्रकार से इन स्कीमों के द्वारा जनता और कर्मचारी भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे हैं यह देखने की बात है । आज हालत यह है कि सैंकड़ों युवक चकबन्दी में इसलिये नौकरी करते हैं कि वहां खूब रकम कटती है और बेचारा किसान उनके सामने इस तरह से कांपता है कि जिस तरह से कसाई के सामने गाय कांपती है । मैं यह अपने जाती अनुभव पर कहता हूं । अभी कानपुर जिले में चकबन्दी नहीं आई है । लोग अभी से डरते ह और कहत हैं कि क्या भाई यहां भी चकबन्दी आने वाली है ? न मालूम चकबन्दी क्या भूत हो गई है, कृपा कर के सरकार उस भूत को छिपाकर अपनी पोटली में रखे । मैं इस थोड़े समय में अधिक न कहकर आप से प्रार्थना करूंगा कि मेरे संशोधन को सदन स्वीकार करे । मैं आप के सामने यही निवेदन करूंगा कि आज बहुमत इस चकबन्दी के खिलाफ है, इसलिये ६ मास की जगह ४ मास में जल्दी कर के प्रतिवेदन आ जाय । इससे जनता का लाभ होगा, अधिक विलम्ब लगना उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीया चन्द्रावती ।

(कुछ ठहर कर)

माननीय व्रजविहारी मेहरोत्रा जी अगर पेश करना चाहें तो वह पेश कर दें, मैंने लेडीज फर्स्ट (स्त्रियों को प्राथमिकता) के मुताबिक उनको मौका दिया था ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--श्रीमती चन्द्रावती जी ही पेश कर दें ।

*श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विशारद जी द्वारा जो संकल्प उपस्थित किया गया है उसमें मैं यह सशोधन उपस्थित करना चाहती हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में होने वाली चकबन्दी का कार्य तत्काल स्थगित" के बाद "न" जोड़ दिया जाय और उस के बाद "कर के वर्तमान ढंग से होने वाली चकबन्दी उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की जांच करायी जाय और तदर्थ एक जांच समिति नियुक्त की जाय, जो अपनी रिपोर्ट ६ मास के अन्दर प्रस्तुत करे" वैसे ही रहे ।

इस में कोई अधिक भेद नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसकी पूरी भावना इस में आ जाती है, केवल मैं यह चाहती हूं कि "न" शब्द रखकर जो काम चकबन्दी का चल रहा है उसमें बाधा न डाली जाय । इसमें कमेटी नियुक्त करने का भाव भी आ जाता है उनकी भावना पूरे तौर से अंकित हो जाती है । मैंने पूर्व वक्ताओं के चकबन्दी के विषय में भाषण सुने जिनमें बहुत से विचार व्यक्त किये गये, लेकिन अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि चकबन्दी जनता के लिये एक भूत का विषय हो गयी है । ऐसी भावना के विरोध के रूप में मैं यह कह सकती हूं कि यह भूत तो जिस भाई ने ऐसा कहा है उन के सिर पर ही यहां पर चढ़े जाता है ।

जब हम लोग ऐसी भावना अपनाने की कोशिश नहीं करते कि उस भावना के अन्दर लोगों का क्या रहस्य छिपा हुआ है, तो चकबन्दी के कार्य में जो चीजें हैं, जब उन भावनाओं को न समझते हुये और सदन में उन भावनाओं को साथ में लेकर हम नहीं चलते, तो फिर देहात में जाकर उसी भावना के अन्दर उनको हम कैसे समझायेंगे और तब इस प्रकार की भावना इस के प्रति रखना अस्वाभाविक है । चकबन्दी का कार्य अगर देखा जाय, तो मैं यह सोचती हूं कि जो भी यह कहते हैं कि वह बुरा है, तो वे बिल्कुल उसी बात को बार-बार दोहराते हैं । चक-बन्दी का कार्य जो कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और उनके लिये जो विचार व्यक्त किये गये हैं, तो उसके लिये बहुत कुछ कहा जा सकता है । हो सकता है और कभी कभी एक बात जो अपने अनुभव में भी आती है, तो उसमें भी मतभेद हो सकता है । यहां शास्त्रों का उदाहरण दिया गया और मत्स्य न्याय की बात एक माननीय सदस्य द्वारा कही गई । उन माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह ऐसा कार्य है जहां कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है । मैं उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी याद दिलाना चाहती हूं कि उन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनुज ऐसा है कि उसकी आंखें होते हुये भी वह नहीं देखता है और कान होते हुये भी नहीं सुनता है। यहां जो काम होता है, वह अच्छा भी होता है और उसको आप अच्छा भी कह सकते हैं। यह सही है कि बहुत से, जो इसके लिये त्राहि-त्राहि पुकार रहे हैं, तो मैं सोचती हूं कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट से इसकी जांच कराई जाय। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोभ और लालच में पड़कर, जिससे काम कराना हो, उसे कुछ देकर काम करा लिया जाता है।

जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, कानून में जो छोटे काश्तकार हैं, उनके बचाव के लिये बहुत सी बातें रखी गई हैं और जितने भी छोटे काश्तकार हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस तरह की बातों में रद्दोबदल करने की कोई चेष्टा नहीं होती। कुछ बुराइयां ऐसी हैं, जिनके लिये ठीक रास्ता अपनाया जा सकता है। वे सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा धन रिश्वत में दे देंगे तो क्या हानि है। मैं सोचती हूं कि यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अगर हम थोड़ा सा धन खर्च कर देंगे तो रोटी कमाने और बच्चों को पालने का साधन हो जाता है, लेकिन यह भावना गलत है। मैं समझती हूं कि ऐसी भावना होनी नहीं चाहिये और जो यहां माननीय सदस्यगण हैं, उनका सबसे बड़ा और प्रमुख कर्तव्य है कि जो इस तरह की गलतियां करते हैं, उनके लिये वे अच्छी तरह से और गम्भीरतापूर्वक सोचें कि किस तरह से सुधार हो सकता है। लखनऊ में जो अधिकारी रहते हैं, वे अगर इस तरह से कार्य करें और इसको साबित करके दिखला दें, तो ज्यादा अच्छा होगा। इस में उन को थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा।

मैं सोचती हूं कि उनका अनुभव ज्यादा अच्छा हो सकता है। मेरे क्षेत्र में भी चकबन्दी लागू हुई, और जिलों की बात मैं नहीं कहती हूं, लेकिन मैं इसको पहले से ही अच्छा समझती थी और अब भी अच्छा समझती हूं और मैंने इसको इसी भावना के साथ शुरू में लिया और अपने विचार उसी तरह से प्रकट किये। इस में विरोधी भाव रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिये अपने में जब तक हिम्मत नहीं होगी, तब तक यह कार्य ठीक तरह से नहीं चलाया जा सकता है। जो भी इसे हिम्मत के साथ करेगा, वहां चकबन्दी का काम ठीक तरह से होने लगेगा। बिजनौर में सफलतापूर्वक इसका कार्य हो गया है। मैं और जिलों की बात नहीं कह सकती हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता में एक चीज हव्वा बता दी जाती है, जिसको कोई भूत कहते हैं, तो इस तरह की जब हवा बहती है, तो इस में जनता का क्या दोष है।

अगर उस भूत को समझने में साधारण जनता गलती न करे और जब यह भूत की भावना असेम्बली से उठी है तो वहां साधारण जनता का क्या दोष है? उनके पास तो वह सच-मुच भूत बन कर उतर जाता है। सबसे पहले अगर हम इस भावना को प्रचारित करें कि जो लोग रिश्वत देने में कोई दोष नहीं समझते, उनको यह समझायें कि चाहे कुछ घाटा भी उठाना पड़े, लेकिन रिश्वत न दें, तो मैं सोचती हूं कि साधारण जनता इस चकबन्दी के भूत को भूत न समझेगी।

जो एक समिति के लिये आप का सुझाव है इसको मैं उचित समझती हूं। अगर एक समिति बना दी जाय और वह एक सी० आई० डी० के रूप में एक निष्कर्ष पर पहुंच कर माननीय मंत्री जी के समक्ष अपना विचार रखे तो मुझे ऐसी आशा है कि वह उसको मानने में कभी भी पीछे न हटेंगे। चकबन्दी का सम्पर्क देहाती जनता से है। देहाती क्षेत्र को विकसित करने का वह एक साधन है। इसके गुण हम लोग नहीं बताते। गुणों को परदे में छिपा कर दोषों को सामने रखते हैं, लेकिन जिसमें गुण अधिक होते हैं वह गुणी कहलाता है और जिसमें दोष अधिक होते हैं वह दोषी कहलाता है। इसलिये इसके गुणों का प्रकाशन करें। यह कहना कि यह बुरी चीज है मैं इसके विपरीत हूं। माननीय सदस्य ने यहां पर जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका विरोध करती हूं।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा श्री विशारद जी के प्रस्ताव का पूर्णतया विरोध करता हूं। मेरी समझ में वह सम्भवतः अव्यावहारिक और अनावश्यक है।

सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अप्रैल के बाद मुझे आपने एक ही बार बोलने का अवसर दिया। मैं आपको अनेक धन्यवाद देता हूं।

चकबन्दी मेरे क्षेत्र में हो रही है और सरकार के आने से पहले भी चकबन्दी के बहुत से कार्यों में कुछ कार्य करने का अवसर मिला है। जहां तक चकबन्दी शब्द का मतलब है उसका तो मैं अर्थ यह समझता हूं कि बिखरे हुए खेतों को एक जगह कर दिया जाय। जहां तक उसकी पुस्तिका का सम्बन्ध है उसको अपने छोटे-मोटे ज्ञान से जो पढ़ा गया है तो इतनी व्यापक, इतनी उदार और इतनी सरस कोई दूसरी पुस्तिका बन नहीं सकती।

जब चकबन्दी आरम्भ नहीं हुई थी तो पहले से बड़ा शोर सपाटा और तरह-तरह के अनुमान लगाये जा रहे थे। उसका कारण यह था कि हमारे गांव वही हैं जहां पर पहले बटवारा हुआ करता था और वहां पर एक छोटे से गांव के बटवारे में एक अमीन, दस-दस, बीस-बीस हजार रुपया प्राप्त कर लिया करता था। वही गांव हैं और वही आदमी हैं। दस-पांच वर्ष पहले यह बात हुआ करती थी। तरह-तरह के भ्रम और अनुमान थे और सब लोग यह सोचते थे जो पैसे का प्रलोभन दे कर अपना काम चलवा लेते थे, उन्होंने इसको चकबन्दी लागू होने से पहले, बड़ा अच्छा साधन समझ रखा था।

जिस समय चकबन्दी आरम्भ हुई उस समय धीरे-धीरे उनकी वह भावना दूर होती गई और चकबन्दी के जो अधिकारी थे, यह नहीं कहता कि शत प्रतिशत देवता ही हैं, किन्तु यह अवश्य ही है कि बनिस्बत और मुहकमों के कर्मचारियों के, जितने उनके सामने प्रलोभन थे उनको देखते हुए वे ४ पैसे, ५ पैसे से अधिक भ्रष्टाचारी नहीं कहे जा सकते।

चकबन्दी के मानी हैं कि जिसके पास जितना खेत होगा उतना ही उसको मिलेगा। भूमिहीन के पास खेत नहीं है तो उनको यह योजना जमीन दिला नहीं सकती। हर चीज चकबन्दी समिति की राय से हुआ करती है और उसकी कार्यवाही लिखी जाती है। इस तरह से चकबन्दी का अधिकारी अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने स्वयं देखा है कि जहां चक बने हैं, यह भी कहा गया कि आप चक बना लीजिये, ऐसी सुविधा है, लेकिन कोई बनाता नहीं। जिन गांवों में जमीन अच्छी नहीं है, ताल हैं, गड्ढे हैं उनको चकबन्दी योजना से छोड़ भी दिया गया है। बहुत से ऐसे गांव हैं जो नहीं चाहते थे चकबन्दी हो, वह छोड़ दिये गये और बाद में उन्होंने कहा कि चकबन्दी होनी चाहिये। तो ऐसी दशा में क्या किया जाय? जहां तब चक का सम्बन्ध है जितनी जिसके पास जमीन थी उसको उतनी मिली। गांवों में अदालती पंचायतें भी बना दी गईं। जो गलतियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थीं वे सब चकबन्दी योजना के कारण ही दूर हुईं। अगर चकबन्दी न होती तो कागजात में इंदराज ठीक न होते।

जहां तक उसमें पैसे रुपये का प्रश्न है एक, एक कोस पर नायब तहसीलदार रहते हैं वहां सब लोग जाते हैं, गांव के सभी लोग बुलाये जाते हैं, हर मसले को काफी देर तक देखा जाता है, इसी से देर हो जाती है। जैसा पहले अन्दाज था कि यह योजना जल्दी खत्म हो जायगी, ४, ५ साल के अन्दर, वह नहीं हो पायेगी, कारण कि समय एक-एक चीज में काफी दिया जाता है। तो गुण और दोष हर चीज में होते हैं। देखने में यह आया है, मैं तो अपने को भ्रष्टाचारी मानता हूं इसलिये कि न उठने का कोई तरीका रह गया, न खाने का तरीका रह गया, लेकिन सीधे-सीधे यह कह देना कि सभी भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। खासतौर से मैं यह देखता हूं कि जिस समय यह सदन बैठता है उस जमाने में बाढ़, सूखा, महामारी और जितनी भी ऐसी बातें हैं सभी आती हैं, लेकिन सदन के बैठने से पहले कुछ नहीं होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो ऐसी दशा में मैं यह निवेदन करूंगा कि समालोचना के मतलब यह हैं कि किसी चीज के दोष बताये जायं तो उसके गुण भी बताये जाने चाहिये, उनकी भी ताईद कीजिये। गांव सभाओं में बोलने की कोई सीमा हुआ करती है, लेकिन यह जो सम्मानित सदन है यह हमें इतने अधिकार दे बैठा है कि जो भी हम चाहते हैं बोल लेते हैं, जो नहीं भी बोलना चाहिये। तो ऐसी दशा में जहां तक इसके दोष का सम्बन्ध है हो सकता है कि ५ प्रतिशत या १० प्रतिशत इसके दोष रख लिये जायं, लेकिन इसके जो गुण हैं उनको छिपा देना, उनकी चर्चा न करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आता है। एक चित्रकार था उसने बड़ा अच्छा चित्र बनाया और हाल में टांग दिया और यह कहा कि जो इसमें बुराई हों उनको ढूंढ़ निकालिये। तो जो लोग देखने आये किसी को आंख खराब दिखाई दी, किसी को कान खराब दिखाई दिये, परिणाम यह हुआ कि पूरा चित्र लाल पेंसिल से रंग दिया गया। चित्रकार परेशान हो गया, उसने कहा कि एक भी बात किसी ने सही नहीं बतायी। उसका एक मित्र था उसने कहा कि यह जनतन्त्र का जमाना है तुमने खराबी निकालने के लिये पूछा था वह निकाल दी गई। अब आप दूसरा चित्र बनायें और पूछिये कि इसकी अच्छाई निकालिये। उसने दूसरा चित्र बनाया और पूछा कि इसकी अच्छाइयां निकालिये। उसमें सबने अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखाईं। तो समालोचना की भी एक हद हुआ करती है। विरोधी दल के लिये तो इस सरकार की सभी योजनाएं गलत ही रहीं, अखबारों में देखा कि सरकार की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो दोषपूर्ण न हो। ऐसी दशा में उनकी कौन सी बात सही मानी जाय यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरे जो भाई उधर बैठ हुए हैं उन्होंने एक भी योजना के लिये यह नहीं कहा कि यह जनहित में है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल दोष ही वे निकालना चाहते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा।

जिन महाशय ने यह प्रस्ताव रक्खा है मालूम होता है कि उनके क्षेत्र में चकबन्दी नहीं हो रही है। लिहाजा वे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते कि चकबन्दी में क्या हो रहा है। हर जिले में सुझाव के लिये एक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है जिसमें सब पार्टी के लोग रक्खे गये हैं। वह महीने में समय-समय पर बैठा करती है और जो सुझाव आते हैं वे सरकार के पास भेज दिये जाते हैं। प्रान्तीय स्तर पर भी एक कमेटी बनी हुई है जिसमें हर जिले का एक आदमी है। वह भी राय देती है और हर प्रकार के सुझाव की उसमें मान्यता है। उन सुझावों के मुताबिक काम भी होता है।

जहां तक बन्द करने का प्रस्ताव है हर योजना के लिये यही कहा जाता है, इससे तो काम नहीं चलेगा। अगर सब भ्रष्टाचारी हो गये हैं तो ठीक है आप सबको निकाल दीजिये, योजना बन्द कर दीजिये, लेकिन गांव की जनता जो घूस देने की चेष्टा करती है उस पर आपका क्या नियंत्रण है। उसको जा कर आप कितना समझाते हैं, लेकिन वहां कोई बात करनी नहीं, सिर्फ सदन में आ कर ही सब कुछ कहा जाता है। मैं तो यह समझता हूं कि चकबन्दी की योजना जिस रूप से चल रही है उससे सुन्दर कोई भी हमारी अन्य योजना नहीं है। अगर उसको तत्काल बन्द किया जाता है तो उससे जनता के धन तथा समय का अपव्यय होगा। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रक्खा है मेरा उनसे निवेदन है कि वे हर स्थिति की स्वयं जा कर जांच करें। जांच सत्यता के साथ करें यह नहीं कि विरोध करना है। अगर कोई बात उन्हें दिखाई दे तो सरकार उसको मानने को तैयार है और उनके सुझाव का स्वागत करेगी।

मेरा डंके के साथ और दावे के साथ निवेदन है कि जितनी सरकारी योजनाएं चली हैं उनमें सबसे अच्छी चकबन्दी की योजना है, इस नाते कि ८-८ और १०-१० जगहों पर खेत बिखरे हुए थे, किसान उनको देख नहीं पाता था, वे सब एक जगह कर दिये गये हैं। बलिया में चकबन्दी नहीं है तो वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां चकबन्दी कीजिये। आप में से किसी सम्मानित सदस्य को एक गांव ही दे दिया जाय और उस जगह वे चकबन्दी कर दें तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बड़ी कठिनाई है इसमें। एक-एक मेड़ के उपर लाठियां चली हैं,

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

हाई कोर्ट तक मुकदमे गये हैं। जो इतने विवाद का प्रश्न है उसको चकबन्दी के अधिकारियों ने जिस तरह से पूर्ण किया है उसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिये। उन्होंने १८, १८ घंटे काम किया है। मैं सारा हाल जानता हूं। मुमकिन है कि भ्रष्टाचारी अफसर हों, उनके लिये आप सुझाव दें, उसका सरकार स्वागत करेगी। इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो रोक दिया जाऊंगा। इसलिये क्षमा-प्रार्थी हूं।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव पेश है मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। चकबंदी, जैसा कि अभी-अभी माननीय सदस्य जो मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही मुश्किल मसला है। एक बाप अपने चार बेटों में तकसीम करता है तो वह भी ठीक नहीं कर पाता है, हालांकि चारों बेटे उसकी निगाह में बराबर होते हैं। जब वह तकसीम कर देता है तो एक न एक नाराज होता है और कहता है कि फलां खेत मुझे क्यों नहीं दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह इतना मुश्किल मसला है। मामूली तरीके से जिन सज्जनों के जिलों में चकबंदी नहीं है, वह भी इसके विरोध में इसको भूत बनाकर बोल चुके हैं, तो लम्बे-लम्बे लैक्चर दे देना आसान है। यही बात, जैसे कि कोई आदमी किसी बंटवारे को पूरा नहीं कर सकता है उसी तरह से मैं समझता हूं कि चकबंदी में बहुत हद तक है। कोई काम किया जाय उससे सौ फीसदी आदमी खुश होंगे, यह नामुमकिन बात है।

दूसरी बात यह है कि चकबंदी से किसानों को लाभ है या हानि है। प्रस्तावक महोदय ने स्वयं कहीं-कहीं यह कहा है कि चकबंदी अच्छी चीज हो सकती है बशर्ते कि उनकी बात जो उन्होंने कहीं, वह मान ली जायं, जिनके बारे में मैं आगे चलकर अर्ज करूंगा और कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिया। केवल यह बात कही कि जहां ५१ फीसदी आदमी रजामंद हो जायेंगे वहां चकबंदी ठीक हो जायगी। मैं उनको चैलेंज करता हूं और मैं उनको ऐसे गांव दे दूंगा जिनमें सौ फीसदी आदमी रजामंद होंगे लेकिन चक कट जाने के बाद ८० फीसदी खिलाफ होंगे। यह शायद अनुमान मालूम होता है। चकबंदी का उनको तजुर्बा नहीं है।

एक बात और मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि जिला मेरठ में सरकारी कानून के अलावा सहकारिता के द्वारा मैंने खासतौर से चकबंदी कराई। इसमें कायदा यह होता है कि गांव के सब किसान इसके सदस्य होते हैं और उनमें से कम से कम ७५ फीसदी जब अपनी अनुमति दे देते हैं कि हम चकबंदी चाहते हैं तब सहकारी समिति चकबंदी की बनाई जाती है। मेरठ में ऐसे करीब ५० गांव हैं जहां चकबंदी कराई गई। प्रस्तावक महोदय ५१ फीसदी कहते हैं; मैं कहता हूं ७६ फीसदी आदमी रजामंद थे, लेकिन जब चक काट दिये गये तो हाईकोर्ट तक मुकदमे बाजी हुई, बल्कि कत्ल तक हुये। मेरे कहने का मतलब यह है कि ५१ फीसदी का सुझाव गलत है और यह कोई इलाज नहीं है और जितने माननीय सदस्य इसके समर्थन में बोले उन्होंने और कोई सुझाव नहीं दिया। माननीय पालीवाल जी ने अपना उपदेश दिया जैसा कि वह आम तौर से देते हैं और मैं उसकी बहुत कद्र करता हूं, लेकिन उसमें कोई सुझाव नाममात्र को भी नहीं था। केवल दलील यह थी कि विरोधी कहते हैं और ट्रेजरी बेंचेज नहीं मानती है तो यह जनहित के विरुद्ध जाता है। अगर इस तरह की दलील मान ली जाय तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं होगा। मायनारिटी की बात हमेशा मानने से अक्सरियत की हुकूमत नहीं चला करती है। प्रजातंत्र में जो माइनारिटी होती है उसकी बातों को मान लेने से ही प्रजातंत्र हो तब तो मेजारिटी पार्टी रूल प्रजातंत्र में कभी माना ही नहीं जा सकता। उस दलील के साथ उन्होंने काफी इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार है और इसके अलावा कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिया।

माननीय पालीवाल जी हमारी स्टेट ऐडवाइजरी कमेटी के मेम्बर हैं। सौभाग्य से मैं भी उस कमेटी का मेम्बर हूं। मैं बहुत गौर से देखता रहा, उसकी मीटिंग में कभी

आज तक पालीवाल जी ने कोई सुझाव नहीं दिया । अगर एक सदस्य अपने दिमाग में कोई योजना रखता है तो कोई वजह नहीं है कि जब मीटिंग्स हों तो उनमें वह कोई सुझाव न रखे । यहां जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में बोले हैं उन्होंने सिर्फ एक ही सुझाव दिया कि ५१ फीसदी आदमियों की अनुमति ली जाय । उसका मैंने उत्तर दे दिया । दूसरा कोई सुझाव उधर से नहीं आया । चकबंदी का कानून इस आदरणीय सदन ने पारित किया है, उसमें सेलेक्ट कमेटियां बैठीं, आपस में बातचीत भी हुई, जितने भी सुझाव उसमें आये उन सब पर गौर किया गया । मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी चीज थी जिससे चकबंदी का काम होने में सुविधाएं हो सकती थीं तो विरोधी दल की तरफ से सुविधा के साथ ऐसे सुझाव उसमें दिये जा सकते थे । चकबंदी किसान के लिये निहायत फायदेमन्द है । लेकिन विरोधी दल के जितने माननीय सदस्य बोले, किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि यह किसान के हित की चीज है, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि उनके दिमाग में यह है कि इससे किसान का अहित होता है । पालीवाल जी ने तो यहां तक कहा कि फायदे के बजाय किसान का नुकसान हो रहा है । मैं उनका मतलब समझ नहीं पाया कि कैसे उन्होंने यह नतीजा निकाला कि चकबंदी से किसान को नुकसान है । हो सकता है कि सारे ही सरकारी महकमों में कहीं न कहीं कुछ कमी हो, भ्रष्टाचार भी हो सकता है, मैं यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि चकबंदी में भ्रष्टाचार नहीं है, अगर भ्रष्टाचार न होता तो उसके जितने कर्मचारी अब तक बरखास्त हुए, मुअत्तल हुए या अलहदा किये गये, वे न किये जाते । पालीवाल जी की यह दलील थी कि कर्मचारियों को सजायें दी गयीं, यह इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार है और इसलिये चकबंदी को रोक दिया जाय । मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके बरखिलाफ यह दलील मजबूत है कि इतनी सावधानी के साथ कार्यवाही की जा रही है कि जिस पर जरा भी शुबहा होता है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है । पालीवाल जी का यह कहना कि इससे भ्रष्टाचार साबित होता है, यह तो ठीक है लेकिन मैं यह कहूंगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं वे वहां से निकाल दिये गये इसलिये भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया । एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पालीवाल जी बुजुर्ग हैं, मेरे यहां तहसील सरधना में चकबंदी है, उसमें वे जो गांव चाहें छांट लें और जब वे यहां मंत्री थे तब जैसा उनका आदर होता था उससे मैं समझता हूं कम नहीं होगा । वे वहां जायं और अगर ७० फीसदी से कम आदमी चकबंदी से सैटिस्फाइड हों तो मैं भी उनकी राय का हो जाऊंगा कि चकबंदी को मुल्तवी कर दिया जाय । लेकिन अगर वे इस राय के हों कि वहां ७० फीसदी आदमी यह कहते हैं कि हमारे चक ठीक बने, कोई रिश्वत नहीं ली गयी और बहुत सुविधा के साथ काम हुआ तो मैं समझता हूं कि माननीय पालीवाल जी को यह कहना चाहिये कि चकबंदी ठीक है और ठीक ढंग से हो रही है । तहसील सरधना में, जो मुजफ्फरनगर से बिलकुल मिली हुई है और जहां बड़ा वायवेला था कि वहां चकबंदी में बड़ी खराबियां हैं, बड़ी रिश्वत है, कुछ आदमी जिनके जिम्मे ही यह काम था कि इस चकबंदी को मुल्तवी किया जाय, इसके खिलाफ प्रचार किया जाय, पहुंचे और उन्होंने जल्से किये । उस समय चकबंदी शुरू भी नहीं हुई थी । जैसे माननीय सदस्य ने यहां चकबंदी को भूत बताया वैसे ही उन्होंने वहां किया और कहा कि इससे तुम तबाह हो जाओगे, मुजफ्फरनगर में बड़ा रिश्वत ली गयी है, यहां तुम इसको मत होने दो । लेकिन खुशी की बात है कि वहां की जनता ने उनको यह बता दिया कि तुम्हारी यह बहकाने की जो बात है, वह यहां सफल नहीं हो सकती ।

एक ग्राम निरपड़ा है, जिसमें लगभग ७,००० की आबादी है और वहां के निवासी अधिकांश में खेती पेशा है । इतने बड़े गांव में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने रिट भी दाखिल किये हैं, तीन चार आदमियों ने, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में वहां केवल २२ चक ऐसे हैं कि जिनके २२ आदमी कहते हैं कि यह खराब है और ७,००० की आबादी का इतना बड़ा गांव, उसके सारे लोग यह कहते हैं कि चकबंदी बिलकुल ठीक है, इसमें रिश्वत की कोई बात नहीं है । तो यह मिसाल देने का मेरा तात्पर्य यह है कि वहां सरधना तहसील में इतने अच्छे ढंग से चकबंदी हो रही है कि वहां रिश्वतसताना या बेईमानी की कोई बात नहीं है । इसके अलावा स्टेट ऐडवाइजरी कमेटी में या जिला स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई हैं

[श्री फतेहसिंह राणा]

उनमें कोई सुझाव मेम्बर्स दें तो कोई वजह नहीं है कि सरकार या माल मंत्री जी उन सुझावों पर अमल न करें। यह कहना कि बिना भूमि का बटवारा हुए चकबंदी होना कोई मानी नहीं रखता, मैं समझता हूं कि यह तो सिद्धांत की, पालिसी की बात है ।

मैं समझता हूं कि जो लोग भूमि के बटवारे के फेवर में हैं वही यह बात कह सकते हैं, लेकिन चकबंदी का और भूमि के बटवारे का कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल यह कहना कि भूमि का बटवारा नहीं हुआ इसलिये चकबंदी से कोई लाभ नहीं होगा, गलत है । किसानों को चक बनने से कितनी ही सुविधायें हो जाती हैं जिनका बयान करना इस सदन में उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि जो किसान हैं वे इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर बिखरे हुए खेत एक या दो जगह इकट्ठे हो जायं तो उससे उसका बहुत लाभ हो सकता है और वह सुविधा से खेती कर सकता है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भगवतीसिंह विशारद जी ने जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है,मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

चकबंदी के नाम पर जो अब तक विवाद चला है और जितना संघर्ष हुआ है और इसके विषय में जनता की क्या राय है, यह सब सदन से छिपा नहीं है । भूमि की व्यवस्था की क्रान्ति में जब कभी कोई नया कदम लिया गया, अनुभव यह बताता है कि छोटे और गरीब काश्तकारों की जमीन की छीनाझपटी जिस कदर हुई है, वह किसी से भी छिपा नहीं है । जमींदारी के खात्मे के वक्त जमींदारों ने छोटे-छोटे काश्तकारों की जमीन की छीनाझपटी की। उससे छोटे-छोटे काश्तकार तबाह हुए। अधिवासी स्कीम में भी काश्तकारों की जमीन बुरी तरह से छीनी गयी । अब यह तीसरा मौका आया है चकबंदी का, कि जो बड़े-बड़े काश्तकार या जमींदार हैं, उनको अच्छी जमीन मिली और छोटे काश्तकारों को खराब जमीन ।

जहां तक चकबंदी के सिद्धांतों का सवाल है, इसके सिद्धांतों को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सी बातें की गयी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । मैं चकबंदी के सिद्धांत का विरोध नहीं करता लेकिन प्रश्न यह है कि जिस सिद्धांत को लेकर किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये उनके बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करने का नाम लेकर चकबंदी जो की जाती है उसके बहाने काश्तकारों के खेत छीने जाते हैं और उनकी लूट होती है और साथ ही रिश्वतसतानी होती है । मैं तो यह समझता हूं कि सरकार के विभागों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें यह विभाग एक और अध्याय भ्रष्टाचार का जोड़ रहा है । चकबंदी अभी सिर्फ २६ जिलों में चल रही है और वह भी हर एक जिले के १,२ तहसील में चल रही है । बाकी जिन जगहों में नहीं है वहां पर जनता सशंकित है । वह यह सुन रही है कि जहां पर चकबंदी हुई है वहां पर धनवानों को अच्छी जमीन मिली है । जो बड़े जमींदार हैं, अधिकारियों को खुश कर सकते हैं और रुपया पैसा दे सकते हैं वह अच्छी जमीन पा लेते हैं लेकिन छोटे किसान या गरीब काश्तकारों को अच्छी जमीन नहीं मिल पाती है । यह भाव उनके दिल में समाया हुआ है जो कि आज उनके दिल में चकबंदी के विरोध में हो रहा है । मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अभी इस ३ साल के तजुर्बे के मुताबिक और जनता की इस भावना को लेकर अगर इस संकल्प में, जो कि सदन में प्रस्तुत किया गया है, सुधार नहीं किया गया तो सरकार के लिये यह योजना बड़ी लाञ्छनीय होगी और उसका उद्देश्य जो सरकार समझती है वह पीछे रह जाता है । इससे सरकार की बदनामी होगी । हमारी हमदर्दी माननीय माल मंत्री जी के साथ है । अगर उनकी बदनामी होती है तो यह हमारे लिये बहुत ही बुरी बात होगी । इस वजह से मेरा उनसे बार-बार अनुरोध है कि अपने तजुर्बे के आधार पर जो तीन साल का हुआ है उसके आधार पर इस संकल्प में सुधार करने की चेष्टा करें । अभी कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि माननीय माल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया । उसकी कोई तफसील तो मालूम नहीं हुई, लेकिन जो अखबारों से कुछ आभास मिला और अफवाहों से मालूम हुआ, वह यह कि उनकी विशेष आपत्ति यही थी कि सरकार के विभागों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है ..

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या कोई खबर यहां पर अफवाह की बिना पर किसी मेम्बर के बारे में डिसकस की जा सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष---इस्तीफे का जिक्र अखबार के आधार पर न करें। आपके पास प्रमाण इसका कोई और हो तो तभी इसका जिक्र किया जा सकता है।

श्री भीखालाल--मैं यह कह रहा था कि अखबारों में जैसा पढ़ा गया, माननीय माल मंत्री का सरकार के ऊपर एक यह भी आरोप था कि सरकार के विभागों में व्यापकरूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है . . .

श्री उपाध्यक्ष---चकबंदी से उस आपकी जानकारी का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भीखालाल--मैं यह माननीय मंत्री जी की भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूं, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उस भ्रष्टाचार की गंध उनको चकबंदी योजना में भी मिली या नहीं।

श्री चरण सिंह--मैंने यह कब इन्कार किया है कि चकबंदी में भ्रष्टाचार नहीं है ? कौन ऐसा आदमी है जो यह दावा कर सकता है कि हमारी सारी सोसाइटी में भ्रष्टाचार नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझूंगा कि अगर बजाय पारस्परिक संवाद के आप विषय पर ही बोलें तो ज्यादा अच्छा हो ।

श्री भीखालाल---इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये एक कमेटी का सुझाव रखा गया है। यह सुझाव बेजा नहीं है और मंत्री जी को इसे मान लेना चाहिये। हमारी पार्टी ने पहले भी यह चीज सरकार के सामने रखी थी और आज यह दूसरा मौका है। इस प्रस्ताव को न मानने में सैकड़ों किस्म की दलीलें दी जा रही हैं या तो मंत्री जी इसे अपनी व्यक्तिगत बदनामी का या सरकार की बदनामी का विषय बना रहे हैं और उसे नहीं मानते हैं, वरना जिस भ्रष्टाचार के लिये मंत्री जी स्वयं भी कहते हैं उसको कमेटी के सुझावों से दूर किया जा सकता है और छोटे-छोटे काश्तकारों की जमीन जो छीनी जा रही है वह रोकी जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि यह संकल्प मान लिया जाय ।

*श्री सुल्तान आलम खां--जो रिजोल्यूशन और तरमीमें पेश हुई हैं, मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, उनके साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन बावजूद इसके मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि इन प्रस्ताव और तरमीमों से कौन सी बात हासिल की जा सकती है। मुझे याद है कि जब चकबंदी कानून यहां आया था तो करीब-करीब दोनों तरफ के बैठने वाले सभी लोगों ने उसे यूनानीमस तौर पर मंजूर किया था। यह सही है कि किसी कानून के बनाते वक्त बहुत सी कमियां रह जाती हैं और वे बाद में तरमीमों के जरिये ठीक की जाती हैं। इस कानून में भी बहुत किस्म की दुश्वारियां पेश हुईं और वक्तनफवक्तन वे दूर की जाती रहीं। कानून के चलाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि उसके जरिये से हम अपनी परमानेन्ट सर्विसेज को अधिकार दें कि वे उसकी मंशा को पूरा करें। हर कानून को इस कसौटी पर कसने से एक ही बात मिलेगी कि उसके जरिये से अधिकारी लोग काम को पूरा करें। लेकिन बाज मर्तबा हमको ऐसे कानून भी लागू करने पड़ते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ओपीनियन को एसोसियेट करना होता है और उसके लिये राय आम्मा को तैयार करना होता है। मैं देखता हूं कि इस कानून के साथ भी ये तमाम चीजें की गयीं। गांव के लेविल पर अधिकारियों को सलाह देने के लिये कमेटियां बनाई गईं। जहां तक मुझे खयाल है, तकरीबन हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लैविल पर, ऐसी कमेटियां बनायी हैं और प्रांविशियल लेविल पर भी ऐसी कमेटी रहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुल्तान आलम खां]

एक बात यह कही गयी कि जहां चकबन्दी लागू की जाय वहां कम से कम ५१ फीसदी लोगों की रजामन्दी होनी चाहिये। मैं अर्ज करूंगा कि या तो कानून नाफिज होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी पाबन्दी रखी गयी तो इसका नतीजा क्या होगा? आप ताजीरात हिन्द या जाब्ता फौजदारी उठाइये और अगर आप उनके मुताल्लिक जनमत मालूम करें तो लोग कभी भी उनको नाफिज कराने के लिये तैयार नहीं होंगे। मुझे याद है कि इस कानून के बनाने के पहले एक एडवाइजरी कमेटी प्राविंशल लेविल पर बनाई गयी थी और उसके सामने यह मसला आया कि क्या इस कानून को लोगों की रजामन्दी से नाफ़िज किया जाय। उस कमेटी में मेरे दोस्त गेंदासिंह जी भी थे और दूसरे लोग भी थे। उन सबने यही यूनानीमस राय दी कि इसे बगैर लोगों की राय लिये नाफ़िज करना चाहिये। चुनांचे इस तरह से वह आज चल रहा है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कमियां नहीं हैं या करप्शन नहीं है या कुछ लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई है। ये सब चीजें मुमकिन हैं। लेकिन ऐसी बातें हर काम में होती हैं, कंट्रोल में, सिविल सप्लाईज में और इलेक्शन में भी सुनने को मिलीं। लेकिन हमें करना क्या चाहिये? इस कानून के बारे में कभी दो रायें नहीं हुईं और आज भी यह नहीं कहा गया कि चकबन्दी नामुनासिब चीज है। सवाल आज सिर्फ यह पैदा किया गया है कि कमेटी या कमीशन के जरिये इसकी बुराइयों को दूर किया जाय। लेकिन डिटेल में यह नहीं बताया गया कि क्या बुराइयां हैं और क्या कदम उन्हें दूर करने के लिये उठाये जायं। अगर कोई शख्स बुरा या गलत है और हम उसे बुरा तो कहते रहें मगर सुधारने कि कोशिश न करें तो वह कभी भी सुधर नहीं सकता। सिर्फ स्लोगन से करप्शन दूर नहीं हो सकता। हमारे बुजुर्ग पालीवाल जी ने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यह सही है। परन्तु यह कुदरत का कानून है और हमेशा हुआ है और होगा, कोई इसे रोक नहीं सकता है। सवाल यह है कि जिन लोगों के लिये कानून बनाया है उनको क्या जरूरतें हैं। बाज औकात गरीब किसान को बड़े आदमी एक्सप्लायट करते हैं। इंटेलीजेंट नान-इंटेलीजेंट को हमेशा एक्सप्लायट करेगा। लेकिन कोई दूसरे के लिये तभी कोशिश कर सकता है जबकि वह अपने लिये कोशां हो। लेकिन अगर वे अपने घर पर खामोश बैठे रहें तो यह नामुमकिन है कि दूसरे आकर उनका काम करते रहें। इससे ज्यादा जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और इन चीजों से मुतास्सिर होते हैं, यह समझते हैं कि एक आदमी को नुकसान पहुंच रहा है और दूसरा आदमी उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो यह चीज खाली कहने से हल नहीं हो सकती, सवाल यह है कि अपनी जगह पर उसके लिये वे क्या करते हैं, उनका फर्ज है कि उन लोगों की वे मदद करें, उनको वह उस मुसीबत से निकालने की कोशिश करें। इसके लिये कई कमेटियां भी बनी हुई हैं। एक कमेटी विलेज लेविल पर बनी हुई है; एक डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बनी हुई है। अच्छे लोग गांव में मौजूद हैं, उनको चाहिये कि वहां उसके लिये राय तैयार करें, कोशिश करें कि वहां सुधार हो। अगर किसी वजह से विलेज लेविल पर सुधार नहीं हो सकता है तो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हो सकता है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर भी नहीं हो पाता है तो प्राविंशियल लेविल पर हो सकता है। माननीय मंत्री जी का दरवाजा तो सब के लिये खुला हुआ है, वह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जाती तजुर्बा यह है कि जब कभी माननीय मंत्री जी के सामने इस तरह की कोई चीज आई है, और अगर उन्होंने उसको जायज समझा है, तो उस पर उन्होंने ऐक्शन लिया है। अगर कहीं कोई कमी है तो आप उसको जाहिर कर सकते हैं, जो भी आपकी राय हो वह आप विलेज लेविल पर, डिस्ट्रिक्ट लेविल पर, दे सकते हैं। अगर कोई ऐसे सुझाव हों जो कि प्राविंशियल लेविल पर हो सकते हों तो उनको आप यहां भी दे सकते हैं। रूल्स में कोई तरमीम करनी हो या कानून में किसी तरमीम की जरूरत आपको महसूस होती हो तो उसमें भी सुधार हो सकता है। मैं समझता हूं कि आपका ऐसा सुझाव वेलकम होगा।

कुछ हमारे यहां रेवेन्यू कमेटियां भी हैं; उनमें भी आप सुझाव दे सकते हैं। लेकिन ८-१० आदमियों का कोई कमीशन या कमेटी बिठा दी जाय कि वह जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करे तो उससे क्या चीज हासिल हो सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। जब यहां ४३१

आदमी बैठकर सुझाव नहीं दे सकते हैं और जिन सुझावों पर अमल करके हम इस कानून को बेहतर बना सकते हैं, लोगों को सुभीता पहुंचा सकते हैं तो मुझे बड़ा शक है कि ऐसी हालत में कोई कमेटी या कमीशन कोई मुनासिब काम कर सकेगा ।

लिहाजा इस मामले में मेम्बर साहबान से मेरी यही गुजारिश है कि वे जरा थोड़ा सब्र और जब्त से काम लें । हम रिअलिटी को पहचानें और कानून को बनायें । यह मुसल्लिमा बात है और इस डिबेट ने इस बात को और भी साबित कर दिया है कि इस चकबंदी कानून के मामले में दो रायें नहीं हैं और यह कि कोई ऐसा कानून इस सूबे की तवारीख में नहीं आया है । वह एक बहुत ही अच्छा बिल है । लेकिन इस बिल के अमलदरामद में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, जिनका लोगों ने जिक्र किया । इनका जिक्र और तजकिरा तो किया लेकिन यह नहीं बताया कि उसका इलाज क्या है । दिक्कतों का इलाज, जैसा मैंने अर्ज किया, कोई कमेटी या कमीशन नहीं कर सकते । कमेटी या कमीशन कोई छू मंतर नहीं है कि जिधर फूंक दिया, उधर सुधार हो गया । सुधार के लिये तो अमल की जरूरत होती है । अगर हम विलेज लेविल पर, डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और स्टेट लेविल पर कोआपरेशन की स्पिरिट से इस काम को उठायें तो सुधार हो सकता है और कोई वजह नहीं कि हम अपनी मुसीबतों को दूर न कर सकें ।

जनाबवाला, मैं उन लोगों में से हूं जो कमीशन और कमेटियों पर ज्यादा यकीन नहीं रखते । मैं समझता हूं कि अगर किसी केस को खटाई में डालना हो तो उसको सेलक्ट कमेटी या कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाय । कमेटी या कमीशन के पास कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि वह हमको मदद पहुंचा सके, हमारी दिक्कतों को दूर कर सके ।

जनाबवाला, मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि बजाय इसके कि चकबन्दी के सिलसिले में कोई कमीशन बैठाया जाय, इस बात के लिये कमीशन बैठाया जाय कि इन्सानी चरित्र कैसे ऊंचा किया जा सकता है । अगर इस सूरत से इंसानी चरित्र को उठाने की कोशिश की जाय तो सही माने में यह दिक्कतें व दुश्वारियां रफा हो सकती हैं । लेकिन जब तक कि इंसान का चरित्र जैसा कि आज है वही है तो उस वक्त तक वे दिक्कतें और दुश्वारियां रहेंगी और उन दिक्कतों व दुश्वारियों के रहते हुए भी हमें अपने लिये एक रास्ता निकालना पड़ेगा और उस रास्ते पर चल कर इन दिक्कतों व दुश्वारियों का मुकाबला करते हुए, उन दिक्कतों व दुश्वारियों से गुजरते हुए हम अपने लिये एक रास्ता बनावें तब हम अपने मंजिले मकसूद पर पहुंच सकते हैं । तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस रेज्योलूशन पर काफी डिस्कशन हुआ लेकिन डिस्कशन में इस मुतालबे पर ही जोर दिया गया कि इसके लिये एक कमेटी या कमीशन बैठाया जाय और वह कमेटी या कमीशन तीन या चार महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करें । बेहतर तो यह है कि जो बुनियादी बातें हैं उनका जिक्र किया जाय और उनके ऊपर ज्यादा रोशनी डाली जाय और उसी के साथ-साथ कुछ कांस्ट्रक्टिव प्रोपोजल्स भी उन कमियों को दूर करने के लिये करें तो जरूर इसका सुन्दर इन्तकाम हो सकता है । मैं समझता हूं कि जो दरख्वास्त मैंने हाउस के सामने की है, उस पर मेरे साथी गौर फरमायेंगे और अपना कोई ऐसा कांस्ट्रक्टिव सजेशन माननीय मंत्री जी को देंगे, जिस पर गौर करके जो आज हमारी दिक्कतें इस सिलसिले में हैं, वे दूर हो सकती है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा--उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन में उपस्थित हुआ है, उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मैंने बड़े गौर से अपने साथियों के भाषणों को सुना । जब जब चकबन्दी की चर्चा इस सदन में हुई तो विरोधी दल का केवल एक ही तर्ज आज तक रहा और वह तर्ज था तबर्रा पढ़ने का । चकबन्दी के सिलसिले में जब चर्चा हुई तो भ्रष्टाचार का जिक्र आया और उस भ्रष्टाचार की सीमा भी कहीं दिखलायी नहीं पड़ी । अगर इस संकल्प के साथ में हमारे भाई विशारद जी अपने सुझाव भी रखे होते, जहां सचमुच कठिनाइयां या दुश्वारियां हैं, उनको दूर करने के लिए, तो सचमुच भला होता ।

[श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा]

चकबन्दी का मसला ऐसा मसला नहीं है जिससे किसानों को लाभ न होता हो । इस बात में सभी इत्तफाक राय हैं कि चकबन्दी से किसानों का लाभ है लेकिन चकबन्दी जहां चल रही है वहां के लोगों को शिकायतें हैं । शिकायतों का जिक्र जिस तरह से किया जाता है उसे सुन कर एक हैरत होती है । किसी इलाके में इस तरह का भ्रष्टाचार फैला हो जिसका कि जिक्र किया गया है, वहां के प्रतिनिधि वहां कुछ नहीं करते बल्कि आज के दिन के लिये, यहां के लिये उसका जिक्र करने को बैठे रहते हैं । मेरा खयाल तो यह है कि यदि सचमुच जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हो रही है, वहां इस कदर भ्रष्टाचार फला हुआ है तो वहां के हमारे साथी वहीं क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते ?

कानपुर जिले के हमारे एक साथी ने कहा कि चकबन्दी का बड़ा विरोध हो रहा है । मालूम नहीं, कहां की बात उन्होंने कही । मैं तो अपने क्षेत्र में बराबर एक ही बात देखता हूं कि वहां के किसान तो हमसे बराबर यही कहते हैं कि हमारी तहसील में, हमारे जिले में चकबन्दी कब तक आवेगी । जब जब मैंने चौधरी साहब से कहा कि कानपुर में भी चकबन्दी का इन्तजाम करें तो उन्होंने यही कहा कि करें तो, लेकिन कहीं वहां भी विरोध करने वाले और गाली बकने वाले खड़े हो जायेंगे तो क्या इससे कोई भला होगा ।.....

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---आन ए प्वाइंट आफ इनफारमेशन, सर। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे माननीय दोस्त कभी लेखपाल के चक्कर में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---आप माननीय सदस्य का सवाल समझ गये ?

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---जी हां, खूब समझ गया ।

लेखपाल का चक्कर पटवारी के चक्कर से ज्यादा नहीं है, जिसने पटवारी का चक्कर देखा है उसके सामन लेखपाल तो छोटी चीज है लेकिन अगर मुझसे ज्यादा तजुर्बा मेरे दोस्त को हो तो वह उसका इजहार करें---उनको तो एक ही बात का तजुर्बा है कि वह सदन में एक ही बात का बार-बार जिक्र करें और वह बात है, भ्रष्टाचार ।

श्री सुरथबहादुरशाह---उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, अब बार-बार नहीं पूछ सकते ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---मैंने ब्रह्मचारी जी और श्रीमती चन्द्रावती जी की बात को गौर से सुना । चकबन्दी के काम में कठिनाई अवश्य है, बटवारे का तो काम ही ऐसा है कि वह चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितनी अच्छी नीयत से किया जाय, उसमें सब को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ लोग अवश्य असन्तुष्ट हो सकते हैं । जहां भी चकबन्दी का काम शुरू होता है उसमें किसान बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेता है और वह उसमें उस वक्त तक बराबर सहयोग करता है जब तक कि उसके हिस्से के खेतों के नम्बरान का एलान नहीं होता और जहां एलान हुआ उसमें से कुछ फीसदी लोग ऐसे होते हैं कि जो बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी फलां जमीन निकल गयी, अच्छी से अच्छी जमीन को लेने में वह मुश्किल से राजी होते हैं और शक की निगाह से हर चीज को देखते हैं । गरीब आदमी का शक वाला मिजाज होता है । वह समझता है कि जो भी खेत उसे दिया जा रहा है उसमें उसका नुकसान है ।

जिन दिनों अपने प्रदेश में भूमि-व्यवस्था का कानून बना था और जमींदारी उन्मूलन हुआ था तब लोगों से कहा गया था कि तुम भूमिधर बनो । वह बात शुरू में तो खूब चली लेकिन जब किसान को शक सिखलाया गया कि इसमें सरकार का भला है तो वह चौंक गया । वह समझने लगा कि इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है और इसमें सरकार का लाभ हो रहा है लेकिन आज किसान जगह-जगह चाहता है कि अगर १० गुना रुपया उसके पास हो जाय तो वह भूमिधरी के अधिकार प्राप्त कर ले । जिन क्षेत्रों में चकबन्दी जारी है वहां अगर कोई शिकायत है तो वह

जरूर दूर की जाय, शिकायत दूर होनी चाहिये, भ्रष्टाचार है उसे भी रोकना चाहिये लेकिन उसको दूर करने के उपाय भी तो कोई मेरे दोस्त बतायें, समाज में भ्रष्टाचार है ....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य, जो तकरीरें हुई हैं, उन्हीं पर सीमित रहें। मैं एक ही बात को बार-बार दोहराने की इजाजत नहीं दे सकता। जो सम्बन्धित बातें हैं वही कहने का प्रयत्न करें।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---मैं अब अन्त में सदन से यही प्रार्थना करता हूं कि जो सुझाव हैं वह यहां दिये जायं और यह संकल्प वापस किया जाय। केवल भ्रष्टाचार का जिक्रमात्र करने से न तो माननीय सदस्यों का भला हो सकता है और न चकबन्दी में सुधार ही हो सकता है और न इससे प्रदेश का भला हो सकता है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि चकबन्दी के विषय में सुझाव दिये जायं। चकबन्दी के उपर क्या सुझाव दिये जायं ? सुझाव तो उस पर ही दिये जा सकते हैं जिस चीज में थोड़ी सी गल्ती हो, लेकिन जिसकी नींव ही भ्रष्टाचार पर कायम हो, उसमें सुधार क्या दिये जायं ? उसका तो विरोध ही विवश होकर करना पड़ता है। जहां कहीं चकबन्दी हो रही है और जहां आप समझते होंगे कि आप के अफसर बड़ा सुन्दर इंतजाम कर रहे हैं वह वहां पर जनता में बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं, जनता में उनको भेड़िया समझा जाता है। फिर भी सरकार की समझ में न आये और सुझाव की बात की जाय तो क्या कहना और सुझाव भी दें तो कितने सुझाव आपने हमारे माने हैं ? कभी कोई माना हो तो बताया जाय ?

माननीय पालीवाल जी का जो प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मैं जानता हूं कि आप उस को मानेंगे नहीं, न सुनेंगे, लेकिन हमें तो अपने विचार कहने हैं, लोगों को तो मालूम हो जाय कि हम यहां आकर चकबन्दी का विरोध करते हैं। अव्वल तो मैं इसलिये विरोध करता हूं कि जमीन बराबर नहीं है। यह तो आप भी मानते हैं, दूसरे आप का लगान निश्चित नहीं है, बराबर नहीं है, कहीं एक रुपया एकड़ है, कहीं २५ रुपया एकड़ है और साथ ही साथ आप ने जो सीरदार, भूमिधर, अधिवासी तथा आसामी, चार प्रकार के काश्तकार बनाये हैं, तो उनकी आप ने चार प्रकार की व्याख्या कर दी है। अगर एक ही खेत में चार प्रकार के काश्तकार हैं और उस में एक ही किस्म की पैदावार होती है, तो उसके मूल्य भिन्न-भिन्न होंगे। विभिन्न प्रकार की जमीनों के मूल्य भी भिन्न होंगें .....

श्री उपाध्यक्ष---आप यहां पर विभिन्न जमीनों के मूल्य भिन्न प्रकार के होंगे या नहीं, इस सम्बन्ध में चकबन्दी का क्या संबंध जोड़ना चाहते हैं ?

श्री बंशीधर शुक्ल---जी हां, चकबन्दी में मुझे ऐसा सुनने में आया है। कुछ लोगों ने यह बतलाया है कि सीरदार का मूल्य कुछ है, अधिवासी का मूल्य दूसरा है और भूमिधरी का तीसरा मूल्य है। जो कुछ मुझे लोगों ने बतलाया है, मैं उसी आधार पर यहां कह रहा हूं। मेरे जिले में तो चकबन्दी नहीं है।

इसमें पहली बात तो यह है कि जमीन बराबर नहीं है, दूसरी बात यह है कि पैदावार बराबर नहीं है, तीसरी बात यह है कि पटवारियों के कागज दुरुस्त नहीं हैं।

श्री चरणसिंह---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। वे यह बात मानते हैं कि चार प्रकार के टेन्योर हैं, लेकिन जो बात वह यहां बतला रहे हैं, उसका कन्सालिडेशन और इसके ऐक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां तो भूमि व्यवस्था का मामला है। चार किस्म के टैन्योर हैं और उनकी दूसरी बातें जो हैं, उनका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---आप चकबन्दी के मूलभूत सिद्धान्तों पर ही बोलें।

श्री बंशीधर शुक्ल---पहली बात तो यह है कि पटवारियों के कागजात दुरुस्त नहीं हैं, किसी के नाम का खेत है और किसी में लिखा हुआ है । इस तरह से इन्दराज कहीं से कहीं हो गये हैं । जो छोटे काश्तकार हैं, उन के पास आधे एकड़ या आधी बीघा जमीन है, आप उनकी चकबन्दी करके क्यों दुर्दशा करना चाहते हैं ? इसके लिये क्या नियम है ? . . . .

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अगर यह जानकारी जानना चाहते हैं कि इसके लिये क्या नियम हैं, तो यह दूसरी बात है । वे चकबन्दी के बारे में ही बोलें ।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं तो इसका विरोध कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---इस समय यह अधिनियम की जानकारी का स्थान नहीं है ।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैं जानकारी नहीं प्राप्त कर रहा हूं । मैंने जो इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है, उसको आपके सामने बतला रहा हूं । आज जमीन की प्रगति और किसानों की प्रगति रुक रही है और जमीन के लिये भ्रष्टाचार हो रहा है । जमीन के मामलों के जितने मुकदमे होते हैं, उनके लिये आज रिश्वत ली जा रही है । आज के आप के आफिसर ईमानदार नहीं हैं, बहुत खराब हैं । वह लोग तो यहां से यह कह कर जाते हैं कि हमको १० हजार या ५ हजार रुपया पैदा करना है और वे इसी तरह से रुपया पैदा करते हैं । आज लोगों की इस प्रकार की आमदनी है । फिर भी, इतना होते हुए भी, अगर आप का चकबन्दी का कार्य अच्छा होता तो यहां किसानों का प्रदर्शन क्यों होता ? आप को ऐसी चकबन्दी बन्द कर देनी चाहिये । यहां पर उस सिलसिले में उतने लोग आये, उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध किया, लेकिन फिर भी आप चकबन्दी का कार्य कर रहे हैं । पहले आप चकबन्दी के सम्बन्ध में जनमत जान लें, उसके लिये इस तरह का वातावरण बनायें, तब इसको करें । पहले आप देखें कि जनता चकबन्दी के लिये तैयार है या नहीं । जनता को इसके लाभ बतलायें । चकबन्दी में आप छोटे खेतों को मिला कर एक बड़ा खेत करना चाहते हैं । आप बड़े खेतों की पैदावार जोड़िये और छोटे खेतों की पैदावार जोड़िये, क्योंकि आप बड़े खेत करेंगे, तो भी किसान को छोटे खेत में खेती करनी पड़ेगी क्योंकि जिनके पास जमींन ज्यादा है, उनके लिये तो कोई बात नहीं है, मगर जिनके पास जमीन थोड़ी है, उनको इससे कोई भी लाभ नहीं होगा । इसलिये पहले आप कुछ निश्चित कीजिये, जमींन का बटवारा निश्चित कीजिये, नीति निश्चित कीजिये । आपकी कोई भी नीति निश्चित नहीं है कि चकबन्दी में किस प्रकार से कार्य होगा ।

पहली बात यह है कि आप जमींनों के मूल्य का कुछ निश्चय कीजिये, पटवारियों के कागजात ठीक करने के लिये कुछ निश्चय कीजिये, उसके बाद चकबन्दी का कार्य कीजिए, मैं अब ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं---

माननीय अध्यक्ष जी, श्री सम्पूर्णानन्द,
चकबन्दी दुर्व्यवस्था, शीघ्र कीजिये बन्द,
शीघ्र कीजिये बन्द, खेत खेतिहर के प्यारे,
बिन साधन, बिन त्रान, युगों से परे उघारे,
जिनके बनकर बैल, मिली यह कुर्सी वेतन,
कौन जन्म को बैर, उन्हें कटवाते श्रीमन्,
जिनकी क्षण हुंकार से, मिटी ब्रिटिश सरकार है,
चकबन्दी पर वह कृषक लड़ने को तैयार है ।

पितरों ने सह नींद भूख बंजर गढ़ तोड़ा,
तजि शरीर को मोह, खेत से रिस्ता जोड़ा,
नदी ताल गिरि विजन, वहीं पर धूनी रमाया,
मानि इष्ट भगवान, उन्हीं में प्राण खपाया,
वही खेत कुल पूज्य पितृवत् लगते प्यारे,
देखि हरित संकुला, हृदय होते हरियारे,

डाल मड़ैया मृत्यु मुखों में खेत बचाते,
जब हो फसल तैयार, सुदिन शुभ सगुन मनाते,
बसन हीन धनहीन, क्षीण काया जर्जर तन,
पड़े धूल धूसरित, खेत ही जीवन तन मन,
उनके खेत छुड़ावनो, सुत वियोग से कम नहीं,
धिक मंत्री धृतराष्ट्र जी, दया कृषक पर कुछ नहीं।
जमींदार की मार सही, शासन की गोली,

श्री उपाध्यक्ष---अब आपकी कविता का, यहां से, चकबन्दी से सम्बन्ध नहीं मालूम होता।

श्री बंशीधर शुक्ल---चकबन्दी से ही है।

श्री उपाध्यक्ष---आप कहिए। मैं टोकूंगा, अगर सम्बन्ध नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल---जमींदार की मार सही, शासन की गोली,
पोत असंख्यों दिया, सही विषभरी ठठोली,
युगों-युगों के खेत, कृषकगण हृदय लगाये,
उलट पलट कानून राज्य ने प्राण जलाये,
मूक तपस्वी कृषक की आहों की हुंकार है,
चकबन्दी दुर्व्यवस्था बन्द करे सरकार है।
भूमि बराबर नहीं, नहीं साधन न सिंचाई,
नहिं बंटवारा हुआ, दुरुस्ती हो नहिं पायी,
निर्धारित लगान, नहीं कानून सुरक्षित,
नहिं खेतिहर सरकार, नहीं श्रमिकों का बहुमत,
नहीं नीति है साफ, कदम कोई नहीं निश्चित,
फंसि अफसर की दाढ़, देश की करते दुरगति,
पंच वर्ष का भार लै, देश न चौपट कीजिये,
रोक न पावें आप यदि, तजि मंत्रीपद दीजिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव के पहले अंश का विरोध करता हूं और उसके दूसरे अंश को अनावश्यक समझता हूं।

मान्यवर, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां चकबन्दी समाप्त हो चुकी है। समाप्ति का अर्थ है पूरी हो चुकी है और अपने कुछ माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इतना बता देना भी आवश्यक समझता हूं कि यह मेरा अपना वही पुराना क्षेत्र है जिससे मैं पहले चुन कर आया था, क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया कि हमारे माल मंत्री महोदय चकबन्दी की वजह से चुनाव में हारते-हारते बचे और इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कांग्रेस की हार का कारण चकबन्दी रही है। इस वजह से मुझे यह बात कहनी पड़ी। मैं ही नहीं, मेरे बराबर में श्री फतेहसिंह राणा भी उसी क्षेत्र से आते हैं जिसमें चकबन्दी हो रही है और वह भी करीब १२ हजार वोटों से जीत कर आये हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी ओर हमारे लखीमपुर का उदाहरण है जहां कांग्रेस हारी है। वहां पर चकबन्दी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इत्तफाक से इस समय साम्यवादी दल के नेता यहां मौजूद नहीं हैं जिन्होंने इस पर खास जोर डाला था। जहां तक चुनाव में हारने जीतने की बात है उसका सम्बन्ध चकबन्दी योजना से कुछ नहीं जुड़ता। परन्तु इसलिए कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही, उसके उत्तर में मुझे भी यह निवेदन करना पड़ा। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे।

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव के पक्ष में जो भाषण हुए उनको बड़े ध्यान से सुना। इससे पर्व भी चकबन्दी के विरोध में जो विचार आये उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। जैसा कि माननीय

[श्री महीलाल]

राणा जी ने कहा कि हमारे ऐसे बहुत से साथियों ने, जिन्होंने इस समय विरोध प्रकट किया और चकबन्दी योजना को शुरू से आखीर तक गलत बताया, उनके साथ मुझे भी यहां प्रान्तीय स्तर पर जो चकबन्दी समिति है उसमें बैठने का अवसर मिला है। मैं भी उसका एक सदस्य हूं। पालीवाल जी, मैं और दूसरे कई साथी पिछली बार स्टेट कमेटी की मीटिंग में इकट्ठे थे और यह दावत दी गयी थी माननीय सदस्यों को कि आप अपने सुझाव दीजिये, जिनके जरिये जो कमियां आप देखते हैं उनको आपके सुझावों के द्वारा दूर किया जा सके। माननीय झारखंडे राय जी भी उस कमेटी में मौजूद थे, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारे इन दोनों सदस्यों ने जो यहां के विरोधी दल नेता भी हैं, उस समय कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया और आज भी जो उनके भाषण हुए, उनका जो निष्कर्ष कम से कम मैंने निकाला उससे मैं तो यह समझता हूं कि पूरा भाषण सुनने के बाद भी भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में छोटे और बड़े किसान के अन्तर के सम्बन्ध में या चकबन्दी की दूसरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई बात, कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिये....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि आप भी वही बातें दोहरा रहे हैं जो सम्भवतः माननीय फतेहसिंह जी राणा या और सदस्यों ने कहीं। तो इसकी इजाजत मैं नहीं देता, आप नया विषय लीजिये।

श्री महीलाल---आपकी जो आज्ञा है वह शिरोधार्य है। मैं यह निवेदन इसलिये कर रहा था कि मेरा अपना अनुभव है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य पूरा हो गया है और सौभाग्य की बात यह भी है कि उस क्षेत्र के बाद मेरे जिले में चकबन्दी का कार्य अब उस तहसील में पहुंचा है जहां से हमारे विरोधी दल के दो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं। करीब ५३३ गांवों में से २१० से अधिक में शान्तिपूर्वक चकबन्दी कमेटियां बन चुकी हैं, जहां कि काम आरम्भ किया गया है। इसके अलावा पड़ताल का कार्य भी वहां करीब-करीब बहुत से गांवों में पूरा हो चुका है, अन्य कार्य चल रहे हैं। जहां तक मेरे अपने क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं यह कह देना जरूरी समझता हूं कि केवल कुछ गांवों को छोड़ कर जहां कि विरोधी दल जनसंघ के नेता माननीय दुबे जी के आने की खबर थी, वहां कब्जा लेने के ६ महीने बाद कुछ किसानों ने विरोध आरम्भ किया जो कि उनसे कराया गया। मैं समझता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है दुबे जी वहां नहीं पहुंचे। इसके अतिरिक्त किसी गांव के किसानों को चकबन्दी कार्य में रुकावट डालने के कारण जेल भेजने की नौबत नहीं आयी, किसी के खिलाफ़ मुकदमा भी नहीं चलाना पड़ा। आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ४०० से ऊपर गांवों में एक बड़ी संख्या ऐसे गांवों की रही जहां कि लोगों ने स्वयं बैठ कर अपने गांवों की चकबन्दी का कार्य समाप्त कर लिया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि जब इस प्रक्रिया के अनुसार जिसको दोषी बताया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है; मैं पूछना चाहता हूं कि इसी तर्क द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह कार्य निर्विघ्न कैसे समाप्त हुआ?

जहां तक कुछ लोगों के असन्तुष्ट होने की बात है, वह स्वाभाविक ही है क्योंकि सब लोगों के लिये एक ही बात फायदे की नहीं हो सकती। जो बात कुछ लोगों के हित में हो सकती है वही दूसरे लोगों के अहित में हो सकती है। जब आबादी की जमीन कुछ लोगों से छुड़ाई गयी तो गांव में कुछ बड़े किसान उसके विरुद्ध हुए। वे जानते थे कि जब सार्वजनिक भूमि का वितरण होगा तो उनको शायद कम मिलेगी और इस समय उनकी भूमि में से अधिक भूमि छूट जायगी। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सर्वमान्य है। सभी लोगों को संतुष्ट कहां तक किया जा सकता है? इसी बात को दृष्टि में रखते हुए हमें अपने विचार प्रकट करने चाहिय।

मेरी निश्चित राय है कि यह एक ऐसी योजना है जिसका कार्य अच्छे से अच्छे ढंग से चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। साथ ही माननीय सदस्यों को माल मंत्री महोदय ने अनेक बार यह निमंत्रण दिया है कि शिकायतों को उनके नोटिस में लाया जाय। मैं अपने यहां की जानकारी सदस्यों की सूचना के लिये रखना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत की गयी, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि उनके खिलाफ फौरन कार्यवाही हुई। उनको सर्विस से निकाला गया जिससे कार्य सुचारु रूप से आगे को बढ़ा और अब वह समय आया जब शान्तिपूर्वक और प्रसन्नता के साथ मेरे यहां कार्य की समाप्ति हुई।

मैं नहीं समझता कि किस आधार पर यह प्रस्ताव रक्खा गया कि यह कार्य रोक दिया जाय और एक कमेटी उसके लिये बैठा दी जाय। जिले के स्तर पर कमेटियां बनी हुई हैं और उनका निर्माण केवल इसलिये किया गया है कि वे वर्तमान प्रक्रिया में जो दोष देखें, उनको दूर करने के लिये सरकार को सुझाव दें जिससे उन पर विचार हो सके, अधिकारी उन पर विचार करें और उसमें परिवर्तन करें। माननीय गेंदा सिंह भली प्रकार जानते हैं कि उनकी ओर से या विरोधी दल के अन्य सदस्यों की ओर से जो सुझाव आये हैं, उन पर विचार हुआ है। माननीय यशपाल सिंह जी जो सहारनपुर से आते हैं, इस समय मौजद नहीं हैं, उनका यह सुझाव था कि गांवों में जहां ए० सी० ओ० रहते हैं उनके लिये मकानों की व्यवस्था नहीं होती है, अतः उन्हें किराये की व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार ने उस सुझाव को माना—और जहां तक मुझे जानकारी है प्रत्येक ए० सी० ओ० को दफ्तर के लिये १० रु० मासिक की धनराशि सरकार की तरफ से स्वीकृत हो कर गई है।

इस सिलसिले में एक बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा। मैं माल मंत्री महोदय से यह कह देना आवश्यक समझता हूं कि सेटिलमेंट आफिसर्स से जो जीपें वापस ले ली गयी हैं, इससे यह भय है कि जिस तेजी और खूबी के साथ चकबन्दी का काम चल रहा था, जीपों के बिना उस तेजी व खूबी के साथ नहीं चल सकेगा। हमारे सब आफिसर्स इस स्थिति में नहीं हैं कि अपनी गाड़ी खरीद सकें। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि अफसरान के लिये गाड़ियों की व्यवस्था किस प्रकार की जाय।

इन शब्दों के साथ प्रस्तुत संकल्प का मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने इस संकल्प को वापस ले लें।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव माननीय भगवती सिंह जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने नये सदन में इससे पूर्व भी, जब चकबन्दी के ऊपर बहस हुई थी तो विरोधी दल के सभी नेताओं के मुंह से चकबन्दी के सिद्धान्त अच्छे हैं, इस प्रकार की घोषणा सुनी थी और यह भी सुना था कि चकबन्दी अच्छी है लेकिन जो तरीके बनाये जा रहे हैं वह गलत हैं और इसी आधार पर यह प्रस्ताव सदन में उपस्थित हुआ है और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि वर्तमान ढंग पर होने वाली चकबन्दी की जांच करायी जाय। इससे चार महीने पहले ही विरोधी दल ने कहा था कि वर्तमान चकबन्दी के कारण जो असुविधा हो रही है उसको सरकार सोचे और विचारे और इसको स्थगित करके और छः महीने का समय दे कर ऐसा निर्णय निकाले जो ठोस हो और उसमें जनता को कोई असुविधा न हो।

चकबन्दी के लिये मूलतः अपने प्रदेश की सच्ची और आर्थिक उन्नति के लिये सभी दलों के नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रयत्न किया होगा। आज हमारे सामने माननीय झारखंडे राय जी ने अमेंडमेंट दिया है, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में और अन्य संशोधन माननीय पालीवाल जी का, अनुभव के आधार पर है। चकबन्दी जब प्रारम्भ हुई तो हमें अनुभव हुआ कि इसमें भ्रष्टाचार आ गया, इसलिये हमें इस पर विचार करना होगा। मैं मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उनके सामने जितनी भी चकबन्दी की शिकायतें आईं, चाहे वह विरोधी दल की ओर से हों, चाहे वह सरकारी पक्ष की ओर से हों, यदि

[श्री मलिखान सिंह]

सच्ची पायी गयी तो उन पर ऐक्शन लिया गया। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिये विचार करना होगा कि चकबन्दी की प्रणाली जो सिद्धान्ततः यहां ठीक होती है, वह प्रैक्टिस में जाकर असफल हो जाती है। वैसे मंत्री जी ने भाषण दिया और लेखपालों के बारे में भी बताया कि उनके क्या अधिकार हैं। वास्तव में प्रधान को समझना चाहिये कि वह योग्य हैं या अयोग्य हैं। इसको हमें देखना होगा कि वह इस योग्य हों कि अपने अधिकारों को समझें और लेखपाल अपने अधिकारों को समझे, तब मामला ठीक रास्ते पर आयेगा। खाली भाषण देकर चकबन्दी ठीक नहीं कर सकते हैं। हमें यह देखना चाहिये कि जो अधिकार हमने अपने कर्मचारियों को दिये हैं उनका वास्तव में सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिये जब तक कोई कमीशन नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। जो भी खेतवाले हैं उनसे इस्तीफा ले लें और फिर सी० ओ० और ए० सी० ओ० मनमानी करें, इसकी तरफ भी हमें देखना होगा।

श्री चरण सिंह---इस्तीफा लेने की कोई गुंजाइश नहीं है और न किसी से इस्तीफा लिया जाता है।

श्री मलिखान सिंह---इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जमीन की मारकेट वैल्यू का ध्यान रखा जाना चाहिये और जमीन की किस्म को देखना चाहिये। जैसे जमीन भूड़, दुमट और मटियार तीन तरह की होती ह। जब चक बनते हैं तो एक ही आदमी के तीन-तीन स्थान पर चक हो जाते हैं, उससे बड़ी असुविधा होती है। जमीन भी ठीक नहीं मिलती है। जमीन को एक ही आधार पर सीमित न करें बल्कि जो उस जमीन की वैल्यू है उस आधार पर यदि किया जाय तो ठीक हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साथ में एक और सब से बड़ी बात यह है कि गांवों में चकबंदी प्रारम्भ करने से पहले यह देख लिया जाय कि जब दो-तिहाई लोग उस क्षेत्र के, कहना तो शतप्रतिशत को चाहिये, यह कह दें कि वास्तव में हम चकबंदी चाहते हैं तब वहां चकबंदी की जाय। आज भूमि के बटवारे की बात जब कही जाती है तो सोशलिज्म का नारा लगा कर उसमें जोड़ दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि कोआपरेटिव फार्मिंग भी कैसे सफल हो सकती ह जब हम सहयोगसे चकबंदी तक नहीं कर सकते। कोआपरेटिव सोसायटीज की क्या हालत होगी जब चकबंदी में भी हम कोआपरेशन नहीं कर सकते?

श्री उपाध्यक्ष---इस वक्त कोआपरेटिव सोसायटीज की बहस यहां नहीं हो रही है। आप सिर्फ चकबंदी के बारे में बात करें।

श्री मलिखान सिंह---मैंने जो बताया कि सहयोग की भावना जनता में न होने के कारण ही चकबंदी की योजना सफ ल नहीं हो रही है उस सम्बन्ध में मैंने उसको जोड़ा था। तो सबसे पहले हमें समाज को ठीक करना होगा और समाज को ठीक करने के लिये जो समाज में काम करते हैं, जो जनता के नेता हैं उनको अपने-अपने क्षेत्र में जा कर यह बताना होगा कि वास्तव में इसमें क्या गलतियां हैं। यदि समाज के लोग सरकार का ध्यान किन्हीं गलतियों की ओर आकर्षित करें तो सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिये।

अभी जो माननीय महीलाल जी ने यह कहा कि राजा साहब, वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं, जब उनके क्षेत्र में पहुंचे तो पहले तो उनके क्षेत्र में चकबंदी अच्छी तरह हो रही थी लेकिन न मालूम राजा साहब क्या जादू कर गये कि वहां पर शिकायतें होने लगीं।

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने यह नहीं कहा। वे निश्चित नहीं थे कि राजा साहब गये या नहीं गये। उन्होंने कहा कि आने की खबर थी।

श्री मलिखान सिंह---श्रीमन्, उनके आने की खबर के बाद ही सही, उसको इस तरह से जोड़ लिया जाय। तो मैं आपके द्वारा इस सदन को बता देना चाहता हूं कि जो भी कदम सच्चे आधार पर उठाया जायगा उसमें जनसंघ की तरफ से पूर्ण सहयोग होगा, लेकिन

यदि कोई काम सच्चे आधार पर नहीं होगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो जैसी कहावत है कि एक पाप वह करता है जो अत्याचार करता है और दूसरा पाप वह करता है जो उस अत्याचार को सहता है, तो हम अत्याचार का सहन नहीं करते। यदि जनता को सताया जायगा तो हम क्रान्तिकारी के रूप में खड़े हो सकते हैं और यदि जनता के हित में कोई काम किया जायगा तो हम उसमें पूर्ण सहयोग देंगे। इसी आधार पर मैं यह निवेदन करता हूं कि जिस प्रणाली से आज तक चकबंदी हो रही है और जो प्रस्ताव सदन में आया है उस पर विचार किया जाय और यह देखा जाय कि वास्तव में उसमें क्या-क्या कुरीतियां हैं। उनको दूर करके फिर सदन में लाया जाय तो हम लोग उसमें पूर्ण सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस चकबंदी ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये आपने मुझे समय दिया। राजस्व मंत्री मुझे पांच मिनट का संकेत करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--यहां मेरे आदेश के अलावा किसी और के आदेश का पालन करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामलखन मिश्र--मैंने तो जैसा कि एक विनोद यहां किया जाता है, उस अर्थ में कहा था। मैं अपने विषय पर आ जाता हूं।

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रयोग बस्ती जिले में तहसील डुमरियागंज में हो रहा है, जहां ११२३ गांव से ऊपर ऐसे हैं कि जिनमें कंसालिडेशन हो रहा है। वहां १०० कंसालिडेटर हैं, ४० से ऊपर ए० सी० ओज० हैं और कितने ही निम्न कर्मचारी काम कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह भ्रष्टाचार का नारा किस प्रकार लगाया जाता है! प्रस्ताव में भ्रष्टाचार की बात का कोई आधार नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि इसके विधान में या कार्यवाही में, कहां भ्रष्टाचार है। मैं दोनों में भ्रष्टाचार देखने में असफल रहा हूं। हमारे यहां तो बहुत ही संतोष-जनक ढंग से काम चल रहा है। जहां भी भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा इंगित होता है उस से संबंधित कर्मचारी को फौरन ही निकाल दिया जाता है। संकेत मात्र के ऊपर कार्यवाही होती है। मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इधर के पिछले तीन वर्षों में इस चकबंदी में इतना युगान्तर परिवर्तन हुआ है कि इसके काम में भ्रष्टाचार की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है। जहां कहीं भी हो, वहां देखना चाहिये कि यह किस कारण से हो रहा है।

इसके अतिरिक्त इस बौद्धिक भ्रष्टाचार के वातावरण में, वास्तव में भ्रष्टाचार क्या वस्तु है इसको समझने में कठिनाई पड़ती है। भ्रष्टाचार तो ऐसा स्लोगन है कि इसका विश्लेषण करना बड़ा कठिन है। अमीन, कंसालिडेटर, आदि के कर्त्तव्यों में एक युगान्तकारी परिवर्तन हो गया है और माननीय सदस्यों को इधर देखना चाहिये। स्टेट लेविल पर जो कमेटी बनी हुई है, क्षेत्रों और गांवों में जो कमेटियां बनी हुई हैं, उनकी बात तो मैं अलग रख देता हूं, वहां तो समालोचना होती है, इसके अलावा सरकारी तरीके से, रूल्स आदि में काफी परिवर्तन हुए हैं और डाइरेक्टर के यहां एक ऐसा नक्शा बना हुआ है जिसके एक बार के अवलोकन से ही पता लग जाता है कि अन्याय कहां हुआ है।

चकबंदी की उपयोगिता क्या है, इसको अधिक बताने की आवश्यकता मैं समझता हूं, नहीं है। १९३९ का ऐक्ट जो बना उसमें भी कमेटी बनी थी तथा वह सदन में भी काफी दिन चला था। उस के बाद टेनेन्सी ऐक्ट १९२६ में आया, उस में भी कंसालिडेशन का प्राविजन छोटे पैमाने पर था। तो किसी न किसी शक्ल में इसकी हर स्थान पर मान्यता रही है और इसलिये इसकी उपयोगिता में कोई संदेह नहीं, लेकिन शब्द "वर्तमान समय में चलने वाली चकबंदी" जो प्रस्ताव में हैं, उनको तो मैं एक पोलिटिकल मूव ही कहूंगा। हमारे सामने चकबंदी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उनका कार्य देखने के बाद, इस प्रस्ताव को देखने पर मैं नहीं समझता कि किस भावना से यह प्रस्ताव लाया गया है। चकबंदी से किसानों का कितना लाभ हुआ है,

[श्री रामलखन मिश्र]

इसका वर्णन मैं यहां नहीं कर सकता। महीलाल जी की बात यदि आप कहने की आज्ञा दें तो मैं कहूंगा कि हमारे यहां के प्रतिनिधि तो चुन कर इसी कारण से आ पाये हैं। एक बहुत ही दुर्बल महिला जो कभी अपने क्षेत्र में गयी नहीं थी, जो मेरठ में निवास करती थी, चकबंदी योजना के कारण ही वहां से सफल हुई।

अपने लिये तो मैं क्या कहूं, अपना गुणानुवाद करना होगा। चकबंदी योजना में ऐक्ट की धारा ४ से, जबसे कि यह डिक्लेरेशन होता है कि चकबंदी होगी, धारा ५२ तक, जबकि उसका अन्तिम संस्कार होता है, वह कौन सा ऐसा स्थान है, मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जहां यह भ्रष्टाचार है और मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि वह स्थान कहां पर है। उसके सुधार के लिये भी कई स्थान हैं। स्टेट लेविल की कमेटी है, जिले में भी कमेटियां हैं, सब स्थान पर मेम्बर्स अपने सुझाव दे सकते हैं, कोई दूसरा ऐक्ट भी नहीं है कि जिसके कारण गड़बड़ हो। जो कार्यकर्ता हैं उनके सम्बन्ध में मैं समझता नहीं कि वहां के सी० ओज०, ए० सी० ओज०, कंसालिडेटर, अमीन्स आदि का जो पंचक है वह सब पंचक एक सूत्र में बंधकर लक्ष्मीपति बनने की कामना में सारी जनता का विश्वास प्राप्त कर ले और वे इस प्रकार का कोई शंख फूंक दें कि ऊपर के कोई असफर उनकी शिकायत को न सुने। मैं इसको सत्य नहीं मानता और इसमें मुझे संदेह है। इसके अन्तर्गत कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मित्रों की बातों पर विश्वास किया जाय।

हमारे मित्र जब कभी बौद्धिक विकास से प्रेरित होकर चकबंदी के सम्बन्ध में इस प्रकार की बातें करते हैं और उनके दोषों को यहां पर वर्णन करते हैं तो उसके अन्दर कोई वास्तविक तथ्य नहीं होता जिससे वह स्वयं सन्तुष्ट होकर यह प्रमाणित कर सकें कि उन कर्मचारियों का ऐसा निम्न स्तर है। इसमें वह कहते हैं कि सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में होने वाली चकबंदी का कार्य तत्काल स्थगित करके वर्तमान ढंग से होने वाली चकबंदी की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की जांच करायी जाय। उपयोगिता के सम्बन्ध में राजकीय स्तर पर एक कमेटी बनी और उसके पश्चात् उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आयी और सदन ने उसको स्वीकार किया। उसकी उपयोगिता के अनुभव के आधार पर मेरा यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश में जो सब से बड़ा प्रयोग किया गया है, उस प्रयोग के आधार पर हमारे यहां ४० ए० सी० ओज० और ८ जो सी० ओज हैं, उनके ऊपर जो अनुभव हमको देखने में आये और उन पर दोष लगाये वे मुझे किञ्चितमात्र भी नहीं दिखाई दिये। जब वहां दिखाई नहीं दिये तो आपने जो दोष लगाये हैं वे सब निर्मूल हो जाते हैं। इन कारणों से मैं संकल्प का घोर विरोध करता हूं और मैं यह बात समझता हूं कि इस प्रस्ताव के मूल में किसानों के हित चाहने वाले हमारे भाइयों का यह नारा एक पोलिटिकल मूव है।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का घोर विरोध करता हूं। मैंने अभी जो भाषण विरोधी पक्ष की ओर से सुना, मैं यह कह सकता हूं कि वह विरोध करने के लिये, विरोध था। कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसके आधार पर, जो प्रस्तुत संकल्प है, उसके लिये कुछ कहा जाय।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—मैं आपकी आज्ञा से यह आपसे पूछना चाहता हूं कि यह जो काम का बटवारा है उसके लिये जो इधर या उधर के लोगों को, जो इस तरह का मौका दिया जाता है वह किस हिसाब से दिया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष—इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को अवसर देने के लिये मुझे पूरा अधिकार है कि जसे उचित समझूं, कार्यवाही करूं। इसलिये मैं अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करके सदन की कार्यवाही करता हूं।

श्री रामजी लाल सहायक—मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर चकबंदी हो रही है। सरधना तहसील में २०८ गांव हैं, जहां पर छोटे और बड़े गांवों को मिलाकर १९२ गांवों में चकबंदी का कार्य हो रहा है। अभी तक १२५ गांवों के ऊपर चकबंदी का कार्य समाप्त हो चुका है और उन्हें कब्जा दिया गया है, मैं अपने क्षेत्र में कई बार घूमा हूं और अनुभव के आधार पर कहता हूं कि वहां चकबंदी से ९४ फीसदी लोग संतुष्ट हैं। जो यह कहते हैं कि चकबंदी रोक दी जाय, वे किसानों के हितैषी नहीं हैं। चकबंदी होने वाले क्षेत्र में जितने कांग्रेस के नुमाइन्दे थे वे विजयी ही नहीं हुए परन्तु विरोधियों की जमानतें जप्त करायीं। भ्रष्टाचार कहना कुछ लोगों का तकिया कलाम हो गया है, उन्हें आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सर्वत्र भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। एक बार एक धर्म युधिष्ठिर मेरे पास पहुंचे कि अमुक ए० सी० ओ० भ्रष्टाचारी है और कहा कि अमुक आदमी ने उसे सोने का हार रिश्वत में दिया है। उस गांव के लोगों के पास मैं गया, वे जमा हुए और उन्होंने एकमत से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। पता लगाने पर मालूम हुआ कि जो धर्मराज युधिष्ठिर मेरे पास पहुंचे थे वे अपना चक अच्छा बनवाना चाहते थे और जब अधिकारियों ने उसकी बात नहीं मानी तो उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया।

कहा गया कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक रोग है। ठीक है। उसका निदान हम सभी को मिलकर करना होगा। एक मामूली आदमी भी जितना उससे बन पड़ता है, कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहता है। मैं एक बार घूमने जा रहा था, सड़क कुछ खराब थी, वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे, दिन के ११ बजे तक हम लोगों की मोटर खराब हो गयी और वहां तीन घंटे रुकना पड़ा। उस समय हमने देखा कि उन लोगों ने काम शुरू नहीं किया, वे बैठे हुये थे। यह हमारे समाज का एक दोष है। उसे हम यहां सदन में खड़े होकर चिल्ला कर दूर नहीं कर सकते।

आज भी किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि चकबंदी अनुचित या बुरी चीज है और नहीं होनी चाहिये। सबने यही कहा और इस बात को माना कि चकबंदी एक उपयोगी कार्य है और आम जनता के तथा किसान के हित में बहुत आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—आप दूसर माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी दलीलों को दोहरा रहे हैं।

श्री रामजीलाल सहायक—अर्थ-शास्त्रियों का यह निश्चित मत है कि जोत की इकाई जितनी छोटी होगी या बिखरी हुई होगी उतनी ही पैदावार कम होगी। आज जब अन्न-संकट है तो उस समय यह कहना कि छोटी बिखरी जोतों को एक जगह न किया जाय क्या अच्छी बात है? यदि चकबंदी आज बंद कर दी गयी तो देश और प्रदेश का बड़ा नुक्सान होगा। मान्यवर, कुछ लोगों ने यह कहा कि चकबंदी बंद न हो लेकिन इसमें जो खराबियां हैं उनको सुधारा जाय। मेरी यह निश्चित राय है और यहां प्रदेश के स्तर पर और गांवों के स्तर पर भी चकबंदी कमेटियां बनी हुई हैं, उनके द्वारा यह काम भली प्रकार से हो सकता है। अगर हम लोग अपने सुझावों को वहां पर दें तो यह काम बड़ी अच्छी तरह से चल सकता है और इसके बन्द करने की या इसकी शिकायत करने की कोई आवश्यकता न होगी।

श्री खजान सिंह चौधरी—मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि स्टेट स्तर पर कितनी दफा मीटिंग चकबंदी कमेटी की हुई और जिला स्तर पर कितनी मर्तबा हुई। केवल एक दफा स्टेट लेविल पर और एक दफा जिला स्तर पर।

श्री उपाध्यक्ष—आप सवाल पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं?

श्री रामजी लाल सहायक—मुझे विश्वास है कि श्री विशारद जी इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और चकबंदी के काम में हमारे प्रदेश के किसानों के साथ होंगे। मैं समझता हूं कि उन्हें मेरी यह बात मंजूर होगी।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री चरणसिंह से) आपने यह प्रश्न उठाया था कि आपको दो मर्तबा बोलने का अधिकार है या नहीं। नियमानुसार आप एक मर्तबा अब बोल सकते हैं और एक मर्तबा अन्त में बोल सकते हैं। जहां तक इस प्रस्ताव का ताल्लुक है, यह दूसरे दिन भी चलता रहेगा। मेरा विचार है कि माननीय माल मंत्री की राय जानने के बाद माननीय सदस्यों को आसानी होगी। इसलिये माननीय माल मंत्री जी इस थोड़े समय में जो कुछ कह सकते हैं, कहें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अगर हमें पहले अपनी राय देने का मौका मिल सके तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष---दूसरे दिन इस पर पूरा विवेचन होगा और अब आपके लिये थोड़ा समय उपयुक्त भी न होगा।

श्री चरण सिंह---आपने जो मुझे बोलने का अधिकार दिया उससे मैं माननीय राजनारायण जी के हक में दस्तबरदार होता हूं।

श्री राजनारायण---तो हम अब, श्रीमन्, नहीं बोलना चाहते, जा रहे हैं।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अब केवल २० मिनट हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें कही गयी हैं, उनका संक्षेप में जवाब दे सकूं।

माननीय नारायणदास जी पासी ने जो कि कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य हैं, उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने ३-४ बातें कहीं। पहले उन्होंने कहा कि करोड़ों किसान बेदखल हो रहे हैं, हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं बल्कि करोड़ों। अब करोड़ों किसान इत्तफाक से सारे सूबे में नहीं हैं। ९० लाख किसान सारे सूबे में हैं। फैजाबाद में चन्द हजार होंगे और उस तहसील में जहां चकबन्दी हो रही है, और कम होंगे। अगर्चे जिस तहसील में चकबन्दी हो रही है उससे वे नहीं आते लेकिन अगर मैं यह मान भी लूं कि जिला फैजाबाद की तमाम बेदखलियों की बाबत उनको ज्ञान है, तो वहां भी किसान चन्द हजार ही होंगे, करोड़ों नहीं हो सकते।

दूसरी बात उन्होंने कही कि वकील आते हैं, सैकड़ों, हजारों रुपया लेते हैं। आज के संविधान में गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती कि वकीलों के जाने से वहां पर रोक लग जाय।

तीसरी बात उन्होंने कही कि एक आदमी के सरेंडर करने से सारे खानदान की जमीन सरेंडर हो जाती है। इसमें तो अगर जमीन का मालिक ही किसी जमीन को सरेंडर कर देगा तो खानदान का कोई भी आदमी उसको रोक नहीं सकता।

चौथी बात उन्होंने कही कि किसानों को बुला लिया जाता है और अफसर लोग रात के ११-११ बजे तक बैठते हैं। मैं समझता था कि रात के ११ बजे तक काम करने के लिये अफसरों को बधाई दी जा रही होगी, लेकिन बजाय उसके यह कहा गया कि लोगों को वे देर तक बैठाये रखते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत उम्दा बोलते हैं, कुछ रुक रुक कर बोलें ताकि हम लोग फालो करें।

श्री चरण सिंह---मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, इसीलिये मैं जल्दी-जल्दी कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अफसरान बजाय इसके कि तहसील में या जिले में बैठें, गांव-गांव जाते हैं और वहां अदालत करते हैं, तो यह किसानों के लिये सहूलियत की बात हुई, न कि शिकायत की। जो चार बातें मेरे माननीय मित्र ने कही हैं, वे ऐसी अनर्गल बातें हैं

जिनका जवाब देने की और उनके ऊपर बहुत बड़ा नोटिस लेने की आवश्यकता, मैं नहीं समझता। उन्होंने जो अपना संशोधन दिया है उसी से उनकी बातों के औचित्य का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री नारायणदास पासी—श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से एक बात स्पष्टीकरण के लिये कहना चाहता हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि मैंने करोड़ों किसानों के लिये कहा था, ऐसी बात नहीं थी। मैंने यह कहा था कि एक सर्किल में जितने मुकदमे थे उनमें से ५,०३२ मुकदमे में समझौते हुए हैं। छोटे-छोटे किसानों ने कुछ खेत जमींदारों के हक में देकर उनसे समझौता कर लिया।

श्री चरणसिंह—सर्किल का जिक्र आपने नहीं किया था। सैकड़ों किसानों के बेदखल की बात हो सकती है। फैजाबाद में यह जरूर हुआ कि कुछ गांवों में ऐसे छोटे-छोटे किसान, जिनके नाम कागज में दर्ज नहीं थे, जब मौके पर अफसरों ने पड़ताल की तो बावजूद इस बात के कि उनका कब्जा था लेकिन नाम दर्ज नहीं था, अफसरों के समझाने के बावजूद भी डर कर अपना बयान देने से इनकार कर दिया कि हमारा कब्जा है। ये सारी मिस्टेक्स अफसरों द्वारा लिखी गयी थीं, लेकिन जब बयान देने की नौबत आयी तो उन्होंने स्वयं इनकार कर दिया। ऐसी हालत में अफसरों के लिये भी मजबूरी हो गयी। यह सूचना मिलने पर मैंने फिर एस० ओ० सी० को भेजा कि जहां चकबन्दी हो रही है वहां जाकर वे इस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करें। जब हमारा अफसर वहां गया तो कुछ लोगों ने जिनका नाम कागज में दर्ज नहीं था, हिम्मत करके उसके सामने बयान दिया और उनका नाम कागज में दर्ज हो गया। लेकिन जिन लोगों ने हिम्मत नहीं की और डर करके अपना बयान नहीं दिया, बावजूद इसके कि अफसर ने मिस्टेक पकड़ी थी, इसके लिये फिर क्या किया जा सकता था? उल्टे यह कहा जाता है कि चकबन्दी स्कीम का ही कसूर है। चकबन्दी के कसूर के माने यही हैं कि सैकड़ों और हजारों आदमियों के नाम जिनके कागज में दर्ज नहीं थे, दर्ज हो गये। ऐसा तो नहीं हुआ कि जिनके नाम दर्ज थे उनके नाम कट गये? जब कि उनका कब्जा था और अफसर चाहते थे कि वे अपना बयान दे दें तो भी किसी ने डर कर बयान नहीं दिया तो इसके लिये चकबन्दी स्कीम को दोष नहीं दिया जा सकता है।

इसके अलावा एक बात यह कही गयी कि भूमि का वितरण हो। श्रीमन्, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसका जवाब मैं पहले कई बार दे चुका हूं इसलिये इस सिलसिले में ज्यादा कहने की अब जरूरत नहीं समझता। एक साहब ने कहा कि कानून पर अमल नहीं हो रहा है। श्री भगवतीसिंह विशारद ने कहा कि अफसर मौके पर गांवों में नहीं जाते हैं। जहां तक मेरा खयाल है, श्री भगवतीसिंह जिस तहसील से आये हैं वहां चकबन्दी नहीं हो रही है....

श्री भगवतीसिंह विशारद—हो रही है।

श्री चरणसिंह—हो सकता है कि दो-एक गांव उनके एरिया में पड़ गये हों।

श्री भगवतीसिंह विशारद—यही तो सौभाग्य के साथ मेरा दुर्भाग्य भी है।

श्री चरणसिंह—खैर, आपके लिये यह सौभाग्य की बात है तो मैंने आपसे दरियाफ्त किया कि कौन-कौन गांव है जहां सी० ओ० का जाना लाजिमी था और वह नहीं गया, आप बतलावें। लेकिन आज तक उन्होंने मेरे पास कोई शिकायत नहीं की। कभी मुझे नहीं लिखा और एक आदमी भी यहां यह नहीं कह सकता कि उसने किसी बात की तरफ मेरी तवज्जह दिलाई हो और उस पर कार्यवाही न हुई हो। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र का फर्ज था कि वह उस चीज को मेरे नोटिस में लाते और अगर कार्यवाही न होती तो

[श्री चरणसिंह]

उनको शिकायत हो सकती थी। आज चकबन्दी में ९,५०० आदमी काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई गफलत करता हो लेकिन एक दो आदमी के खराब होने से तमाम स्कीम कन्डैम नहीं की जा सकती।

कहा जाता है कि चकबन्दी का टैक्स लिया जा रहा है। वह टैक्स नहीं है बल्कि चकबन्दी कास्ट ली जा रही है। उनसे आधे के करीब खर्च लिया जा रहा है। ६ रुपया प्रति एकड़ क करीब खर्च आता है। उसमें से साढ़े ३ रुपया प्रति एकड़ वसूल कर रहे हैं और वह हिस्सारसदी रकबे के हिसाब से काश्तकार से वसूल किया जाता है। इसके अलावा अगर उनसे उस शक्ल में सरकार न भी ले तब भी, अगर सरकार देगी तो वह रुपया भी तो उन्हीं से आता है। इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि कहीं स्कूल बन्द हो जायेंगे, कहीं अस्पताल बन्द हो जायंगे। इसलिए उसको टैक्स कह कर किसान को भड़काने की कोशिश की जाती है, ऐसा अगर मैं कहूं तो नामुनासिब बात न होगी। अगर यह खर्च सरकार अपने पास से देती है तब भी उसके पास मासेज से ही पैसा आना है। ढाई रुपया एकड़ गवर्नमेंट खुद वसूल नहीं करती और छोड़ देती है, क्योंकि कुछ खर्च गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलेगा और बाकी हम करते हैं, क्योंकि कागजात की दुरुस्ती में हमारी भी जिम्मेदारी है जो गलतियां रह गयी हैं, उनको दुरुस्त करना है और इस तरह से हमने खुद ढाई तीन रुपया एकड़ छोड़ रखा है। हम तैयार हैं कि किसानों से चकबन्दी के लिये एक पैसा वसूल न किया जाय, लेकिन इसका अल्टीमेट असर तो फिर मासेज पर ही दूसरे टैक्सेज के रूप में पड़ेगा।

अब करप्शन की बहुत बात की गयी। मैं क्या अर्ज करूं, मैंने पहले एक बार अप्रैल में कहा था कि कोई मित्र खुद जाकर तहकीकात करें और अगर उन्हें कोई खराबियां दिखाई दें तो मुझे लिखने की मेहरबानी करें, अगर उनको मारल सैटिसफैक्शन हो जाय कि फलां राज कर्मचारी करप्ट है तो मैं जरूर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि किसी ने मुझे लिखा, इतने सदस्य यहां बैठे हैं? केवल श्री राजेन्द्र सिंह जी ने मुझे एक पत्र लिखा और उस पर फौरन कार्यवाही की गयी और उन्होंने मुझे खुद लिखा...

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)--मैंने लिखा था आपको एक कानूनगो के बारे में।

श्री चरणसिंह--अगर आपने लिखा है तो कार्यवाही की गयी होगी। अगर आपने कहा तो आप ए० सी० ओ० के प्रोटेक्शन के लिये सिफारिश के लिये आये थे और उस सम्बध में भी खत मौजूद है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन करप्शन में जो लोग निकाले जाते हैं उनमें से बहुतों की हमारे बहुत से मित्र सिफारिश करते हैं उनके लिये हरगिज यह मुनासिब नहीं है। मेरे पास राइटिंग में खत मौजूद है।

श्री खजानसिंह चौधरी--श्रीमन्,.....

श्री उपाध्यक्ष--वह बैठना नहीं चाहते, इसलिए आप नहीं बोल सकते।

श्री चरणसिंह--तो मैं यह कह रहा था कि मेरे पास श्री राजेन्द्र सिंह जी का खत है जिसमें लिखा है कि "मैंने अपने इन पैदल दौरों में बहुत से ऐसे गांव पाये जहां चक बट जाने पर एक-दो ही एतराज थे जो सी० ओ० तक आकर समाप्त हो गये।" उसी खत में वह आगे लिखते हैं कि "मैंने चकबन्दी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के बहुत कम उदाहरण पकड़ पाये। एक ए० सी० ओ० का उदाहरण मैंने आपको दिया था--आपने उसे बरखास्त करके कर्मचारीवर्ग में उदाहरण स्थापित कर दिया।" मुझे अफसोस है कि जो लोग यहां शिकायत करते हैं वह मौके पर तहकीकात नहीं करते। श्री राजेन्द्र सिंह स्वयं कहते थे कि मैं एलेक्शन में कांग्रेस कैन्डीडेट के खिलाफ जब प्रचार करता था तो स्वयं चकबन्दी के खिलाफ मीटिंगों

में प्रचार करता था और मेरा खुद ऐसा खयाल था कि चकबन्दी से भ्रष्टाचार होगा और इस योजना से गरीब मारा जायगा और १० मई तक मेरा यही खयाल था लेकिन उसके बाद जुलाई के शुरू में जब उन्होंने स्वयं देख लिया तो कहा कि मैं स्वयं गांवों में गया और देखा कि बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस समय जौनपुर के सदस्य माननीय दुबे जी मौजूद नहीं हैं, मैं उन पर छोड़ता हूं, जौनपुर में चकबन्दी का काम हो रहा है, वह स्वयं जाकर तहकीकात करें और देखें कि काम किस तरह से चल रहा है। वैसे मैंने कब इन्कार किया कि कहीं भी लेशमात्र करप्शन नहीं है। मेरे जो निकट हैं और साथी हैं, वह सब जानते हैं कि आज सोसाइटी या समाज का मारल स्तर क्या है, यह मारल स्टैंडर्ड तो धीरे-धीरे ही उठेंगे।

मैं तसलीम करता हूं कि करप्शन है और मैं यह भी तसलीम करता हूं कि करप्शन पूरी तरह से आखिरी वक्त तक नहीं मिट सकता है, तो क्या इसकी वजह से स्कीम बन्द कर दी जाय? इस तरह से तो सभी मुहक्मों को बन्द करने की नौबत आयेगी। हमें सोचना होगा कि अगर हम इस तरह से अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं तो हमारी औलाद का कैसे क्या हो और हमारे दूसरे भाई किस तरह से रहें, यह सब कैसे होगा। कचहरियों में लोग जाते हैं और झूठ बोलते हैं, तो वहां सारा समुद्र करप्शन से भरा हुआ है। यह सब होते हुए भी काम चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि जिन राजकर्मचारियों ने चकबन्दी के सिलसिले में काम किया है, वे सब मुबारक के मुस्तहक हैं। वे रात के ११ बजे तक बैठ कर काम करते हैं। माननीय गेंदा सिंह जी, जिन्हें सरकार का कोई कार्य ही नहीं पसन्द आता है, वे ही उन पांच तहसीलों में जहां कार्य समाप्त हो चुका है, जाएं और कोई भी बीस गांव ले लें। यदि वे देख कर सन्तुष्ट हो जाएं कि चकबन्दी में व्यापक भष्टाचार हुआ है तो मैं चकबंदी बन्द कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि चकबन्दी की स्कीम से नुकसान ज्यादा हो रहा है और भ्रष्टाचार भी है। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, उन्नाव के मुताल्लिक कुछ बातें कही थीं। अगर हम इसमें सौ गांवों को भी लें, तो हमें कुछ चीजों को कामन मानकर चलना पड़ेगा। जिन आदमियों को इस विषय का कोई ज्ञान नहीं है, वे भी इस सम्बन्ध में बोलते हैं, जैसे श्री मोतीलाल अवस्थी जी कह रहे थे। अगर मैं उनसे कहूं कि मुझे आप स्कीम समझा दीजिये तो वे कभी भी स्कीम को नहीं समझा पायेंगे। एक कवि भी आये और उन्होंने भी इसके मुताल्लिक कहा, मैं उनसे भी कहता हूं कि वे मुझे स्कीम समझा दें।

श्री बंशीधर शुक्ल--कोई स्कीम ही नहीं है।

श्री चरणसिंह--श्री झारखंडेराय जी ने भी इसके बारे में कुछ शिकायतें बतलाईं और जब मैंने कहा कि वे क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि एक लिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने तैयार की है। आप आजमगढ़ में जाकर तहकीकात कीजिये, वहां आफिसर किस तरह से काम करते हैं। मुजफ्फरनगर के बाबत भी बात कही गयी। वहां श्री भटनागर, एस० ओ० सी० ने किस खूबी से काम किया, वह सब जानते हैं। वह आजकल जौनपुर में है और वहां भी उनके कार्य की बड़ी प्रशंसा है।

श्री उपाध्यक्ष--सिर्फ १ मिनट बाकी रह गया है और मुझ सदन को एक सूचना देनी है, आप फिर दूसरे दिन बोल लीजियेगा।

स्टेट हेल्थ बोर्ड उत्तर प्रदेश व एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम मुक्तेश्वर की परामर्शदात्री समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष--स्टेट हेल्थ बोर्ड, उत्तर प्रदेश, के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित प्रोग्राम रहेगा--

नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय--१८-१२-५७ के ४ बजे तक।

नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय--१९-१२-५७ दिन के ३ बजे सचिव के कमरे में।

[श्री उपाध्यक्ष]

नाम की वापसी की अन्तिम तिथितथा समय–२३–१२–५७ को सायंकाल ५ बजे तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ, तो विधान वाचनालय में–२४–१२–५७ को २ बजे से ५ बजे सायंकाल तक।

इस निर्वाचन से सम्बन्धित नाम निर्देशन-पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे।

एडवर्ड सप्तम सेनिटोरियम भुवाली की परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित प्रोग्राम रहेगा :

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय–१८–१२–५७ को सायंकाल ४ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय–१९–१२–५७ को दिन के ३ बजे, सचिव के कमरे में।

नाम की वापिसी की अन्तिम तिथि तथा समय–२३–१२–५७ को सायंकाल ५ बजे तक।

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, विधान वाचनालय में–२४–१२–५७ को २ बजे से ५ बजे सायंकाल तक।

इस निर्वाचन से सम्बन्धित नाम निर्देशन-पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ दिसम्बर, १९५७ ई०।

प्र० एस० यू० पी० ए० पी०—२१४ एल० ए०—१९५७–७९६।